

**हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं
निरीक्षण प्रतिवेदन
अंकेक्षण अवधि 1.4.08 से 31.3.09
विषय सूची**

क्र०सं० विवरण	पृष्ठ संख्या:
1. प्रस्तावना	1
2. प्राक्कथन	2
3. कार्य पालक सार	2
4. वर्ष 2008-09 के लेखों में पाए गए के मुख्य जांच परिणामों का संक्षिप्त विवरण/ओवर व्यू ।	3-7
5. बोर्ड की आय व व्यय के वित्तीय विश्लेषण ।	7-9
6. असमायोजित पैरों का संक्षिप्त विवरण	10-113
7. बोर्ड की वित्तीय स्थिति	114-117
8. बोर्ड की आय एवं व्यय के मुख्य साधन	117
9. निवेशों का विवरण	117-118
10. अंकेक्षण शुल्क	118-119
11. वर्ष 2008-09 की अंकेक्षण आपत्तियों का सविस्तार विवरण ।	119-176

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन हि० प्र० सरकार को प्रस्तुतीकरण हेतु बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा-15(4) अनुसार तैयार किया गया है ।
2. हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के संपरीक्षित लेखे व तुलन-पत्र बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को विधान सभा पटल पर रखे जाने हेतु प्रेषित किए जाने आपेक्षित हैं । यद्यपि स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तुलन-पत्र तैयार नहीं किया जा रहा है ।
3. प्रतिवेदन के भाग-1 में अवधि 9/1969 से 31.3.2008 तक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है ।
4. प्रतिवेदन के भाग-II में बोर्ड की वित्तीय स्थिति, बोर्ड की प्राप्तियों के मुख्य स्रोत व विचाराधीन वर्ष 2008-09 की पूर्व व पोस्ट आडिट आपत्तियों का सविस्तार विवरण दिया गया है ।
5. इस प्रतिवेदन के भाग-III में बोर्ड के पुस्तक विक्रय केन्द्रों के किए गए अंकेक्षण के मुख्य-2 पैरों का विवरण दिया गया है ।
6. इस प्रतिवेदन के भाग-4 में बोर्ड के वार्षिक लेखा पर की गई ऑडिट टिप्पणियों का विवरण दिया गया है ।

**हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं
निरीक्षण प्रतिवेदन।**

अंकेक्षण अवधि 01.04.2008 से 31.03.2009

(1) प्राक्कलन :-

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के विनियम 1968 की धारा 15 के अनुसार बोर्ड के लेखाओं का अंकेक्षण उस संस्था द्वारा किया जाएगा जिसे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है तथा तदनुसार हि० प्र० के शिक्षा विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या: 21-3/70-दिनांक 18.03.1971 द्वारा स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंकेक्षण करने के लिए हि० प्र० वित्त विभाग के स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को वतौर निवासी अंकेक्षण योजना के आधार पर प्राधिकृत किया गया था। बोर्ड विनियम 1968 की धारा 15 व शिक्षा विभाग की उक्त अधिसूचना अनुसार हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के संपरीक्षित लेखे व तुलन-पत्र बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास के प्रथम सप्ताह में भेजे जाने अपेक्षित हैं। यद्यपि स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा तुलन पत्र तैयार नहीं किया जा रहा है।

(2) कार्यपालक सार :-

उपरोक्त अवधि के दौरान निम्नलिखित अधिकारियों ने इस संस्था में बतौर कार्यपालक कार्य किया है:-

क्र० सं०	पदनाम	नाम	अवधि
1.	अध्यक्ष	श्री मनोज कुमार	
		श्री ए० के० कपूर	01.04.08 से 4.
		श्री मनोज कुमार	6.08
		श्री सी० एल० गुप्त	4.6.08 से 31.
			3.09
2.	सचिव	श्री राजेश शर्मा	01.04.08 से
		श्री प्रभात शर्मा	30.9.08
			6.10.08 से 31.

3. उप नियंत्रक (वित्त एवं श्री एम० आर० शर्मा 01.04.08 से
लेखा) श्री सुरेन्द्र भारद्वाज 28.2.09

3.3.09 से 31.

3.09

(3) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा के लेखों अवधि 2008-2009 के अंकेक्षण प्रतिवेदन का ओवर व्यू :-

क्र० सं०	विवरण	भाग एवं पैरा सं०	पृ० सं०
1.	रोकड़ वही शेषों का मिलान बैंक शेषों से बोर्ड के गठन से लेकर आज तक न किया जाना। परिणामस्वरूप लगभग 1.17 करोड़ का मिलान कार्य वांछित।	भाग-11	117
2.	परीक्षा शुल्क से सम्बन्धित बसूली हेतु लम्बित राशि का पूर्ण अभिलेख न रखा जाना। केवल वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित परीक्षाओं से सम्बन्धित ₹34.41 लाख बसूले जाने शेष हैं।	6(प)	119
3.	अंशदायी भविष्य एवं गैर अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही का अवधि 1.4.2000 से पूर्व रख-रखाव न किया जाना।	7(1)(प)	120
4.	पेंशन निधि के अव्यवस्थित प्रबन्धन बारे।	8(4)	124-126
5.	वर्ष 2008-09 के दौरान पूर्व अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत बिलों की जांच के दौरान अधिक अनियमित एवं गलत भुगतान प्रस्तुत होने के कारण ₹316628/-की कटौतियां विभिन्न बिलों से की गई।	14	127
6.	विभिन्न अग्रिमों की दिनांक 31.3.2009 को कुल ₹171692196/-की राशि समायोजन हेतु लम्बित।	पैरा-1	128-129
7.	बोर्ड कर्मचारियों को समय पर आवास आवंटन न करने के फलस्वरूप ₹36012/- की हानि होना।	पैरा-1	129

8. श्री कृष्ण चन्द, वरिष्ठ सहायक को गलत तिथि से पैरा-1 129
उच्च वेतनमान दिए जाने के कारण ₹13897/- की 7
बसूली बारे।
9. वार्षिक वेतनवृद्धियां गलत तिथियों से दिए जाने के पैरा-1 130-
कारण ₹1260/-की बसूली कर ली गई है। 8 131
- 10 बोर्ड कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की पैरा-1 131-
अदायगी करने बारे । जबकि उनके द्वारा आवंटित 9 133
आवास का कब्जा लेने में असफल रहना या कब्जा
न मंजूर करना।
- 11 हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिनियम के पैरा-2 133
अनुसार निर्णय न लिए जाने के कारण यात्रा भत्ता 0
दावों में सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों को ₹.
82513/- का अनियमित भुगतान किया जाना।
- 12 बोर्ड परिसर में कैंटीन ब्लॉक के निर्माण हेतु डाईगं पैरा-2 134-
इत्यादि बनवाने के लिए ₹15000/- का अनियमित 1 135
भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारण बारे।
- 13 हि0 प्र0 स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम को पैरा-2 135-
मिडल, मैट्रिक, प्लस वन व प्लस टू कक्षाओं के 2 136
परिणाम तैयार करने के लिए ₹2341991/- का
भुगतान करने बारे।
- 14 बोर्ड की गाड़ियों की लॉग बुकें अंकेक्षण हेतु उपलब्ध पैरा 136-
न करवाने बारे। 23 व 137
24
- 15 बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ली गई अग्रिम पैरा-2 137-
राशियों से शेष बची राशि पर ब्याज न बसूला 5 139
जाना।
- 16 बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में पैरा-2 139-
वर्ष 2007-08 में पुस्तक विक्रय के कारण कम 6 140
बसूल की गई ₹8256/- की राशि बारे।
- 17 बोर्ड की आवासीय कलौनियों में पानी की व्यवस्था पैरा-2 141-
करने पर लगभग 13.53 लाख व्यय करने के 7 142
उपरान्त भी बोर्ड कर्मचारियों से पानी के चार्जिज न
वसूलने से बोर्ड निधि को लाखों रु0 की हानि होने

बारे।

18	बोर्ड कर्मचारियों व अधिकारियों को ₹1432885/-	पैरा-2	142-
.	का मानदेय सरकार के आदेशों के विपरीत दिया जाना।	8	144
19	बोर्ड कर्मचारियों को ₹152500/-की अग्रिम राशि	पैरा-2	144-
.	टैक्सी/अपनी कार द्वारा प्राइवेट स्कूलों की सम्बद्धता करने हेतु सरकार के आदेशों के विपरीत दी गई।	9	145
20	बोर्ड अध्यक्ष के आवास हेतु फर्नीचर व अन्य सामान	पैरा-3	146-
.	का खरीदा जाना। जबकि उनकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।	0	147
21	बोर्ड कर्मचारियों को आवासीय/मोबाईल फोन चार्जिज	पैरा-3	148
.	की प्रतिपूर्ति सरकार के आदेशों द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर किया जाना।	1	
22	श्री अजय कुमार भाटिया, केन्द्र अधीक्षक , रा0 व0	पैरा-3	148-
.	मा0 विद्यालय राजपुर को ₹16941/- का भुगतान उसकी व्यक्तिगत वाहन को उपद्रवियों द्वारा क्षति पहुंचाने बारे।	2	149
23	चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों बारे।	पैरा-3	149-
.		3	150
24	विभिन्न वाउचरों के अन्तर्गत किए गए भुगतानों में	पैरा-3	150-
.	उद्देश्य न दर्शाया जाना।	4	151
25	भुगतान वाउचरों के साथ सक्षम अधिकारी की	पैरा-3	151-
.	स्वीकृति की कापी संलग्न न करने बारे।	5	152
26	बोर्ड कर्मचारियों को चायपान पर ₹79970/-के	पैरा-3	152-
.	किए गए व्यय बारे।	6	154
27	₹18000/- की राशि के प्रत्यर्पण बारे।	पैरा-3	154-
.		7	155
28	बोर्ड कार्यालय में किए गए व्यय से सम्बन्धित पोस्ट	पैरा-3	155-
.	ऑडिट की विविध अनियमितताएं।	8	156
29	पारिश्रमिक व यात्रा भत्ता बिलों में पाई गई गम्भीर	पैरा-3	156-
.	अनियमितताओं बारे।	9	158
30	अग्रिम राशियों के समायोजन बारे।	पैरा-4	158-

.	0	1 5 9
31 एक ही अवधि के दोहरे यात्रा भत्ता बिलों को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना।	पैरा-4	1 6 0
.	1	
32 प्रैक्टिकल परीक्षा से सम्बन्धित पारिश्रमिक बिलों में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं के कारण	पैरा-4	1 6 0-
26761/- की राशि बोर्ड निधि से भुगतान होने से रोकने बारे।	2	1 6 4
33 दोहरी अदायगी 2774/-की राशि का भुगतान	पैरा-4	1 6 5
अंकेक्षण के दौरान रोका जाना।	3	
34 24193/-के अनियमित यात्रा भत्ता बिलों के	पैरा-4	1 6 5-
भुगतान को पूर्व-अंकेक्षण में रोक लिया जाना।	4	1 6 6
35 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 20599/-की राशि	पैरा-4	1 6 6-
अनियमित तौर से दी जा रही थी। जिसे पूर्व-अंकेक्षण के दौरान रोक लिया गया।	5	1 6 9
36 बोर्ड डिपो में पड़ी पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे।	भाग-3	1 6 9-
.	पैरा-2	1 7 0
37 बोर्ड डिपो से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे।	पैरा-3	1 7 0-
.		1 7 1
38 बोर्ड डिपुओं के अभिलेखों में अत्याधिक कांट-छांट पाया जाना व सत्यापित न करने बारे।	पैरा-4	1 7 1
.		
39 पुस्तक विक्रय केन्द्र सोलन में अप्रचलित पुस्तकों के अन्तिम शेष को अग्रेणित न करने बारे।	पैरा-5	1 7 2
.		
40 पुस्तक विक्रय केन्द्र नाहन में 21637/- की पुस्तकें अन्य रजिस्ट्रों में अग्रेणित न करने बारे।	पैरा-6	1 7 2
.		
41 उप निदेशक (वरिष्ठ) शिमला को बेची गई पुस्तकों	पैरा-7	1 7 2-
बारे।		1 7 3
42 बोर्ड के वार्षिक लेखा पर की गई ऑडिट टिप्पणियां।	भाग-4	1 7 3-
.	पैरा	1 7 6
.	1-3	

(4) वित्तीय विश्लेषण :- बोर्ड की वर्ष 2008-09 की आय व व्यय पर तुलनात्मक वित्तीय विश्लेषण निम्नलिखित है ।

(प) प्राप्तियां :-

1. बोर्ड ने वर्ष 2008-09 के दौरान परीक्षा शीर्ष के अन्तर्गत ₹21,33,59,124/- प्राप्त किए जो कुल प्राप्तियों का लगभग 40 प्रतिशत है।
2. वर्ष 2008-09 के दौरान बोर्ड ने पुस्तक विक्रय से ₹29,11,17,841/- की राशि प्राप्त की जो कुल आय/प्राप्तियों का लगभग 54 प्रतिशत है।

(पप) व्यय :-

1. वेतन व भत्ता की अदायगी :- बोर्ड द्वारा वर्ष 2007-08 के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन व भत्तों पर कुल ₹8,98,07,109/- खर्च किए थे जो कुल व्यय व प्राप्तियों का क्रमशः 26 प्रतिशत व 22 प्रतिशत था जबकि इस वर्ष 2008-09 के दौरान इस मद पर कुल खर्च ₹11,74,42,625/- किया गया है जो कुल व्यय व आय का क्रमशः 26 प्रतिशत व 22 प्रतिशत है।
2. चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय :- वर्ष 2007-08 में बोर्ड द्वारा इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹15,00,017/- व्यय किए गए थे जबकि इस वर्ष ₹10,80,388/- चिकित्सा प्रतिपूर्ति पर व्यय किए गए हैं।
3. यात्रा भत्ता पर व्यय :- वर्ष 2007-08 के दौरान यात्रा भत्ता बिलों की अदायगी पर बोर्ड ने ₹13,91,030/- व्यय किए थे जबकि वर्ष 2008-09 में यह खर्चा बढ़कर ₹15,90,243/- हो गया है इस व्यय में बढ़ौतरी पर कटौती करने की जरूरत है।
4. पेंशन निधि :- वर्ष 2007-08 व 2008-09 के दौरान पेंशन निधि में प्राप्त राशियों व व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्न है :-

	वर्ष	वर्ष
	2007-08	2008-09
प्राप्तियां	1,58,71,611	2,96,93,935
व्यय	2,32,92,650	2,02,17,118

5. पुस्तकों का मुद्रण :- वर्ष के दौरान बोर्ड ने कागज की खरीद पर ₹14,42,14,816/- व पुस्तकों के मुद्रण पर ₹3,69,77,536/- व्यय किए इस प्रकार कागज खरीद व पुस्तक मुद्रण पर कुल ₹18,11,92,352/- खर्च

किए गए जबकि पुस्तकों की विक्री से बोर्ड ने ₹29,11,17,841/- प्राप्त किए। यद्यपि कुछ पुस्तकें व कागज स्टॉक में शेष रहा होगा तथा पिछले वर्ष का शेष कागज व पुस्तकें इस वर्ष क्रमशः प्रयोग व विक्रय भी की गई होगी।

6. परीक्षा संचालन शीर्ष :- विचाराधीन वर्ष 2008-09 के दौरान बोर्ड ने परीक्षा संचालन पर कुल ₹23,16,84,318/- खर्च किए जबकि परीक्षा शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त आय ₹21,33,59,124/- है। इस प्रकार बोर्ड को इस मद के अन्तर्गत भी ₹1,83,25,194/- की क्षति उठानी पड़ी है।

7. गोपनीय निधि :- वर्ष 2007-08 के दौरान गोपनीय निधि को ₹55,00,000/- सामान्य निधि से स्थानान्तरित किए गए थे जबकि इस वर्ष ₹1,09,55,000/- उक्त निधि को स्थानान्तरित किए गए। अतः वर्ष 2008-09 में अत्याधिक राशि को गोपनीय निधि में स्थानान्तरित किए जाने का ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाना अनिवार्य है।

8. कार्यालय/प्रशासनिक व्यय :- बोर्ड द्वारा वर्ष 2007-08 में कार्यालय व्यय पर ₹1,05,46,993/- खर्च किए गए जबकि वर्ष 2008-09 में ₹1,26,71,267/- व्यय किए गए। इस प्रकार वर्ष 2008-09 में कार्यालय व्यय पर ₹21,24,274/- अधिक व्यय किए गए हैं।

(प) बिजली पानी का खर्चा :- वर्ष 2007-08 में बिजली व पानी पर किया गया खर्चा ₹9,45,491/- था जबकि वर्ष 2008-09 में यह खर्चा बढ़कर ₹9,30,071/- हुआ है।

(पप) हाट एण्ड कोल्ड पर व्यय :- इस मद पर वर्ष 2007-08 के दौरान व्यय ₹88,248/- था जबकि वर्ष 2008-09 के दौरान ₹42,061/- का व्यय किया गया है।

(पपप) डाक सेवा टिकट पर व्यय :- बोर्ड ने इस मद पर वर्ष 2007-08 में ₹54,63,086/- व्यय किए थे। जबकि वर्ष 2008-09 में ₹61,10,159/- खर्च किए गए जिसमें ₹6,47,073/- की बढ़ोतरी हुई है।

भाग-1

(1) गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन :-

गत वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के बहुत से पैरे जिनका सक्षिप्त विवरण निम्नलिखित हैं, वांछित अनुपालना न करने की बजह से अभी तक शेष हैं तथा इनके निपटारे हेतु कार्यवाही न करने की वजह से वर्षानुवर्ष अनिर्णीत पैरों में बढ़ती रही है। अतः बोर्ड के प्राधिकारियों से पुनः अनुरोध है कि गत अनेक वर्षों से अनिर्णीत चले आ रहे अनेक पैरों के शीघ्र निपटारे हेतु वांछित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण योजना प्रभारी के साथ-साथ इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

(c) 25 वर्षों से अधिक अवधि तक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का विवरण :-

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 9/69 से 1982-83 तक

अवधि 9/69 से 1971 तक

1. पैरा 10 सितम्बर, 1969 में ₹41,403/- रु० की राशि जिसका विवरण पैरा में वर्णित है भारतीय स्टेट बैंक की विवरणी अनुसार जमा करवाए गए परन्तु सम्बन्धित रिकार्ड, जिससे राशि की सत्यता व किस उद्देश्य से जमा करवाई गई थी, की जांच नहीं की जा सकी थी। सम्बन्धित रिकार्ड अब प्राप्त कर व शेष की समाधान विवरणी तैयार कर लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।
2. पैरा दिनांक 7.10.69 को ₹3053.75 के विरुद्ध ₹2493.75 व दिनांक 8.10.69 को ₹4438.95 के विरुद्ध ₹5418.95 बैंक में जमा करवाये गये। इस प्रकार ₹560/- कम जमा व ₹980/- अधिक जमा की समाधान विवरणी अंकेक्षण को दिखाई जाए।
- 10-ए-(2)
3. पैरा 11 अलग-2 तिथियों की कुल राशि ₹28736.75 बैंक में जमा करवाने भेजे गये थे परन्तु 10/69 तक इन राशियों के क्रेडिट बैंक विवरणी में नहीं पाए गए दूसरी तरफ राशि ₹28267.50 के क्रेडिट बैंक द्वारा अलग-2 तिथियों के दिए गए परन्तु इन राशियों का मेल कैश

बुक में दर्ज राशियों से नहीं हुआ। बैंक विवरणी में 10/69 से 1/70 तक दिए गए क्रेडिट व डेबिट प्रविष्टियों की समाधान विवरणी तैयार कर लेखा परीक्षा को दिखाई जाए।

4. पैरा 13 बोर्ड विनियमन, 1968 की धारा-22 अनुसार बिना सेवा शर्तें निर्धारित किए सचिव हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड की नियुक्ति करने पर माह 9/69 से 12/69 तक कुल ₹4440/- का वेतन आहरण किया। जबकि बिना सेवा शर्तें वेतन अहरण करना अनियमित था। इस सम्बन्ध में सरकार/बोर्ड का निर्णय शीघ्र लेकर दिखाया जाए।
5. पैरा 13(3) राशि ₹1610/-लेवर हास्टल बिल्डिंग शिमला की मुरम्मत, सफेदी व रंग रोगन करवाने पर व्यय की गई जबकि यह भवन मयुनिसिपल कारपोरेशन शिमला से किराए पर लिया गया था तथा मुरम्मत, तोड़-फोड़ व रंग रोगन करवाने का खर्चा भवन मालिक द्वारा किया जाना था। इस प्रकार जब भवन के किराए की अदायगी की जानी थी तो उक्त ₹1610/- की मांग भी उनसे की जानी थी। अतः ₹1610/- की बसूली नगर निगम शिमला से की जाए।
6. पैरा 13-10 मैसर्स कैपिटल स्टेशनरी वर्क्स यमुनानगर को वाउचर संख्या: 5, 1/70 द्वारा राशि ₹35,640/- का पार्ट भुगतान उत्तर पुस्तिकाओं व अनुवर्ती शीट्स की आपूर्ति हेतु दी गई। अंकेक्षण के दौरान उक्त वस्तुओं की आपूर्ति चली हुई थी। उक्त फर्म का अन्तिम भुगतान का समायोजन, स्टॉक रजिस्टर जिससे उत्तर पुस्तिकाओं की प्राप्ति व खारिज की जांच हो, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए जाएं। सचिव, द्वारा वर्ष के दौरान कुल ₹80,280/- बोर्ड निधि से गुप्त निधि के लिए अहरण किए जबकि वर्ष 1969-70 के बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं था। वर्ष 1969-70 से सम्बन्धित बजट प्रावधान लेखा परीक्षा में दिखाए

जाएं ।

7. पैरा 9 रोकड़ वही का रख-रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
8. पैरा 15 आन्तरिक शुल्क निर्धारण जो विद्यार्थी से नौवीं, दसवीं व ग्यारहवीं कक्षा में पदोन्नत व फेल होने के कारण बसूला गया इससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में न प्रस्तुत करने बारे ।
9. पैरा 19(ए) हिमाचल प्रदेश के नये क्षेत्रों में वर्ष 1969-70 में संचालित विभागीय परीक्षा से सम्बन्धित प्रवेश शुल्क आंशिक रूप में जिला शिक्षा अधिकारी कांगड़ा, कुल्लू और शिमला द्वारा प्राप्त करके सीधे ट्रेजरी के माध्यम से सरकारी कोष में जमा करवाया गया जबकि कुछ स्कूलों के मुखिया द्वारा उक्त शुल्क सीधे बोर्ड को प्रेषित किया गया ।
- जैसा कि वर्ष 1969-70 की विभागीय परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई थी इसलिए वर्ष 1969-70 में जितनी फीस सरकारी खजाने में जमा करवाई गई थी की सूची बनाकर उस राशि का प्रत्यर्पण राजकीय कोष से लिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।
10. 19 (बी) अवधि 5.9.1969 से 15.10.1969 तक प्राप्त शुल्कों के लिए मुद्रित रसीदें जारी करने की अपेक्षा टंकित रसीदें जारी की गई बताई परन्तु इनकी अनुलिपि रसीदें अभिलेख में नहीं रखी गई हैं । इसलिए जो फीस प्राप्त की व शेष फीस की सत्यता की जांच विभागीय तौर पर की जाए ।

अवधि 1971-72

1. पैरा 13 केन्द्र अधीक्षकों, परीक्षकों व बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को दी गई अग्रिम राशि ₹ 7,15,153/- का असमायोजित होना ।
2. पैरा 14(ए) 450 परिणाम गजट मुद्रित करवाने के आदेश मैसर्स आधुनिक प्रिन्टर्स, जालन्धर को वर्ष जुलाई, 1971 की परीक्षा से सम्बन्धित दिया गया इनके मुद्रण पर

कुल खर्च ₹16500/- आया था परन्तु विक्रय करने पर बोर्ड को कुल ₹8950/- की आय हुई । इस प्रकार बोर्ड को ₹7550/- की हानि हुई । बोर्ड से अनुरोध है कि या तो उक्त हानि को बटटे खाते में डाला जाए या उक्त हानि की भरपाई का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए।

3. पैरा 19 अप्रैल, 1971 तक (प्रवासी लेखा परीक्षा योजना के शुरू होने से पूर्व) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों/अधिकारियों को अवकाश अवधि का वेतन अंशदान भी बोर्ड द्वारा किया गया । इस तरह अनियमित भुगतान की बसूली का अनुरोध ऑडिट अधियाचना संख्या: 108 दिनांक 16.3.1972 द्वारा किया गया था ।
4. पैरा 20 चार लाख रुपये की राशि वर्ष 1970-71 व 1971-72 के बजट अनुमान अनुसार बोर्ड ने मिडल परीक्षा के संचालन के लिए प्राप्त किए जाने प्रस्तावित थे परन्तु मिडल परीक्षा से संचालित प्राप्त शुल्क जो राजकीय कोष में जमा करवाया गया था को प्रत्यर्पण करवाकर बोर्ड निधि में जमा करवाया जाए ।
5. पैरा 21(ए) वास्तविक रूप में प्राप्त 398018 उत्तर पुस्तिकाओं की अपेक्षा 4,00,000 उत्तर पुस्तिकाओं की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में बिना रसीद के करने बारे।
6. पैरा 21 (बी) मैसर्स नैशनल स्टेशनर्स ने 16500 उत्तर पुस्तिकाएं व 8000 अनुवर्ती शीट्स कम आपूर्ति करने की कीमत ₹2009.70 व उक्त आपूर्ति की अधिक संख्या स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने की जांच बोर्ड प्रशासन द्वारा सुनिश्चित करने बारे ।
7. पैरा 21(सी) दो मास के डाक टिकटों के लेखे की जांच में ₹195.10 की त्रुटियां पाई गई जिसका समाधान आपेक्षित है ।

8. पैरा 25 बोर्ड के 'ससबबंजमम कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की अदायगी मूल वेतन जमा डी.पी. के 25 प्रतिशत की दर से की गई जबकि बोर्ड के अन्य कर्मचारियों को 5 प्रतिशत की दर से हि0 प्र0 सरकार के आदेशों से की गई। बोर्ड प्रशासन से अनुरोध किया गया था कि 'ससबबंजमम कर्मचारियों को कुछ जायज दर से मकान किराया भत्ता की अदायगी की जाए परन्तु कोई कार्रवाई की गई प्रतीत नहीं होती है ।

अवधि 1972-73

1. पैरा 13 (सी) फरवरी, 1970 में मिडल परीक्षा के संचालन हेतु ₹10200/- की अग्रिम राशि जिला शिक्षा अधिकारी धर्मशाला को केन्द्र अधीक्षक व अन्य स्टाफ को भुगतान हेतु दी गई परन्तु राशि का समायोजन अभी लम्बित है।
2. पैरा 13 डी श्री खूब राम ठाकुर जो मैट्रिक परीक्षा सितम्बर, 1971 में केन्द्र अधीक्षक शिमला-3 में तैनात थे, का यात्रा भत्ता दावा राशि ₹279.15 अवधि 27.9.1971 से 30.10.71 तक जाली था जिसकी बसूली आडिट अधियाचना संख्या: 62 दिनांक 7.8.1972 के बाबजूद नहीं की गई।
3. पैरा 14 मैसर्स नैशनल ट्रेडर्स दिल्ली द्वारा 13819 उत्तर पुस्तकाएं कम आपूर्ति करने का मामला ऑडिट अधियाचना संख्या: 100 दिनांक 21.2.1973 के द्वारा बोर्ड प्रशासन के ध्यान में लाया गया था।
4. पैरा 16(ए) परीक्षा में तैनात स्टॉफ द्वारा अकारण परीक्षा केन्द्रों में ठहराव बारे ।
 16 (बी) उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
 16 (सी) फिजूल खर्च को रोकने बारे ।
5. पैरा 17(2) बोर्ड की गाड़ियों पर पेट्रोल, मुरम्मत व रख-रखाव पर

₹10001 अधिक खर्चा करने बारे ।

6. पैरा 18 डाक व्यय पर वर्ष 1972-73 में ₹106200/- खर्चा हुआ जबकि बजट प्रावधान ₹72000/- था। अतः पुनर्विनियोजन बोर्ड द्वारा बांछित है ।
7. पैरा 19 वर्गीकृत आय व व्यय रजिस्टर का पूरा रख-रखाव न करने बारे जैसा कि बोर्ड विनियमन के पाठ-5 के नियम-10 में प्रावधान था । बोर्ड प्रशासन इन रजिस्ट्रों का रख-रखाव नियमानुसार करें व बजट प्रावधान से अधिक व्यय का पुनर्विनियोजन करवाया जाए ।
8. पैरा 22 बैंक विवरणियों में ₹20963.75 की डेबिट प्रविष्टियों का पाया जाना ।

अवधि 1973-74

1. पैरा 4(ए) दिनांक 31.3.73 को अन्तिम शेष व दिनांक 1.4.73 को प्रारम्भिक शेष के अन्तर का मिलान नहीं किया गया है ।
2. पैरा 16(ए) मिडल परीक्षा के बंद होने के कारण बोर्ड कार्यालय के कार्य में कमी के कारण सर्टिफिकेट टाईप, चैकिंग, व अतिरिक्त समय भत्ता दिए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है ।
3. पैरा 16 (बी) पर्यवेक्षकों के गलत यात्रा भत्ता दावों को स्वीकृत करने पर कोई औचित्य स्पष्ट करने/कार्रवाई न करने बारे ।
4. पैरा 16 (डी) भराड़ी परीक्षा केन्द्र में डियूटी देने से सम्बन्धित दावा जो श्री रसील सिंह ने प्रस्तुत किया था, गलत तथ्यों पर आधारित था ।
5. पैरा 16 (एफ) मिडल परीक्षा को संचालित करने के लिए जो पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के मानदण्ड निर्धारित किए थे लेखा परीक्षा को नहीं दिखाए गये ।
6. पैरा 18-1 बोर्ड ने स्टॉफ कार प्रयोग के लिए न अपने नियम बनाए न ही हि0 प्र0 सरकार के नियम अपनाए हैं ।
7. पैरा 18-2 प्राइवेट उद्देश्य हेतु की गइ यात्राओं की बसूली नहीं

की गई ।

8. पैरा 19-ए बार-2 अनुरोध करने पर भी 'ससंबन्धित कर्मचारियों की सेवा शर्तों को बहाल रखने से सम्बन्धित संचिका लेखा परीक्षा में नहीं दिखाई गई ।
9. पैरा 20 बोर्ड कर्मचारियों के न तो भविष्य निधि खाते सही ढंग से बनाये गये हैं और न ही ब्याज दर व ब्याज राशि जो उनके खातों में क्रेडिट की है, बारे निर्णय लिया गया है ।
10. पैरा 21 (ए से डी) 9/72 में संचालित परीक्षा से सम्बन्धित मांग शीट्स, भुगतान अभिलेख, वाउचर व प्रवेश पत्रों को बेचने सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में नहीं दिखाया गया ।
11. पैरा 21-ई पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित आवेदन प्रपत्रों से सम्बन्धित संचिका लेखा परीक्षा को न दिखाए जाने बारे ।
12. पैरा 22 न तो कैश बुक में अवधि जनवरी, 1972 से आगे पाई गई त्रुटियों का समाधान किया गया न ही जनवरी, 1973 के बाद मासिक समाधान विवरणी तैयार की जा रही है ।
13. पैरा 23 गुणन चिन्ह चैकों की वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें न लेने के कारण स्पष्ट किए गए न ही वास्तविक रसीदें न लेने के आदेश दिखाए गए ।
14. पैरा 24 सर्विस सटैप लेखा में अवधि 6/72 से 3/73 तक पाई गई विसंगतियों का कोई समाधान नहीं किया गया तथा ८37864.35 की स्टैपस विभिन्न बोर्ड शाखाओं को जारी की गई दर्शाई है जबकि इनकी खपत के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।
15. पैरा 25 बोर्ड निधि से सम्बन्धित बैंक खातों को भारतीय स्टेट बैंक में स्थानान्तरित नहीं किए गए ।
16. पैरा 26 वर्गीकृत आय व व्यय के रजिस्टर पूर्ण रूप में तैयार नहीं किए गए हैं । दोनों रजिस्टर अब पूर्ण रूप में तैयार किए जाए व बजट से अधिक किए गए व्यय

को पुनर्विनियोजन किया जाए।

17. पैरा 27 बोर्ड के लेखा का तुलना-पत्र तैयार नहीं किया गया जिसे तैयार किया जाए।
18. पैरा 28 निवेश रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र पर तैयार नहीं किया गया है ।

अवधि 1974-75

1. पैरा 10 5155 व 1485 विभिन्न कक्षाओं के प्रवेश फार्म विक्रय करने के ऐवज में प्राप्त राशियों का क्रेडिट विवरण बोर्ड निधि में नहीं पाया गया ।
2. पैरा 11 वर्ष 1969 से 1973 तक मुल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को रददी के रूप में न बेचने बारे ।
3. पैरा 14-1 मैट्रिक मार्च, 1974 की परीक्षा में शाहपुर केन्द्र में दूसरा उप अधीक्षक नियुक्त करने का उत्तरदायित्व न निर्धारित करने बारे ।
4. पैरा 14-2 यात्रा भत्ता राशि ₹82.90 व ₹78/- जो अनियमित तौर से कमशः श्री रत्न चन्द अधीक्षक व श्री अशोक कुमार को अदा की गई थी की बसूली नहीं की गई है ।
5. पैरा 14-3 मै0 शिमला टाईपराईटर से जो किराये पर टाईपिंग मशीन ली गई थी के पूजों को नुकसान पहुंचाने के ऐवज में ₹ 129.25 का उत्तरदायित्व न निर्धारित करने बारे ।
6. पैरा 12 पंजाब यूनिवर्सिटी से आए कर्मचारियों द्वारा लिए गए गेहूं ऋण की बसूली वित्तीय वर्ष 1973-74 व 1974-75 में न करने तथा ऋण माफ की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से न लेने बारे ।
7. पैरा 15 नजदीक स्थानों से परीक्षाओं के संचालन हेतु स्टॉफ नियुक्त करने पर विचार न करने बारे ।
8. पैरा 16. रोकड़ बही के अन्त शेष व बैंक पासबुक के अन्त शेषों का मिलान वर्ष 1974-75 के दौरान न करने बारे ।

अवधि 1975-76

1. पैरा 9 न तो लेखा अभिलेखों के रख-रखाव, भुगतान, प्रचलन, अग्रिम समायोजन, उपयोगिता प्रमाण-पत्र के बारे में नियम निर्धारित किए गए थे न ही राशि ₹12,99,498.25 गोपनीय निधि में स्थानान्तरित करने का उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में दिखाया गया ।
2. पैरा 12-2 अनियमित रूप में अर्ध-वेतन अवकाश स्वीकृत करने के ऐवज में कोई बसूली नहीं की गई है ।
3. पैरा 12-3 श्री आर.एस.सनौरिया उप-परीक्षक को ₹3/- व 50 पैसे श्री बी0 आर0 शर्मा को किए गए अधिक भुगतान की बसूली न करने बारे ।
4. पैरा 12-4 डूपलिकेटिंग मशीन की मुरम्मत पर किए गए खर्च ₹230.40 की बसूली न करने बारे जबकि उक्त राशि का मै0 शौरी डूपलिकेटर द्वारा भुगतान किया जाना था ।
5. पैरा 12-5 ₹21/- की छूट जो मैसर्स आजाद बुक दिल्ली द्वारा दी गई थी की हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित न करने बारे ।
6. पैरा 12-6 उपयोग में न लाए गए प्रश्न-पत्रों जो पेपर-सैंटरों ने तैयार किए थे का निपटान न करने व राशि ₹9/- जो श्रीमति कमला शर्मा उप-परीक्षक को की गई का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
7. पैरा 12-8 श्री मनोहर लाल ठाकुर का विवाधित अतिरिक्त समय भत्ता की जांच न करने बारे ।
8. पैरा 12-9 श्री के0के0 कपूर से यात्रा भत्ता दावों राशि ₹68.35 व 60.95 की बसूली न करने बारे ।
9. पैरा 12-10 श्री मोहन लाल मैहता को यात्रा भत्ता दावा राशि ₹65.20 की बसूली हरियाणा बोर्ड से न करने बारे ।
10. पैरा 12-11 त्रिवेणी भवन मालिक से पानी के बिल राशि का 25

प्रतिशत 68.53 की बसूली न करने बारे । पानी के बिल का भाग जो भवन खाली करने तक मालिक द्वारा वहन किया जाना था की गणना नहीं की गई है जिसे करने उपरान्त वसूली की जाए ।

11. पैरा 13-2 दसवीं/वरिष्ठ कक्षाओं की 500 प्रतियां पाठ्यक्रम विक्रय सम्बन्धी अभिलेख का प्रस्तुत न करने बारे ।
12. पैरा 14 रोकड़ शेष का बैंक अन्तिम शेष के साथ समाधान न करने बारे ।
13. पैरा 16 बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रकाशकों से प्राप्त त्वलंसजल का अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
14. पैरा 17 पैरा में वर्णित भुगतानों के समर्थन में आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
15. पैरा 18 हि0 प्र0 सरकार के नियमों को बोर्ड कर्मचारियों के लिए यथावत लागू करने बारे ।
16. पैरा 19 अध्यापक कल्याण निधि में वर्ष 1975-76 से पूर्व कोई राशि जमा न करवाने बारे तथा वर्ष 1975-76 में इस निधि में अध्यापक व बोर्ड अंशदान राशि मु0 28445.60 में सरकार से कोई अंशदान प्राप्त न करने बारे ।
17. पैरा 20 भविष्य निधि खातों, रोकड़ बही व व्यक्तिगत खातों का रख-रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
18. पैरा 21 बोर्ड आय व व्यय के वर्गीकृत रजिस्टर न बनाने बारे तथा अनुमानित बजट प्रावधानों से अधिक किए गए व्यय को त्मंचवतवचतपंजपवद करवाने बारे ।
19. पैरा 22 बोर्ड प्रशासन द्वारा वर्ष 1975-76 का तुलना-पत्र तैयार न करने बारे तथा सरकार को प्रेषित करने बारे ।
20. पैरा 23 बोर्ड द्वारा वर्ष 1972-73, 1973-74 व 1975-76 से सम्बन्धित निवेश रजिस्टर का रख-रखाव न करने बारे ।

अवधि 1976-77

भाग-2

1. पैरा 12-1 टाईप राईटर की मुरम्मत में ₹165.50 का पुर्जा जो गुम हो गया था को डलवाने का उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
- पैरा 12-2 मैसर्ज आजाद ला बुक वार्डिंग जालन्धर के बिल राशि ₹3592.00 पर 1 प्रतिशत छूट यदि भुगतान समय पर किया जाता तो ₹35.92 की छूट का फायदा न उठाने बारे ।
- पैरा 12-3 मै0 कर्म चन्द थाप्पर ब्रदर्स चण्डीगढ़ को समय पर भुगतान न करने के कारण ₹34/- की छूट की हानि की बसूली बारे ।
- पैरा 12-4 एक परीक्षक व पेपर सेंटर के प्रस्तुत दावों की जांच में जो पेपर उपयोग नहीं किए गए उनकी क्पेचर्वेस से सम्बन्धित अभिलेख न दिखाए जाने बारे ।
- पैरा 12-5 ₹1904.68 के बिजली बिल बारे ।
- पैरा 12-6 उत्तर पुस्तिकाओं की ढुलाई से सम्बन्धित किराये व भाड़े बिलों बारे ।
- पैरा 12-7 बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों/अधिकारियों को अवकाश अवधि का वेतन उनके पैतृक विभाग द्वारा किया जाना था परन्तु उनका भुगतान बोर्ड निधि से किए जाने बारे ।
- पैरा 12-8 बोर्ड को ₹563.92 की हानि से बचाने बारे व आन्तरिक जांच सुदृढ़ करने बारे ।
- पैरा 12-9 बोर्ड द्वारा सीसल होटल का हिस्सा कार्यालय प्रयोगार्थ लेने के कारण बिजली के बिल के भुगतान बारे ।
2. पैरा 13-1 बोर्ड के गठन से लेकर बोर्ड द्वारा अनेक प्रकार के टायर गाड़ियों के लिए क़य किये जाते रहे हैं परन्तु उनकी क्पेचर्वेस से सम्बन्धित अभिलेख को न दिखाये जाने बारे ।
- पैरा 13-2 बोर्ड द्वारा मुल्यांकित उत्तरपुस्तिकाओं की क्पेचर्वेसे बोर्ड के गठन से लेकर न दिखाये जाने बारे ।
- पैरा 13-3 प्रवेश पत्रों की विक्रय से सम्बन्धित अभिलेख न

प्रस्तुत करने बारे ।

- पैरा 13-4 बोर्ड कार्यालय द्वारा अनेक पुराने समाचार पत्रों की क्पेचवेंस से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 13-5 बोर्ड द्वारा अनेक पत्रिकाएं भी लगवाई गई हैं परन्तु इनकी क्पेचवेंस से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
3. पैरा 14 अध्यापक कल्याण निधि में अध्यापक बिलों से 1 प्रतिशत की कटौती व बराबर हिस्सा बोर्ड द्वारा डाला जा रहा है परन्तु बराबर हिस्सा सरकार से प्राप्त न होने बारे ।
4. पैरा 15 बोर्ड द्वारा अनेक पत्रिकाएं भी लगवाई गई हैं परन्तु इनकी क्पेचवेंस से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
5. पैरा 16 शिक्षा विभाग हि0 प्र0 से आए प्रतिनियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को राशि ₹1171.45 अवकाश वेतन की अदायगी बोर्ड निधि से की गई जबकि उक्त अदायगी का प्रत्यर्पण हि0 प्र0 सरकार शिक्षा विभाग द्वारा किया जाना शेष है ।
6. पैरा 17 आन्तरिक निर्धारण शुल्क पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा बोर्ड को न दिए जाने बारे ।
7. पैरा 18-ए मुख्य/उप-परीक्षकों के फुटकर विपत्रों की, जांच के दौरान पाई गई अनियमितताओं बारे ।
- पैरा 18-बी बोर्ड की गाड़ी नं0 एच0पी0जी-3442 की मुरम्मत बिना औपचारिकताएं पूर्ण किए करवाने बारे ।
8. पैरा 19 रोकड़ वही के बैंक समाधान बारे ।
9. पैरा 20 वर्गीकृत आय व व्यय के रजिस्टर बोर्ड अधिनियम-10 पाठ-5 अनुसार न रखने बारे ।
10. पैरा 21 वर्ष 1976-77 का तुलना-पत्र न तैयार करने बारे ।

अवधि 1977-78

1. पैरा 4 अंकेक्षण फीस की शेष राशि ₹3598.40 का सरकार

खजाने के शीर्ष 065 में जमा न करवाये जाने बारे ।

2. पैरा 12-ए उत्तरपुस्तिकाओं की ढुलाई पर अनियमित रूप से खर्च की गई राशि ₹683.40 की बसूली न तो फर्म से न ही दोषी कर्मचारी से की गई ।
- पैरा 12-बी श्री आर.के मलिक (पूर्व सचिव) व श्री देवी राम चालक से निजि यात्रा करने के ऐवज में निर्धारित दर से वसूली न करना ।
- पैरा 12-डी मार्च व जून, 1977 में पेपर सेंटर द्वारा जो पेपर सैट किए थे, के निपटान बारे ।
- पैरा 12-ई कोर्ट के निर्णय अनुसार कार्रवाई करके राशि ₹281.50 व ₹604.10 की ठेकेदार से बसूली करने बारे ।
- पैरा 12-एफ श्री काला राम (पूर्व चपड़ासी) को दी गई छुट्टी के वेतन की अधिक राशि की बसूली बारे ।
- पैरा 12-जी श्री रोड़ा राम (चपड़ासी) को दिनांक 12.7.65 से 10.9.69 तक देय सेवा निवृत्ति उपदान की राशि का पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राप्त करने बारे ।
- पैरा 12-एच अवधि 23.9.1977 से 20.10.1977 तक बिजली के बिल में सम्मिलित ओवरसियर खर्च के रूप में ₹62.20 का विस्तृत विवरण बिजली विभाग से प्राप्त करने बारे ।
- पैरा 12-आई अध्यक्ष द्वारा बोर्ड अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार प्रिंसिपल गर्वनमेंट कालेज चम्बा को परीक्षा हाल की मुरम्मत हेतु दी गई ₹100/- की अग्रिम राशि का समायोजन अभी शेष है ।
- पैरा 12-जे श्री विरेन्द्र कुमार, (क्लर्क) व श्री शिव चनण (क्लर्क) को देय निर्वाह भत्ते की नियमानुसार छः मास की अवधि पश्चात समीक्षा न करने तथा बोर्ड द्वारा स्वीकृत पदों के स्केल व श्रेणी संख्या दर्शाने हेतु फलाई लीफ को तैयार करने बारे ।
- पैरा 12-के टेलीफोन बिलों को सम्बन्धित अधिकारियों से सत्यापित न करवाना व निजि कॉल यदि कोई की गई थी पर

खर्च राशि को बोर्ड निधि में जमा न करवाने बारे ।
टेलीफोन स्थानान्तरण पर खर्च की गई राशि ₹100/-
हेतु अध्यक्ष की स्वीकृति लेने बारे ।

3. पैरा 13 बोर्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को भूमि क्रय व गृह निर्माण हेतु बोर्ड निधि से अग्रिम/लोन राशि बारे यह प्रमाण देने, कि क्या उन द्वारा उक्त राशि का भुगतान लेने उपरान्त जमीन वास्तव में 3 महीने के भीतर खरीदी गई थी, का लिया जाना आपेक्षित है ।
4. पैरा 14 स्थानीय क्रय की गई वस्तुओं जिसका मूल्य दर सूची/टैण्डर किए बिना ₹100/- से अधिक नहीं था यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तु की कुल कीमत वर्ष भर ₹2000/- से अधिक नहीं है के लिए अभिलेख तैयार न करने बारे ।
5. पैरा 15-ए बोर्ड के गठन से ही क्रय किए गए पुराने पहिए व ट्यूब के निपटारे बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
पैरा 15-बी भण्डारण की गई पुरानी अखबारों के निपटारे बारे अंकेक्षण को न बताये जाने बारे ।
पैरा 15-सी प्रवास प्रमाण-पत्र व नाम बदलने हेतु ली गई फीस से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण को न दिखाने बारे ।
पैरा 15-डी डप सचिव (परीक्षा) को जारी किए गए प्रवेश पत्र के निपटारे बारे न बताया जाना ।
पैरा 15-ई गुप्त निधि से एक अंगीठी, एक पतीला व एक कढ़ाई की कीमत सामान्य निधि को स्थानान्तरण करने बारे ।
पैरा 15-एफ प्रतिनियुक्ति पर आए अध्यापकों को बोर्ड निधि से भुगतान की गई छुट्टी के वेतन की राशि ₹2321.95 की शिक्षा विभाग से बसूली करने बारे ।
6. पैरा 18 वर्ष 1977-78 से सम्बन्धित भविष्य निधि के लेखों का पूर्ण न होना ।
7. पैरा 20 वर्गीकृत आय व व्यय रजिस्टर को पूर्णतय तैयार नहीं

करना । बजट से अधिक व्यय का नियमित रूप से पुनर्विनियोजन करना ।

8. पैरा 21 वर्ष 1977-78 के लिए बोर्ड के लेखों का तुलना पत्र तैयार न करना ।

अवधि 1978-79

1. पैरा 4 अंकेक्षण फीस की शेष राशि ₹3598.40 का सरकारी खजाने में जमा न होने बारे ।
2. पैरा 6 अप्रयुक्त अनुदान के शेष को न तो सरकार को वापिस किया गया न ही इसे अनुवर्ती वर्षों में उपयोग करने हेतु उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति ली गई ।
3. पैरा 7 बोर्ड प्रशासन द्वारा वर्ष 1978-79 में इण्डियन बैंक में सावधि जमा के विरुद्ध मु0 ₹10,65,500/- ऋण की राशि का कैश बुक में दर्ज न किया जाना ।
4. पैरा 8 आय की बकाया राशि का विवरण लेखा शाखा में उपलब्ध न करवाने बारे ।
5. पैरा 12-सी बोर्ड प्रशासन द्वारा मु0 ₹14,51,750.00 का कागज खरीदने के लिए दी गई अग्रिम राशि का समायोजन न किया जाना ।
- पैरा 12-डी --निर्णीत--
- पैरा 12-एफ विभिन्न प्रकार के रजिस्ट्रों को तैयार न करने बारे ।
6. पैरा 13-ए सेवा पंजिकाओं के प्रारम्भिक पृष्ठों पर की गई प्रविष्टियां न तो अनुप्रमाणित हैं व न ही इन सेवा पंजिकाओं पर कर्मचारियों/अधिकारियों के हस्ताक्षर लिए गए हैं । जिसे यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।
- पैरा 13-बी इन तथ्यों की छानबीन न करना कि अधीक्षक पद को दिनांक 9.11.1976 से स्वीकृत वेतनमान शिक्षा विभाग में कार्यरत अधीक्षक के वेतनमान से अधिक तो नहीं है ।
- पैरा 13-सी मकान किराया प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना कर्मचारियों

- को मकान किराया भत्ता देना तथा कर्मचारी जिन्हें बोर्ड द्वारा आवास उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद इन्हें मकान किराया भत्ता दिया गया परन्तु किराया बसूल करने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
- पैरा 13-डी कैंटीन ठेकेदार से प्रतिभूति, किराया, पानी व बिजली के खर्चे की बसूली करने बारे ।
- पैरा 13-ई श्री शिव राम ठाकुर (क्लर्क) व श्री सतीश ब्यास (क्लर्क) का बोर्ड की सेवा से त्याग पत्र देने उपरान्त उत्सव अग्रिम राशि, गर्म वस्त्र अग्रिम राशि व अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम राशि की बसूली बारे अंकेक्षण को नहीं बताया जाना ।
- पैरा 13-एफ अपेक्षित दस्तावेजों रोजगार, मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता को प्रस्तुत किए बिना ही श्री विरेन्द्र कुमार व श्री शिव चरण को गुजारा भत्ता देने तथा साथ ही इन कर्मचारियों से कोई ऋण/अग्रिम राशि तो देय नहीं है । प्रमाणित करने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
- पैरा 13-जी बोर्ड द्वारा स्वीकृत पदों का वेतनमान, संख्या: व श्रेणी दर्शाने हेतू फलाई लीफ नहीं बनाए गए ।
- पैरा 13-एच अंशदायी भविष्य निधि के एक लेन देन पश्चात मांग व बसूली रजिस्टर में अतिशेष का न निकाला जाना ।
- पैरा 13-आई मासिक वेतन बिलों के साथ अनुपस्थिति विवरण का संलग्न न होना ।
- पैरा 13-जे कर्मचारियों को नियमित छुट्टियों के दौरान वेतनवृद्धि देने का लाभ दिया जा रहा है जिसे कार्यग्रहण करने उपरान्त ही दिया जाना सुनिश्चित किया जाए ।
- पैरा 13-के नियमित पदोन्नति आदेश जारी करने से पूर्व ही उच्च पदों का कार्यभार ग्रहण करने की प्रथा को समाप्त करने हेतू आवश्यक कार्रवाई करने बारे ।
- पैरा 13-एल पंजाब यूनिवर्सिटी से आंबटित कर्मचारियों के दोहरे छुट्टी के खातों, एक अवधि 16.10.75 व दूसरी

अवधि 17.10.75 से आगे एक ही छुट्टी के खाते को तैयार न करने बारे ।

पैरा 13-एम श्री कमल नैन (क्लर्क) के अर्धवेतन अवकाश के खाते को सही तरीके से नहीं निकाला गया है । उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 22.5.1974 व दिनांक 27.9.1974 से 30.9.1974 तक लिया गया अर्धवेतन अवकाश को न तो उसके खाते से डेबिट किया गया है न ही अधिक भुगतान की गई राशि की बसूली की गई है ।

पैरा 13-एन श्री सनतन सिंह (सहायक सचिव) का सरकार से प्राप्त छुट्टी के वेतन का अंशदान जो उनके बोर्ड की सेवा में स्थाई तौर पर आमेलित होने पश्चात खाते में जमा करवाया जाना था बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।

पैरा 13-ओ श्री आत्मा राम चौहान (क्लर्क) की कार्यग्रहण करने की तिथि व नियुक्ति आदेश जारी करने की तिथि में हुई विसंगति का समाधान करने बारे ।

पैरा 13-पी श्री तापिन्द्र सिंह, पूर्व बोर्ड अध्यक्ष से देय बसूल की जाने वाली राशि की न तो बसूली की गई है, न ही इसे बोर्ड निधि में जमा करवाया गया है ।

पैरा 13-क्यू बोर्ड कर्मचारियों से गर्म वस्त्र पर ब्याज की राशि की बसूली देय नहीं है बारे सुनिश्चित नहीं किया गया ।

पैरा 13-आर श्री ठाकुर सिंह व श्री ओमप्रकाश दैनिक भोगी मिस्त्री व बिजली मिस्त्री की प्रगति रिपोर्ट का बिलों के साथ संलग्न न करने बारे ।

पैरा 13-एस श्री एल.आर. वैद्य (उप सचिव) के पक्ष में बकाया अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु की गई कार्रवाई बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।

7. पैरा 14 दसवीं, हायर सिकैण्डरी भाग-1 व भाग-2 की 1977, जून 1978, सितम्बर 1978 की परीक्षाओं हेतु नियुक्त अकेले परीक्षक (पदहसम म्गंउपदमत) के प्रश्न पत्रों के निपटारे बारे अंकेक्षण को न बताया

जाना।

8. पैरा 15 केन्द्रीय अधीक्षक द्वारा बोर्ड को किए गए नुकसान ₹192.20 की भरपाई हेतु कोई कार्रवाई न करना।
9. पैरा 16 बिलों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने से पूर्व इन बिलों की सभी स्तरों पर उचित जांच न करने बारे।
10. पैरा 17 स्टॉफ कार नियमों का सख्ती से पालन न करने व गाड़ियों का बारम्बार विभिन्न वर्कशाप में औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना मुरम्मत करने बारे।
11. पैरा 18 बोर्ड अधिकारियों द्वारा कार नं० एचपीएस-1892 में की गई निजी यात्रा से सम्बन्धित बसूली बारे अंकेक्षण को न बताया जाना।
12. पैरा 19 गाड़ी के पुराने व वेकार पहिये, अतिरिक्त पुर्जे जिन्हें स्टॉक में दर्ज किया जाना था के निपटारे बारे अंकेक्षण को नहीं बताया गया।
13. पैरा 20 बोर्ड अधिकारियों द्वारा गाड़ी नं० एचपीएस-342 में की गई यात्रा को न तो उन अधिकारियों द्वारा लॉग बुक में सत्यापित किया गया है न ही उसकी बसूली बारे लेखा शाखा को बताया गया है।
14. पैरा 21 नवम्बर, 1978 में बाहन सं० एचपीएस-1892 हेतु क्रय किया 320 लीटर पेट्रोल व उसका उपयोग करने उपरान्त शेष बचा 29 लीटर पेट्रोल को लॉग बुक में अगले महीने में नहीं उठाया गया व न ही 29 लीटर पेट्रोल की कीमत की बसूली करने बारे आवश्यक कार्रवाई की गई।
15. पैरा 22-2 मार्च 1977 में कक्षा दसवीं की साईंस प्रैक्टिकल की परीक्षा के दौरान उपकरणों की टूट-फूट व उपयोग में लाए गए रसायन की कीमत बारे अनियमित रूप से किए गए दोहरे दावों बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई।
- पैरा 22-3 श्री अनिल कुमार दूबे सुपुत्र श्री फकीर चन्द दूबे का नवीं कक्षा का परीक्षा शुल्क ₹45/-वापिस लौटाने हेतु दो बार प्रस्तुत किया गया, दावों का उत्तरदायित्व

निर्धारित न करना ।

- पैरा 22-4 श्रीमति हिमेश कान्ता सुपुत्री श्री राम नाथ पाठक का नवीं कक्षा का परीक्षा शुल्क ₹45/-वापिस लौटाने हेतु दो बार प्रस्तुत किए गए दावों बारे उत्तरदायित्व निर्धारित न करना
16. पैरा 23 मई 1977 की टी0टी0सी0 की प्रैक्टिकल परीक्षा हेतु एक की अपेक्षा तीन परीक्षकों के दावे प्रस्तुत करने के कारणों बारे अंकेक्षण को न बताया जाना।
17. पैरा 24-1 गवर्नमेंट हाई स्कूल बसदेहरा, जिला उना से मार्च, 1979 की आठवीं की परीक्षा हेतु देय बिलम्ब शुल्क ₹25/-की बसूली न करने बारे ।
- पैरा 24-2 गवर्नमेंट हाई स्कूल सन्तोखगढ़ जिला उना आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतु बिलम्ब शुल्क ₹5/-प्रति उम्मीदवार के हिसाब से बसूलने बारे अंकेक्षण को नहीं बताया गया ।
- पैरा 24-3 गवर्नमेंट मिडल स्कूल बोहली, जिला सोलन से दिसम्बर, 1978 की आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतु बिलम्ब शुल्क ₹5/-प्रति उम्मीदवार के हिसाब से कुल ₹25/-की बसूली बारे ।
- पैरा 24-4 गवर्नमेंट मिडल स्कूल कुण्डलु, जिला सोलन से मार्च, 1978 की आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतु बिलम्ब शुल्क ₹5/-प्रति उम्मीदवार के हिसाब से कुल ₹70/-की बसूली करने बारे ।
18. पैरा 25 आय से सम्बन्धित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।
19. पैरा 29 विभागीय स्तर पर निष्पादन किए जा रहे निर्माण कार्य हेतु नियमों व औपचारिकताओं का पूर्ण न करने बारे ।
20. पैरा 30 बोर्ड के उपगृह में रह रहे कर्मचारियों/अधिकारियों, कैटीन ठेकेदार, पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा लिए जा रहे डिपोजिट कार्य हेतु उपयोग में लाए जा रहे पानी के

- खर्चों की बसूली न करने बारे ।
21. पैरा 31 निरीक्षक स्टॉफ (पर्यवेक्षकों) की नियुक्ति दूर दराज के क्षेत्रों के वेरोजगार लोगों में से करने पर यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता की अदायगी करने पर मितव्ययता नियमों की अनदेखी करने बारे ।
22. पैरा 32 बोर्ड की आर्थिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए भविष्य में परीक्षा संचालन हेतू दूर दराज के क्षेत्रों से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति न करने बारे ।
23. पैरा 33 उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने व कुटेशन बुलाने से बचने के लिए कय करने हेतू आपूर्ति आदेशों को विभाजित करने बारे ।
24. पैरा 34 बोर्ड प्रशासन द्वारा भण्डार में रखी वस्तुओं का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाया जाना ।
25. पैरा 35 नियन्त्रक स्टोर, हि0 प्र0 सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना भण्डारण की जाने वाली वस्तुओं का खुले बाजार से कय किए जाने बारे ।
26. पैरा 36 कर्मचारियों/अधिकारियों के यात्रा भत्ता बिलों को सत्यापित/प्रतिहस्ताक्षर करने हेतू बोर्ड प्रशासन द्वारा प्रेषित किए गए नियन्त्रक अधिकारी के कार्यालय आदेश की प्रतिलिपि अंकेक्षण में न प्रस्तुत करने बारे ।
27. पैरा 37-ए श्री कृष्ण चन्द (क्लर्क) द्वारा केन्द्रीय अधीक्षक रामपुर को देय अग्रिम राशि के बैंक ड्राफ्ट के गुम हो जाने उपरान्त उस राशि का टी.एम.ओ. द्वारा भेजे जाने पर खर्च हुई राशि ₹12.80 की वसूली श्री कृष्ण चन्द क्लर्क से न करने तथा दोहरे भुगतान से बेचने हेतू गुम हुए बैंक ड्राफ्ट को रद्द करने बारे कोई कार्रवाई न करना ।
- पैरा 37-बी डैमरेज खर्चों के भुगतान बारे कोई उत्तरदायित्व निर्धारित न करना व न ही इन खर्चों की बसूली दोषी

अधिकारी से करना ।

पैरा 37-सी --निर्णीत--

पैरा 37-डी सचिव बोर्ड द्वारा डेमूरेज खर्चों की स्वीकृति वार्षिक आधार पर ₹25/-तक ही दी जाती है । यह जानने के लिए कि वित्तीय वर्ष 1978-79 में इन खर्चों की स्वीकृति ₹25/-से अधिक तो नहीं हुई है की जांच करने हेतु लेखों को तैयार नहीं किया गया है ।

पैरा 37-ई घटिया पुस्तकों के प्रकाशन उपरान्त बोर्ड प्रशासन द्वारा हिमाचल पब्लिकेशन कार्पोरेशन, लोअर बाजार, शिमला की न तो स्कयोरिटी जब्त की गई, न ही अनुबन्ध रद्द किया गया व न ही उक्त फर्म पर कोई जुर्माना लगाया गया ।

पैरा 37-एफ केन्द्रीय अधीक्षक को आकस्मिक व्यय हेतु भेजी जाने वाली अग्रिम राशि को एकमुश्त न देकर किस्तों में एम.ओ. द्वारा भेजने पर हुए अतिरिक्त खर्चों के रूप में हुई हानि की न तो गणना की गई न ही इस बारे कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया ।

28. पैरा 38 प्रश्न पत्रों की देरी से हुई प्राप्ति पर हुए खर्च की न तो गणना की गई व न ही इससे दोषी से बसूले जाने बारे कोई विचार किया गया ।

30. पैरा 39 चैस्ट (तिजोरी) बुक को तैयार न करने बारे ।

31. पैरा 40 स्थाई अग्रिम राशि देने उपरान्त एच.पी.एफ.आर. के नियम 2.8 (7) के अनुसार प्रमाण पत्र न देने बारे ।

32. पैरा 41 आय व व्यय रजिस्टर में बोर्ड द्वारा किए गये आर्थिक लेन देन का कार्यालय अध्यक्ष से अनुप्रमाणित न किया जाना ।

33. पैरा 42 पिछले सात वर्षों से रोकड़ बही व बैंक विवरण का मिलान न करने बारे।

34. पैरा 43 वर्गीकृत आय व व्यय रजिस्टर का पूर्ण रूप से तैयार न करने बारे ।

35. पैरा 44 बोर्ड के लेखों का तुलन पत्र न तैयार करने बारे ।

36. पैरा 45 उत्तरपुस्तिकाओं के मुलयांकन व उससे सम्बन्धित कार्य हेतू निर्धारित पारिश्रमिक से अधिक यदि कोई भुगतान किया गया है से सम्बन्धित बांछित अभिलेख न दिखाया जाना ।
37. पैरा 46 फर्म को कवर पेपर जारी करने उपरान्त चूंगी/ढुलाई के रूप में खर्च हुए ₹728/- की बसूली उक्त फर्म से न करने बारे ।

अवधि 1979-80

1. पैरा 7 जरूरत से ज्यादा ऋण लेने की वजह से ज्यादा ब्याज दिया जाना जिससे बचा जा सकता था ।
2. पैरा 8 प्राप्ति (आय) की बकाया राशि का विवरण बार-बार अनुरोध करने बावजूद भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया ।
3. पैरा 12-बी वर्ष 1979-80 के दौरान मुद्रण हुई पाठ्य पुस्तकों हेतू प्रकाशक/प्रेस को जारी किए गए वाईट प्रिंटिंग पेपर को खरीदने/प्रेषण बारे अधिकारियों/फर्म को दी गई अग्रिम राशि ₹5000000/- (पचास लाख) के समायोजन हेतू बांछित लेखों को अंकेक्षण में न प्रस्तुत करने बारे ।

पैरा 12-सी --निर्णीत--

पैरा 12-डी --निर्णीत--
4. पैरा 13-ए सेवा पंजिकाओं का हि0 प्र0 वित्तीय नियम खण्ड 1 के नियम 7.14 के अनुसार तैयार व रख-रखाव न करने बारे ।

पैरा 13-बी अस्थाई कर्मचारियों का छुट्टी पर रहने के दौरान स्थानापन्न रूप में कार्य करने बारे प्रमाण पत्र व यह प्रमाण पत्र कि उक्त कर्मचारी सम्भवत उसी स्थान जहां से वह छुट्टी पर गया है में हो सकता है को प्रस्तुत न करने व छुट्टी की स्वीकृति देते समय अंकित न किए जाने बारे ।

- पैरा 13-डी यद्यपि अधिनियम 1970 के नियम 4 अनुसार बोर्ड के कर्मचारियों को हि० प्र० शिक्षा विभाग के वेतनमान प्रतिरूप ही वेतनमान दिया जाता है परन्तु उक्त नियम को संशोधित किए वगैर असिस्टेंट, सिनियर स्केल स्टेनोग्राफर चालकों को हि० प्र० सचिवालय के समान वेतनमान बारे ।
- पैरा 13-ई(1) मकान किराया भत्ते से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देना तथा कर्मचारी जिन्हें प्रशासन द्वारा आवास उपलब्ध करवाए जाने के बावजूद इन्हें मकान किराया भत्ता दिया गया परन्तु किराया वसूलने बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
- पैरा 13-ई(2) दिनांक 6 व 7 जुलाई 1971 को हुई बोर्ड मीटिंग के प्रस्ताव नं० 20 को निष्प्रभावित करते हुए अध्यक्ष बोर्ड द्वारा एक्ट के सेक्शन 19.3 के अधीन दिनांक 11.9.80 को पारित आदेश अनुसार आंबटित ; ससवबंजमकद्ध कर्मचारियों को दिनांक 1.12.79 से बढ़ी हुई दर से मकान किराया भत्ता दिया गया जिसे अंकेक्षण द्वारा अस्थाई तौर पर इस आशय के साथ स्वीकार किया गया किस प्रकार से किए गए निर्णय को अगली बोर्ड मीटिंग में ले जाया जाए परन्तु इस बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
- पैरा 13-एफ कोटशेरा भवन में चलाई गई कैन्टीन का किराया, पानी व बिजली के खर्चे, प्रतिभूति की बसूली कैन्टीन मालिक से करने बारे अंकेक्षण को नहीं बताया गया ।
- पैरा 13-जी श्री विरेन्द्र कुमार को उनके केस की समीक्षा किए बिना जो नियमानुसार निलम्बन के छः मास गुजर जाने उपरान्त की जाती है । गुजारा भत्ता दिया गया तथा साथ ही उससे बांछित प्रमाण पत्र को प्रस्तुत किए बिना उसे मकान किराया भत्ता व प्रतिपूर्ति भत्ता देना व उक्त कर्मचारी से ऋण/अग्रिम राशि की कोई

बसूली नहीं है बारे कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।

पैरा 13-एच संस्थापना जांच पड़ताल रजिस्टर का सही तरीके से तैयार व रख-रखाव न करने बारे ।

पैरा --निर्णीत--

13-आई

पैरा 13-जे कर्मचारियों/अधिकारियों को नियमित छुटियों के दौरान वेतनवृद्धि का लाभ दिया जा रहा है जिसे कार्यग्रहण करने उपरान्त दिया जाना सुनिश्चित किए जाने बारे ।

5. पैरा 14 शिक्षा बोर्ड द्वारा मार्च, 1980 में मण्डी, हमीरपुर, पपरोला, सोलन में पुस्तक विक्रय केन्द्र खोलने उपरान्त वहां पर तैनात किए गए अधिकारियों को मकान किराया भत्ता, प्रतिपूरक भत्ता का शिमला में देय इन भत्तों के प्रतिरूप दिए जाने बारे ।

6. पैरा 17 शिक्षा विभाग की अधिकारी श्रीमति सुन्दरी अग्निहोत्री जो वेतनमान 1200-1700 पर कार्यरत थी की शिक्षा बोर्ड में असिस्टेंट सैक्रेटरी के पद पर प्रतिनियुक्त होने पर वेतनमान 700-1300 जो यू.जी.सी. वेतनमान व उन द्वारा लिए जा रहे वेतनमान से कम था दिया गया । परन्तु अंकेक्षण द्वारा बोर्ड प्राधिकारी से इस वेतनमान (1200-1700) को वैयक्तिक वेतनमान लेने हेतू सरकार व बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त करने बारे कहा गया। इस सम्बन्ध में सरकार से तो स्वीकृति ले ली गई परन्तु बोर्ड द्वारा स्वीकृति दी जानी आपेक्षित है ।

7. पैरा 18 श्रीमति सुरेन्द्रा गुप्ता (क्लर्क) के पक्ष में स्वीकृत असाधारण अवकाश दिनांक 1.10.79 व 2.10.79 हेतू दिये गए वेतन की बसूली न करने बारे।

8. पैरा 19 बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को उपलब्ध करवाए गए भवनों, निर्माण कार्य, कैन्टीन हेतू उपयोग में लाए गए पानी

- के खर्चों की बसूली उपरोक्त से न करने बारे ।
9. पैरा 20 रोकड़ बही व बैंक विवरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि इंडियन बैंक द्वारा कुछ ड्राफ्ट को बोर्ड खातों में जमा करने उपरान्त पुनः डेबिट किया गया । जो इन बैंक ड्राफ्टों का बैंक में अस्वीकार होना दर्शाता है । उपरोक्त ड्राफ्ट बारे पता लगाना व इनका बोर्ड खातों में जमा करवाने बारे लेखा परीक्षा द्वारा बार-बार, कहने उपरान्त भी कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
10. पैरा 21 अप्रैल, 1979, मई, 1979 के व्यय रजिस्टर की जांच करने उपरान्त छात्रवृत्ति के दोहरे भुगतान के रूप में दी गई राशि ₹3980.38 की बसूली दोषी कर्मचारी व छात्रों जिन्हें उक्त छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया है से न बसूलने बारे ।
11. पैरा 23 बोर्ड कर्मचारी श्री देवराज क्लर्क द्वारा उत्तरपुरस्तिकाओं को कल्पा टापरी बस द्वारा छोड़ने पर ₹103/- व्यय आया जबकि बोर्ड की गाड़ी उसी दिन रामपुर के लिए परीक्षा सामग्री लेकर गई इस प्रकार समन्वय से कार्य न करने से बोर्ड निधि पर अनावश्यक बोझ पड़ने बारे ।
- पैरा 23-बी परिस्थितियां जिस बजह से जून, 1979 में कुछ परीक्षा केन्द्रों में पुनः परीक्षा आयोजित की गई, बारे अंकेक्षण को न बताया जाना ।
- पैरा 23-सी नूरपुर सेंटर में दिनांक 18.9.1979 को आयोजित आठवीं कक्षा की परीक्षा हेतु ड्राईगं व पैटिंग के प्रश्नपत्र को ले जाने के लिए श्री विनोद कुमार शर्मा, क्लर्क को भेजा गया । किन परिस्थितियों के कारण विशेष कर्मचारी को सिर्फ एक प्रश्न पत्र लेकर भेजा गया का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
12. पैरा 24 सितम्बर, 1977 से सिसिल होटल शिमला के कमरा नं० 90 को ₹180/- प्रति माह किराये के हिसाब से पुलिस द्वारा जब्त की गई रद्दी का भण्डारण करने

हेतू लिया गया जबकि नियमानुसार जब्त की गई रददी के भण्डारण का उत्तरदायित्व पुलिस विभाग का है । इस प्रकार ₹180/-प्रतिमाह के हिसाब से उपरोक्त किराये की प्रतिपूर्ति उक्त विभाग से करने बारे ।

13. पैरा 25 मार्च, 1979 की दसवीं, हायर सिकैण्डरी भाग-2 की परीक्षा हेतू नियुक्त किये गए अकेले परीक्षक एवम् पेपर सेंटर के प्रश्न पत्रों के निपटारे बारे कोई कार्रवाई न करना ।
14. पैरा 26 मार्च, 1979, मार्च, 1980 की परीक्षाओं के संचालन के लिए केन्द्रीय अधीक्षक को आकस्मिक व्यय हेतू भेजी जाने वाली अग्रिम राशि का एक मुश्त न देकर किश्तों में देना तथा बहुत से स्थानों पर बैंकिंग सुविधा होने के बावजूद उक्त राशि का एम0ओ0 द्वारा भेजने पर हुए अतिरिक्त खर्चे बारे आवश्यक पग न उठाना ।
15. पैरा 27 दिनांक 1.1.78 से संशोधित वेतनमान देने पर श्री अशोक कुमार, क्लर्क द्वारा दिनांक 21.8.78 से 25.9.78 तक बकाया वेतन राशि हेतू बिल प्रस्तुत किया गया जबकि इस दौरान वह जांच आयोग कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर था, ऐसा उनकी निजी संचिका के अवलोकन करने पर पाया गया । हांलाकि अंकेक्षण द्वारा इस प्रकार दावा की गई अनियमित बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया । परन्तु भविष्य में आन्तरिक जांच व्यवस्था को सुदृढ़ करने बारे ।
16. पैरा 28 श्री सनतन सिंह का सरकारी सेवा से बोर्ड की सेवा में स्थाई तौर आमेलित होने पर उनके खाते में जमा अर्जित अवकाश के वेतन की राशिका हिससा जो सरकार द्वारा देय है को सरकार से प्राप्त करने बारे ।
17. पैरा 29 श्री बी. के. शर्मा, सचिव बोर्ड को दिनांक 3.7.78 से 24.4.79 तक स्थाई कमेटी की 59वीं मीटिंग में भाग लेने हेतू ₹1475/- शुल्क दिया गया । शिक्षा

- विभाग से प्राप्त पत्र अनुसार उक्त शुल्क के एक तिहाई भाग को सरकार की समेकित निधि में जमा करवाया जाना था । परन्तु सरकार को देय इस शुल्क बारे लेखा शाखा को अवगत नहीं करवाया गया ।
18. पैरा 30 सरकारी विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों/कर्मचारियों के छुट्टी के वेतन का सरकार से न बसूलने बारे ।
19. पैरा 32 मार्च, 1980 में आयोजित दसवीं कक्षा की परीक्षा से सम्बन्धित रोल नं० 29702 से राशि ₹43.88 बसूलने बारे ।
20. पैरा 34 प्रथम क्लास न्यायिक मैजिस्ट्रेट उना के कोर्ट में दर्ज केस जिसमें बोर्ड पार्टी ही नहीं था में उपस्थिति देने हेतु श्री विपिन कुमार, क्लर्क को यात्रा भत्ता के तौर पर दी गई राशि ₹74.95 की बसूली उक्त कोर्ट से न करने बारे ।
21. पैरा 35 कुमारी पूनम शर्मा, पुत्री श्री बाबू राम शर्मा को सितम्बर, 1978 की परीक्षा में फेल घोषित किया गया । उत्तरपुस्तिका की पुनः जांच करने व अगली परीक्षा मार्च, 1979 में बैठने हेतु उन द्वारा बोर्ड खाते में ₹45/- जमा करवाए गए । परन्तु उत्तरपुस्तिका की पुनः जांच करने पर उन्हें पास घोषित किया गया । इस प्रकार उन द्वारा जमा करवाई गई राशि ₹45/- वापिस लौटा दी गई । क्या परीक्षक/समीक्षक जिसने उक्त उत्तरपुस्तिका की जांच की व जो इतनी बड़ी गल्ती को न पकड़ सके पर कोई जुर्माना लगाया गया या नहीं इस बारे अंकेक्षण को कार्रवाई करने उपरान्त अवगत करवाये जाने बारे ।
22. पैरा 36 रेमिंगटन इंडिया लिमिटेड चण्डीगढ़ को दी गई अग्रिम राशि रुपये संख्या: ई/जी-14/डी-3 द्वारा वापिस प्राप्त कर लिया गया है परन्तु इस राशि का विपिरी की प्रक्रिया बारे बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
23. पैरा 37 मैसर्ज बलासपुर इण्डस्ट्रीज नई दिल्ली को 8 टन

सफेद रियायती प्रिटिंग पेपर की पूर्ति करने हेतू दी गई अग्रिम राशि ₹27690.40 की बसूली न करने बारे ।

24. पैरा 40-ए टेलीफोन नं० 2020 के बिल ₹2124/-को पूर्व अंकेक्षण हेतू लेखा परीक्षा शाखा में प्रस्तुत किया गया परन्तु इससे पूर्व के बिल की न तो विस्तृत जानकारी व न ही बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया ।
- पैरा 40-बी सचिव महोदय के आवास पर स्थापित टेलीफोन नं 3848 से निर्धारित सीमा से अधिक की गई कॉलज बारे स्पष्टीकरण न देना ।
- पैरा 40-सी खर्चों की किफायत करने हेतू सरकार द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार प्रत्येक टेलीफोन के लिए अधिकतम कॉल निर्धारित करने टेलीफोन खर्चों को कम करने व कुछ टेलीफोन नम्बर से एस.टी.डी. सुविधा समाप्त करने की आवश्यकता बारे कहा गया परन्तु इस बारे कोई पग उठाए प्रतीत न होने बारे ।
25. पैरा 41 गाड़ी नं० एचपीएस-1892 की दिनांक 4/78 से 3/79 तक की लॉग बुक जांच करने पर पाया गया कि उक्त गाड़ी का कई अवसरों पर निजी यात्रा करने हेतू उपयोग किया गया है । इस प्रकार की निजी यात्रा बारे बसूली की जानी आपेक्षित है परन्तु प्रशासन द्वारा इस बारे कोई कार्रवाई नहीं की गई ।
26. पैरा 42 अध्यापक कल्याण निधि में वर्ष 1979-80 दौरान राशि ₹15566.90 का सरकार से प्राप्त न करने व उक्त राशि का बोर्ड निधि में जमा करने बारे कोई कार्रवाई न करना ।
27. पैरा 43 सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद अतिरिक्त समय भत्ते को बन्द न करने बारे ।
28. पैरा 44 किराए पर लिए गए भवन की मुरम्मत हेतू किए गए खर्चों की बसूली नगर निगम के बिल से न करने बारे

29. पैरा 45 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना गाड़ियों की मुरम्मत सरकारी वर्कशाप की अपेक्षा अन्य वर्कशाप से करने व उक्त कार्य करने उपरान्त कार्योत्तर स्वीकृति लेना तथा लॉग बुक में यात्रा का उद्देश्य अंकित न करने बारे अंकेक्षण को स्पष्टीकरण नहीं दिया जाना ।
30. पैरा 46 विभागीय स्तर पर करवाए गए निर्माण कार्य हेतू व्यय अनुमान, तकनीकी स्वीकृति व प्रशासकीय अनुमान इत्यादि निर्माण नियमों की अनुपालना न करने बारे ।
31. पैरा 47-ए कोटेशन व उच्च प्राधिकारी की स्वीकृति लेने से बचने हेतु कय आदेशों को विभाजित करने बारे ।
32. पैरा 47-बी सरकार द्वारा प्राधिकृत फर्म व अनुमोदित दर ठेका के बावजूद बोर्ड का खुले बाजार से सामान खरीदने बारे कोई उचित पग न उठाना तथा न ही इस बारे सरकार से एन0ओ0सी0 प्राप्त किया जाना बारे ।
33. पैरा 48 भण्डार में रखे सामान का नियमानुसारा समय-2 पर सत्यापन न करने बारे ।
34. पैरा 49 यात्रा भत्ता दावा हेतू नियन्त्रक अधिकारी की घोषणा न करने बारे ।
35. पैरा 50 यात्रा भत्ता दावों की अग्रिम राशि की जांच करने पर पाया गया कि कई स्थानों पर प्रश्न पत्रों के देरी से प्राप्त होने के कारण इन्हें दोबारा भेजा गया । इस कार्य हेतू कर्मचारियों को विशेष अतिरिक्त समय भत्ता भी दिया गया । इस प्रकार प्रत्येक वर्ष चली आ रही इस अनियमित प्रथा पर हुए खर्च की गणना व दोषी से इसकी बसूली सुनिश्चित करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत न करवाया जाना ।
36. पैरा 51 कैश शाखा द्वारा चैस्ट बुक न तैयार करने बारे ।
37. पैरा 52 स्थाई अग्रिम राशि देने उपरान्त एच0 पी0 एफ0 आर0 के नियम 2.8(7) के अनुसार प्रमाण पत्र न देने बारे ।

38. पैरा 54 वर्गीकृत आय व व्यय के रजिस्टर पूर्ण रूप से तैयार नहीं किए गए हैं बजट से अधिक व्यय का नियमित रूप से पुनर्विनियोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

39. पैरा 55 बोर्ड के लेखों का तुलन पत्र तैयार न करने बारे ।

अवधि 1980-81

1. पैरा 8 दिनांक 31.3.81 तक ₹2,90,992/- की प्राप्तियां बकाया होने बारे ।

2. पैरा 12-बी कागज क्रय व कागज जारी करने से सम्बन्धित पूर्ण लेखा जोखा प्रस्तुत न करने बारे ।

3. पैरा 14 डिपुओं में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता व पहाड़ी प्रतिपूरक भत्ता शिमला स्मृति का दिए जाने बारे ।

4. पैरा 16 गाड़ी की लॉग बुक में पूर्ण व स्पष्ट प्रविष्टियां न करने बारे।

5. पैरा 18 कागज क्रय करने से सम्बन्धित परफोर्मा लेखा तैयार न करने बारे ।

6. पैरा 20 बोर्ड में 28 स्वीकृत सेवादार के पदों के विरुद्ध 146 दैनिक वेतन भोगी सेवादार रखे जाने बारे ।

7. पैरा 25 कोटशेरा भवन में चल रही कैन्टीन के मालिक से प्रतिभूति, किराया, पानी व विजली चार्जिज न लेने बारे ।

अवधि 1981-82

भाग-2

1. पैरा 7 भवन निधि से लिए गए ऋण में से राशि ₹5,00,000/- उक्त निधि को लौटाये जाने शेष बारे ।

2. पैरा 8 दिनांक 31.3.82 तक ₹4,16,263/- की राशि बतौर विभिन्न शुल्कों के रूप में बसूले जाने शेष ।

3. पैरा 12-बी कागज क्रय का परफोर्मा लेखा तैयार न करने बारे तथा विभिन्न फर्मों को जारी कागज की कितनी कीमत बसूली जा चुकी है तथा कितनी शेष है ।

4. पैरा 16 बोर्ड में 28 सेवादारों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध 120 दैनिक भोगी कर्मचारी नियुक्त करने बारे ।
5. पैरा 20 राशि ₹42874/- सेमीनार आयोजित करने के लिए चाय/दोपहर व रात्रि भोजन पर खर्च किए गए परन्तु उक्त राशि एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा बोर्ड को वापिस न लौटाने बारे ।
6. पैरा 21 वितरित राशियों के अभिलेख न रखने बारे ।
7. पैरा 22 नैतिक शिक्षा पर किए गए सैमिनार में ₹80,000/- का व्यय करने बारे ।
8. पैरा 25 बोर्ड प्रशासन द्वारा पेपर क्रय का परफोर्मा लेखा, प्रकाशकों को जारी कागज, कीमत जो प्रकाशकों से बसूल करनी थी, बसूली गई कीमत व कागज का अन्तिम शेष इत्यादि-2 तैयार न करने बारे ।
9. पैरा 28 शिमला से बाहर डिपुओं में तैनात कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता व सी.ए. की अदायगी शिमला स्तर पर किए जाने बारे ।
10. पैरा 34 कोटशेरा भवन में चल रही कैन्टीन के मालिक से प्रतिभूति किराया, पानी व बिजली चार्जिज न लेने बारे ।
11. पैरा 41 ₹300/- की राशि ए.डी.सी. शिमला को गेयटी थियेटर की बुकिंग के दिये गये जिसमें सेमीनार आयोजित करना था की स्वीकृति सरकार से लेने बारे ।

अवधि 1982-83

1. पैरा 7-बी भवन निधि से लिए गए ऋण में से राशि ₹500000/- उक्त निधि को लौटाये जाने शेष बारे ।
2. पैरा 8 आय की बकाया राशि ₹518397/- को बसूल करने बारे ।
3. पैरा 12-बी दिनांक 31.3.1983 तक दिए गये विभिन्न अग्रिमों की शेष राशि ₹1,66,68,164.87 समायोजन हेतु लम्बित होना ।
4. पैरा 13 491 डायरी मै0 अनेजा स्टेशनर्स, दिल्ली, 300 डायरी मै0 मुक्ता प्रिन्टर्ज अम्बाला से ₹3680.18 में

मुद्रित करवाई गई । उक्त डायरी बोर्ड स्टॉफ व मुख्याध्यापकों को जारी की गई । यह खर्चा रोका जा सकता था बारे में ।

5. पैरा 14-ए मैसर्स एस. चांद एण्ड कम्पनी को गणित भाग-1 व 2 की 25000 प्रतियों के मुद्रण हेतु कागज दिया गया परन्तु उसने केवल 6000 प्रतियां ही उक्त पुस्तक की आपूर्ति की इस प्रकार शेष कागज की बसूली किए बिना प्रकाशक को भुगतान जारी करने के कारण उक्त फर्म को अनावश्यक फायदा पहुंचाया गया है, बारे में ।
6. पैरा 14-बी मैसर्स राज पाल एण्ड सन्ज दिल्ली से 478 कम आपूर्ति की गई पुस्तकों के कागज की कीमत बाजार दर से बसूल करने बारे ।
7. पैरा 15 हिमाचल दिवस व अध्यापक दिवस पर अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित करवाने की स्वीकृति सरकार से लेने बारे ।
8. पैरा 17 बोर्ड की गाड़ियों की मुरम्मत पर अत्यधिक खर्च करने बारे ।
9. पैरा 23-बी मैसर्स हरिनाम कला पुस्तक भण्डार दिल्ली से ₹2600/- कागज की कीमत की बसूली बारे ।
पैरा 23-डी विभिन्न प्रकाशकों से कागज की कीमत बसूल करने बारे ।
पैरा 23-ई विभिन्न प्रकाशकों को जारी कागज, बसूली गई कीमत, शेष कीमत व कागज के अन्तिम शेष का लेखा जोखा न रखने बारे ।
10. पैरा 25-ए बोर्ड कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु दी गई अग्रिमों के समर्थन में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र व रहननामा से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
11. पैरा 32 वितरित राशियों के अभिलेख न रखने बारे ।

(प्) 15 वर्षों से अधिक अवधि तक के अनिर्णीत पैरों का विवरण ।

अवधि 1983-84 से 1992-93 तक

अवधि 1983-84

1. पैरा 7 वर्ष 1983-84 के दौरान आयोजित परीक्षाओं से मु0 ८2,86,849/- बतौर परीक्षा शुल्क बसूल जाने शेष हैं ।
2. पैरा 10 पर्याप्त औचित्य स्पष्ट किए बिना अधिक दर से स्टेशनरी सामान खरीदने बारे ।
3. पैरा 17 बोर्ड की गाड़ियों की मुरम्मत बारे ।
4. पैरा 19 हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किराया से अधिक दर से किराये पर लिये गये भवनों की अदायगी करने बारे ।
5. पैरा 20 डिपो के लिए किराये पर लिये गये भवनों के किराया अदायगी के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अम्ल में न लोने बारे ।
6. पैरा 21 बोर्ड कार्यालय शिमला से धर्मशाला स्थानान्तरित करने के कारण धर्मशाला में शिमला स्तर के मकान किराया भत्ता व सी.ए. की अदायगी बारे ।
7. पैरा 22 अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही, व्यक्तिगत खाता, निवेश रजिस्टर व अन्य अभिलेख तैयार न करने बारे ।
8. पैरा 26 अचल सम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक व स्टोर की वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट ऑडिट को न दिखाने बारे ।

इन्सपैक्शन नोट

:-

परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा हि0 प्र0 शिमला दिनांक 22.5.1985 द्वारा निम्नलिखित पैरे अनिर्णीत हैं:-

पैरा 1 अभी तक अनिर्णीत है ।

पैरा 2 -यथोपरि-

पैरा 3 -यथोपरि-

पैरा 4 -यथोपरि-

पैरा 5 -यथोपरि-

पैरा 6 -यथोपरि-

अवधि 1984-85

1. पैरा 7-ए विभिन्न प्रयोजनों हेतु दी गई अग्रिम राशि ₹3,18,53,470.44 दिनांक 31.3.1985 तक असमायोजित होने बारे ।
- पैरा 7-बी पुराने अग्रिम रजिस्टर से प्रविष्टियां नये अग्रिम रजिस्टर में उतारते समय गम्भीर अनियमितताओं/त्रुटियों का पाया जाना ।
- पैरा 7-ई बोर्ड कर्मचारियों द्वारा अन्य बोर्ड व कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर जाते समय अग्रिम के समायोजन न करवाने बारे ।
- पैरा 7-एफ प्रभारी सेल बुक डिपो उना द्वारा प्रस्तुत फुटकर अग्रिम राशि के समायोजन बारे ।
- पैरा 7-एल सर्व श्री के.एल.गुप्ता, सरनदास व योगेन्द्र शर्मा से भवन निर्माण अग्रिमों की बसूली बारे ।
- पैरा 7-एल-4 पहले ही निर्णीत है ।
2. पैरा 11 प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान हजारों रुपये की कीमत की पुस्तकें चम्बा डिपो में कम पाई जाने बारे ।
3. पैरा 14 कैंटीन के ठेकेदार से किराया न बसूलने बारे ।
4. पैरा 15-बी बिजली, टेलीफोन, पानी के कनेक्शन लेने से सम्बन्धित प्रतिभूतियों की अदायगी से सम्बन्धित रजिस्टर न लगाने बारे ।
5. पैरा 16 अध्यापको को मानदेय देने बारे ।
6. पैरा 19-बी भवन निर्माण व भूमि क्रय हेतु दी गई अग्रिम राशि के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 19-सी कर्मचारियों से 3 प्रतिशत दण्ड स्वरूप ब्याज न बसूला जाना जब कर्मचारी भवन निर्माण/भूमि क्रय की किश्त समय पर जमा न करवा सके हैं ।
7. पैरा 20 बोर्ड कर्मचारियों को ओवर टाईम अलाउंस के रूप में लगभग ₹1,86,000/- की अदायगी की गई परन्तु बोर्ड अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को ₹1500/- वार्षिक से अधिक का भुगतान न करने का प्रावधान था इस सम्बन्ध में आवश्यक

- अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे तथा कर्मचारियों ने कार्यालय समय में क्या-2 कार्य किया का अभिलेख भी प्रस्तुत न करना ।
- पैरा 20-ए मिडल परीक्षा परिणाम मार्च, 1984 को तैयार करने के लिए 40 पैसे प्रति छात्र की दर से ₹25,452.50 के भुगतान की स्वीकृति लेने बारे ।
- पैरा 20-बी हायर सैकेण्डरी पार्ट-1 की परीक्षा का परिणाम तैयार करने के लिए ₹7770/- व ₹1243.10 किस आधार पर अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए गए ।
- पैरा 20-सी मैट्रिक का परीक्षा परिणाम तैयार करने के एवज में बोर्ड कर्मचारियों को ₹10359/- व ₹157.05 की अदायगी करने बारे ।
- पैरा 20-डी श्री धर्म सिंह को राशि ₹114.65 का भुगतान मार्च, 1984 की परीक्षा से सम्बन्धित कट लिस्टें तैयार करने के लिए किये जाने बारे ।
- पैरा 20-ई राशि ₹2750/- व ₹1833.95 मिडल स्टैण्ड परीक्षा मार्च, 1983 व दिसम्बर, 1983 को तैयार करने व पूर्णनिरीक्षण के फलस्वरूप की गई परन्तु बोर्ड कर्मचारियों द्वारा क्या-2 कार्य कार्यालय समय में किया से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए ।
- पैरा 20-एफ ₹555/- का भुगतान स्टैंसल इत्यादि तैयार करने के सम्बन्ध में किया गया ।
- पैरा 20-जी श्री कुलदीप कुमार को स्टैंसल काटने का भुगतान स्वीकृत किया गया परन्तु जो कार्य उक्त कर्मचारी ने कार्यालय समय में किया का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया ।
- पैरा 20-एच बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों को राशि ₹465.60 स्टैंसल टाईप करने व काटने के दिए जाने के समर्थन में कार्यालय समय में किए गए कार्य की सूची प्रस्तुत न करने बारे ।

8. पैरा 21 अशंदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही व अन्य अभिलेखों का सही रख-रखाव न करने बारे ।
9. पैरा 22 कोर्ट मामलों से सम्बन्धित मुकदमा रजिस्टर का रख-रखाव न करने बारे ।
10. पैरा 23 बोर्ड की गाड़ियों की मुरम्मत पर अधिक राशि के खर्च करने व अन्य अनियमितताओं बारे ।
11. पैरा 24-ए टेलीफोन रजिस्ट्रों में पूर्ण प्रविष्टियां न करने बारे ।
12. पैरा 25 (ए से बोर्ड निधि से किए गए व्ययों को किसी सीमा तक एच) यदि सही समनवय व सही जांच की जाती तो रोक जा सकता था ।
13. पैरा 26 पुरानी एक्साईज बिल्डिंग भवन की मुरम्मत करवाने में पाई गई अनियमितताओं बारे ।
14. पैरा 27 ₹1800/-सैमीनार आयोजित करने पर किए गए व्यय को नियमों के प्रावधानों सहित संदर्भित करने बारे ।
15. पैरा 28 जे.बी.टी. भवन के हाउस ऐम्स के भुगतान राशि ₹3456/- के बारे में ।
16. पैरा 30-ई पाठ्य पुस्तकें व अभ्यास पुस्तिकाएं बेचने से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
17. पैरा 31-ए किराये पर लिए गए भवनों के किराया बिलों बारे ।
- पैरा 31-बी श्री हरबंस लाल गर्ग के भवन को किराये पर लेने की स्वीकृति बारे ।
- पैरा 31-सी बोर्ड कार्यालय के लिए धर्मशाला में विभिन्न भवनों को किराये पर लेने बारे ।
18. पैरा 32 स्टोर भवन के निर्माण हेतु अध्यक्ष द्वारा ₹1,00,000/- स्वीकृत कर लोक निर्माण विभाग को भेजा गया परन्तु उक्त कार्य के पूर्ण होने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
19. पैरा 33-ए से परीक्षा सामग्री को केन्द्रों तक पहुंचाने में बोर्ड द्वारा

- एफ योजनावद तरीके से कार्य न करने से अधिक खर्च करने बारे जिसे रोका जा सकता था ।
20. पैरा 34-ऐ से स्टॉक/स्टोर क़य करने से सम्बन्धित विभिन्न आडिट ई आपत्तियों बारे ।
21. पैरा 35 बिजली बिलों के भुगतान बारे ।
22. पैरा 36 पानी बिलों के भुगतान बारे ।

अवधि 1985-86

1. पैरा 14 रोकड़ बही में अन-वितरित कैश का विवरण न रखने बारे ।
2. पैरा 15 बोर्ड द्वारा आय शाखा, कैशियर व सम्पर्क कार्यालय को जारी रसीद बुकों का अभिलेख न दिखाने बारे ।
3. पैरा 18-ए संस्थापना पड़ताल रजिस्टर का सही ढंग से रख-रखाव न करने बारे ।
- पैरा 18-बी अनुपस्थिति विवरण के बिना वेतन व अंशदायी भविष्य निधि के अंशदान का अधिक भुगतान करने बारे ।
- पैरा 18-सी सेवा निवृत्त श्री पूर्ण दत्त को वेतन व अंशदायी भविष्य निधि के अंशदान का अधिक भुगतान करने बारे ।
- पैरा 18-डी बोर्ड कर्मचारियों के अवकाश के दो खाते खोलने बारे ।
- पैरा 18-ई कर्मचारियों द्वारा देय कार्य ग्रहण समय से अधिक व्यतीत करने बारे ।
- पैरा 18-एफ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाशों का भुगतान करने बारे ।
- पैरा 18-जी मानदेय के भुगतान बारे ।
- पैरा 18-एच सचिव, श्री सी0आर0बी0 ललित से मानक किराया न बसूलने बारे ।
- पैरा 18-आई बोर्ड अधिकारियों को परिणित अवकाश स्वीकृत करने बारे ।
- पैरा 18-जे पैरा में वर्णित अधिकारियों के अर्जित अवकाश

भुनाने व उपदान राशि का हिस्सा पंजाब यूनिवर्सिटी से लेने बारे ।

4. पैरा 19 अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही व अन्य सम्बन्धित अभिलेखों का रख-रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
5. पैरा 20 कोर्ट मामलों से सम्बन्धित मुकदमा रजिस्टर का रख-रखाव न करने बारे ।
6. पैरा 21 भूतपूर्व सचिव श्री एफ. मनमोहन से लोकल काल के 200/-रु0 बसूल करने बारे ।
7. पैरा 22-ए सभी स्टॉक स्टोर की वर्ष में एक बार प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे।
पैरा 22-बी स्टॉक रजिस्टर का सही रख-रखाव न करने बारे ।
पैरा 22-डी स्टॉक/स्टोर व कैश को सम्भालने वाले कर्मचारियों से प्रतिभूति राशि का न लेना ।
पैरा 22-ई वर्दी सामग्री को पदोन्नति, पदच्युत व त्यागपत्र पर वापिस लौटाने बारे ।
8. पैरा 23-ए कोटशेरा भवन की पानी व बिजली प्रतिभूति व अन्य प्रतिभूति राशियों को प्राप्त न करने बारे ।
पैरा 23-बी बिजली बिल की बसूली बारे ।
9. पैरा 25-बी बोर्ड की गाड़ियों की लाग बुक में की गई यात्रा का पूर्ण उद्देश्य न लिखने बारे ।
पैरा 25-सी बोर्ड की गाड़ियों में की गई प्राइवेट यात्राओं की बसूली बारे ।
10. पैरा 26-ए मै. भारत ट्रेडर्स कोतवाली बाजार धर्मशाला से बिजली के पंखे खरीदने बारे ।
पैरा 26-सी स्टील अलमारियां बिना दर संविदा फर्म से खरीदने बारे ।
11. पैरा 27 नये साल के उपलक्ष्य में ₹1173/- बोर्ड कर्मचारियों के मनोरंजन पर खर्च करने का औचित्य नियमों के अन्तर्गत स्पष्ट करने बारे ।
12. पैरा 28-ए कुछ बोर्ड कर्मचारी नियमित तौर से अंक सूचियां

- अध्यापकों से एकत्रित करने के लिए तैनात किए जाते रहे, का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
- पैरा 28-बी राशि ₹3395/- स्लीप फार्म प्रिन्ट करवाने पर खर्च की गई परन्तु रजिस्टर की जांच में पाया गया कि उक्त फार्म प्रयोग नहीं किए गए ।
13. पैरा 29-बी ₹450/- को बैंक ड्राफ्ट नं० 422465 दिनांक 25.2.1978 जो गुम हो गया था का बोर्ड निधि में जमा करवाने बारे ।
- पैरा 29-सी बोर्ड के अनुभाग अधिकारी श्री एल.सी. जोशी को केन्द्र अधीक्षक श्री एस.पी.शर्मा, केन्द्र भिवानी, मार्च, 1981 द्वारा ₹1000/- दी गई अग्रिम राशि से शेष बची राशि को बोर्ड निधि में जमा करवाने के लिए दी परन्तु उक्त राशि का क्रेडिट बोर्ड निधि में नहीं पाया गया ।
14. पैरा 30 अध्यापक कल्याण निधि बारे ।
15. पैरा 31 मुख्यालय से 8 कि० मी० के दायरे में अध्यापकों को यात्रा भत्ता दिया जाना ।
16. पैरा 33-बी श्री जोगीदास, सहायक को भूमि क्रय हेतु ₹20,265/- दिए गए परन्तु भूमि क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज ऑडिट को न दिखाने बारे ।
- पैरा 33-सी श्री एफ. मनमोहन सिंह भूतपूर्व अतिरिक्त सचिव को दिए गए प्रतिनियुक्ति भत्ता की बसूली या नियमित करने बारे ।
- पैरा 33-डी अध्यापकों को लाखों रुपये के किए गए भुगतानों की वास्तविक भुगतान प्राप्ति रसीदें प्राप्त करने बारे ।
- पैरा 33-ई प्रतिभूतियों के कोई अलग लेखे व सम्पति एवम् देनदारियों के लेखे न रखने बारे ।

अवधि 1986-87

1. पैरा 4-सी रोकड़ शेष व बैंक शेष को मिलाने बारे ।

- पैरा 4-डी शिक्षा बोर्ड के गठन से रोकड़ के अन्तिम शेष का मिलान बैंक के अन्तिम शेष न किए जाने बारे ।
- पैरा 4-ई डिपो व शिमला की आय को रोकड़ बही में न लिए जाने के कारण बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति का परिलक्षित न होना ।
- पैरा 4-एफ हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 14-2 के अनुसार बोर्ड निधि की शुद्ध बचत को सरकार को भेजने बारे ।
2. पैरा 8 अलग तिथियों को जरूरत से ज्यादा व उच्च ब्याज दर से ऋण लेने का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
3. पैरा 9 विभिन्न किए गए निवेशों का रिकार्ड उपलब्ध न करवाने बारे ।
4. पैरा 10-ए रोकड़ शेष व बैंक शेष का मिलान बोर्ड के गठन से न करने बारे ।
- पैरा 10-बी सामान्य रोकड़ वही में पाई गई त्रुटियों बारे ।
5. पैरा 11-ए ₹1,13,648/- की राशि विभिन्न परीक्षार्थियों से बसूली हेतु शेष होना ।
- पैरा 11-सी सम्पर्क कार्यालय शिमला की आय वर्ष 1986-87 के पोस्ट आडिट बारे ।
6. पैरा 12 मांग और बसूली रजिस्टर का रख-रखाव सही ढंग से न करना ।
7. पैरा 13 अवितरित रोकड़ का हिसाब किताब न रखने बारे ।
8. पैरा 14-डी पुराने अग्रिम रजिस्टर की प्रविष्टियां नये रजिस्टर में करते समय गम्भीर अनियमितताओं/त्रुटियों बारे ।
- पैरा 14-ओ श्री राज जी दास मुख्य परीक्षक, मार्च, 1986 से ₹75/-रु0 की बसूली बारे ।
- पैरा 14-पी श्री कांशी राम मुख्य परीक्षक मार्च, 1985 से ₹88.50 की बसूली बारे ।
- पैरा 14-क्यू श्री रणवीर सिंह पाल मुख्य परीक्षक मार्च, 1985 से ₹47/- की बसूली बारे ।
- पैरा 14-आर केन्द्र अधीक्षक लाहाड़ हरियाणा मैट्रिक मार्च, 1981

से ₹1162.65 की बसूली बारे ।

पैरा 14-डब्ल्यू श्री गोपाल शर्मा एडवोकेट हाई कोर्ट को हिसार कोर्ट में ₹500/- अग्रिम जमा करवाने के लिए दिए गए थे परन्तु उक्त राशि अभी तक असमायोजित है ।

9. पैरा 15-ए संस्थापन पड़ताल रजिस्टर का सही ढंग से रख-रखाव न करने बारे ।

पैरा 15-डी अध्यक्ष के निजी सचिव व पी.ए. को, वाहन भत्ता नियमित अवकाश व प्रवास के दौरान दिए जाने बारे ।

पैरा 15-ई त्यौहार एडवांस का अनियमित तौर से अहरण एवम् वितरण ।

पैरा 15-एफ बोर्ड कर्मचारियों के दूसरे बोर्डों व कारपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर जाने की सेवा शर्तों बारे ।

पैरा 15-एच बोर्ड के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के अर्जित अवकाश व उपदान राशि पंजाब यूनिवर्सिटी से बसूलने बारे ।

पैरा 15-एल बोर्ड कर्मचारियों को राजधानी भत्ता दिए जाने की स्वीकृति बोर्ड से लेने बारे ।

पैरा 15-एम विकलांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता की अदायगी राजपत्रित अवकाश के दौरान भी करने बारे ।

पैरा 15-एन बोर्ड कर्मचारियों को विना बन्धक नामा के भवन निर्माण व भूमि क्रय हेतु अग्रिम दिया जाना व क्रय सम्बन्धित दस्तावेज न लेने बारे ।

पैरा 15-ओ बोर्ड कर्मचारियों को स्कूटर क्रय हेतु अग्रिम का दिया जाना परन्तु क्रय सम्बन्धित दस्तावेज न लेने बारे ।

पैरा 15-पी गर्म कपड़े हेतु दिए गए एडवांस पर दण्ड स्वरूप ब्याज का न काटे जाने बारे ।

10. पैरा 18-ए भविष्य निधि खाता की रोकड़ वही का रख-रखाव न करने बारे ।

पैरा 18-बी अंशदायी भविष्य निधि की वेतन से कटौती व बसूली की राशि का निधि में देरी से जमा करवाने

बारे ।

11. पैरा 19-ए मुकदमा रजिस्टर का न रखा जाना ।
पैरा 19-बी 350/-रु0 जो कोर्ट में जमा करवाए, वकील की फीस राशि व यात्रा भत्ता बिल राशि जो अनावश्यक रूप से बोर्ड को वहन करनी पड़ी, का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
12. पैरा 20 बोर्ड के विभिन्न देलीफोनों के रजिस्टरों का सही ढंग से रख-रखाव न करने बारे ।
13. पैरा 21 तकनीकी शिक्षा बोर्ड की देनदारियों को बोर्ड निधि से भुगतान करने फलस्वरूप प्रत्यर्पण बारे ।
14. पैरा 22-ए-2 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन कलकत्ता से 21 रिम कागज कम प्राप्त करने बारे ।
पैरा 22-बी-2 पेपर क्रय, जारी व शेष का कोइ लेखा-जोखा न रखने बारे ।
पैरा 22-सी कागज क्रय के समायोजन बारे ।
पैरा 22-डी कागज क्रय की स्वीकृति अध्यक्ष हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड से लेने बारे ।
15. पैरा 24-ए स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
पैरा 24-बी तीन बल्बों की कीमत की बसूली बारे ।
पैरा 24-सी बोर्ड के गठन से लेकर सभी स्टॉक रजिस्टरों का रख-रखाव करने बारे ।
पैरा 24-डी स्टॉक/स्टोर की खरीद किफायती तौर से करने बारे ।
पैरा 24-ई स्टॉक/स्टोर की खरीद साल में एक बार व न्यूनतम संविदाकार से करने बारे ।
पैरा 24-एफ स्टोर की देख-रेख करने वाले कर्मचारी से प्रतिभूति राशि न लेने बारे ।
पैरा 24-जी लज प्रिन्टर्ज को किए गए भुगतान राशि ₹3330/- व 5335/- में पाई गई त्रुटियों बारे ।
पैरा 24-जे बोर्ड की मैटाडोर गाड़ी की मुरम्मत पर ₹2200/- खर्च करने की स्वीकृति अध्यक्ष से लेने बारे ।

16. पैरा 25 बोर्ड कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर ₹1965/- की राशि के उपहार बोर्ड निधि से देने की स्वीकृति सरकार से लेने बारे ।
17. पैरा 26 बोर्ड में वाईडर होने के वावजूद वाईडिंग कार्य पर वर्ष 1986-87 के दौरान ₹89537.15 खर्च करने का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
18. पैरा 28 टी.ए./डी.ए. के रूप में अत्याधिक राशि का खर्च किया जाना जबकि इसे रोका जा सकता था ।
19. पैरा 29-ए से विविध मामलों से सम्बन्धित ।
ई
20. पैरा 30 वार्षिक लेखा के सम्बन्ध में ।

अवधि 1987-88

1. पैरा 4-ए डिपो खातों की पूर्ण आय को बोर्ड की मुख्य रोकड़ बही में न लेने के कारण प्राप्त आय के आंकड़े बैंक जमा राशि से मेल नहीं खाते ।
- पैरा 4-बी डिपो की आय को बोर्ड निधि में न लेना तथा कुछ व्यय सीधे तौर से डिपो खातों से कर दिया गया ।
- पैरा 4-सी रोकड़ शेष में ₹313.10 के अन्तर का मिलान करने बारे ।
- पैरा 4-डी बैंक शेष व रोकड़ शेष को मिलाने बारे ।
- पैरा 4-ई रोकड़ शेष का मिलान बैंक शेष से न करने के कारण कई गलतियों, गवन व बोर्ड निधि के दुर्विनियोजन की सम्भावना हमेशा बनी रहना ।
- पैरा 4-एफ वर्ष के दौरान प्राप्त आय व अन्तिम शेष की स्थिति जो वित्तीय स्थिति में दर्शाई गई है, बोर्ड की वास्तविक सही स्थिति को परिलक्षित न करना ।
2. पैरा 9 विभिन्न निवेशों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत न करने बारे ।
3. पैरा 10 बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार विभिन्न परीक्षार्थियों से ₹196947/- बतौर परीक्षा शुल्क बसूले जाने शेष बारे ।

4. पैरा 11-डी पुराने अग्रिम रजिस्ट्रों से नये अग्रिम रजिस्ट्रों में प्रविष्टियां करते समय अनेक अनियमितताएं पाये जाने बारे ।
5. पैरा 13-ए बोर्ड की अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी की जांच में अनेक त्रुटियों का पाया जाना ।
पैरा 13-बी सी.पी.एफ. खाता की रोकड़ बही का रख-रखाव न करना ।
6. पैरा 16-सी हिन्दुस्तान पेपर मिलज से 12 रिम (3 बण्डल) कागज कम प्राप्त होने की कीमत की बसूली करना ।
पैरा 16-डी पेपर के स्टॉक रजिस्टर का सही ढंग से रख-रखाव न करने बारे ।
7. पैरा 18 श्री सी.आर.बी. ललित सचिव द्वारा नकल कमेटी में उपस्थिति के ऐवज में ₹1925/- प्राप्त किए, की बसूली करनी शेष है ।
8. पैरा 23-ए बोर्ड की नई बिल्डिंग के कार्य में ठेकेदार द्वारा बोर्ड मीटर से बिजली लेने की बसूली प्रभावी करने बारे ।
पैरा 23-ई बोर्ड द्वारा लगाये गये विभिन्न समाचार-पत्र, मैगजीन व पत्रिकाओं के निपटान बारे ।
पैरा 23-एफ डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड लेखा में लेखांकित न करना एक गम्भीर कोताही का होना ।
पैरा 23-जी वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।

अवधि 1988-89

1. पैरा 4-ए वर्ष 1988-89 में प्राप्त आय का बैंक के साथ मिलान न होना जिसका कारण डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड की आय में सम्मिलित न करना ।
पैरा 4-बी डिपुओं की समस्त आय को लेखांकित न करना तथा सीधे व्यय कर लेना ।
पैरा 4-सी रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹313.10 का अन्तर परिलक्षित होना ।
पैरा 4-डी रोकड़ शेष को कभी भी बैंक शेष से मिलान करने

का प्रयोस न करना ।

- पैरा 4-एफ डिपुओं की समस्त आय को बोर्ड आय में सम्मिलित न करने पर बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति का आंकलन न होना ।
2. पैरा-8 बोर्ड द्वारा जरूरत से ज्यादा का ऋण लेने बारे ।
3. पैरा 9 बोर्ड द्वारा विभिन्न निधियों से किए गए निवेशों के रजिस्टर में पाई गई त्रुटियों बारे ।
4. पैरा 12 सम्पर्क कार्यालय शिमला की आय से सम्बन्धित ऑडिट के दौरान पाई गई विभिन्न आपत्तियां ।
5. पैरा 14-ए बोर्ड द्वारा दिनांक 31.3.1989 तक दी गई अग्रिम राशियों में से ₹6,56,35,116/- समायोजन हेतु लम्बित बारे ।
- पैरा 14-बी परीक्षा संचालन हेतु 31.12.1987 तक दी गई अग्रिम राशियों में से ₹10,66,008.50 अभी तक असमायोजित ।
- पैरा 14-डी केन्द्र अधीक्षकों को जरूरत से ज्यादा की अग्रिम राशियों के दिये जाने बारे ।
- पैरा 14-एफ विभिन्न बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों व बोर्ड सदस्यों को यात्रा भत्ता अग्रिम राशि में से ₹17378/- का असमायोजित पाया जाना ।
- पैरा 14-जी श्री सुमेर नाथ शर्मा अनुभाग अधिकारी को पुर्नमुल्यांकन हेतु दी गई ₹8500/- की अग्रिम राशि का समायोजन शेष ।
- पैरा 14-एच बोर्ड कर्मचारियों को जरूरत से ज्यादा के टी.ए. एडवांस का दिया जाना ।
- पैरा 14-आई सेल बुक डिपो प्रभारियों को ₹3,45,379/- की दी गई अग्रिम राशियों का समायोजन शेष है ।
- पैरा 14-जे बोर्ड कर्मचारियों द्वारा ली गई अग्रिम राशियों में से शेष बची राशियों का अस्थायी तौर से दुर्विनियोजन करने बारे ।
- पैरा 14-एल केन्द्र अधीक्षकों से अग्रिमों से शेष बची राशि के बसूली बारे ।

- पैरा 14-एम बोर्ड द्वारा विभिन्न डिपॉजिट वर्क्स हेतु दी गई अग्रिमों का समायोजन शेष है ।
- पैरा 14-एन बिजली बोर्ड को दी गई अग्रिम राशियों के समायोजन लेखे प्रस्तुत न करना ।
- पैरा 14-ओ ₹3537/- की अग्रिम राशि दूरसंचार विभाग धर्मशाला को टेलीफोन पोल व लाईन बदलने के लिए दिए गए परन्तु समायोजन शेष है ।
6. पैरा 17 अध्यापक कल्याण निधि बारे ।
7. पैरा 19-ए कागज क्रय से सम्बन्धित कागज प्राप्ति, कागज जारी करना व अन्तिम शेष इत्यादि-2 का अभिलेख प्रस्तुत न करना ।
- पैरा 19-बी 31 रिम कम पेपर प्राप्त करने की बसूली हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से करने बारे ।
8. पैरा 22-ए पाठ्यक्रम कमेटी की मिटिंग में चायपान/भोजन पर खर्च ₹2043/- की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेना ।
- पैरा 22-बी-2 ₹126/- की वसूली बारे ।
- पैरा 22-सी बहुत से मामलों में बिजली सामान की खरीद थोड़ी-2 मात्रा में गैर किफायती व्यवस्था से करने बारे ।
- पैरा 22-डी डिपो आय का लेखा जोखा सही ढंग से न रखना ।
- पैरा 22-एफ उत्तर पुस्तिकाओं/प्रश्न पत्रों को एकत्रित करने के सम्बन्ध में किए गए यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।
- पैरा 22-एच खुले बाजार से फर्नीचर खरीदने का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
- पैरा 22-आई वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।

अवधि 1989-90

1. पैरा 4-बी रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹313.10 का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
- पैरा 4-सी कैश बुक अन्तिम शेष का बैंक अन्तिम शेष से

- मिलान न करने बारे ।
- पैरा 4-डी पुस्तक विक्रय केन्द्रों की पूर्ण आय को रोकड़ बही में न लेने बारे ।
2. पैरा 9 निवेशों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण ऑडिट को न दिखाने बारे ।
3. पैरा 10 कैश बुक का लेखा समाधान (रिकन्सिलेशन) न करने बारे ।
4. पैरा 12-ए से सम्पर्क कार्यालय शिमला की वर्ष 1989-90 की आय के पोस्ट ऑडिट दौरान पाई गई अनियमितताओं बारे ।
5. पैरा 13 मुख्यालय धर्मशाला के आय रजिस्टर में कम जमा राशि बारे ।
6. पैरा 14-डी केन्द्र अधीक्षकों के विरुद्ध बकाया अग्रिम राशि बारे ।
7. पैरा 15 श्री राकेश कंवर वकील को मामला नं. 372 कु0 चन्द्रावती बनाम हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के लिए ₹1500/- का भुगतान ।
8. पैरा 16 उड़न दस्तों के लिए टैक्सी को किराये पर लेने बारे ।
9. पैरा 18 मार्च, 87 सितम्बर, 87, व मार्च 88 की परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य/उप-परीक्षकों से मेहनताना की बसूली बारे ।
10. पैरा 19 विश्राम गृह की स्थापना पर ₹7407/- के खर्च बारे ।
11. पैरा 21 हि0 प्र0 सरकार से स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की आवास कालौनी के लिए भूमि का अधिग्रहण करने बारे ।
12. पैरा 22-4 स्कूटर एडवांस से शेष बची राशि को एक मुश्त जमा करवाने बारे ।
13. पैरा 22-5 श्री सी.आर.बी.ललित, भूतपूर्व सचिव के प्रतिनियुक्ति की अवधि व शर्तों में आवास सुविधा बारे ।
14. पैरा 22-6 श्री पी. पी. कटोच, सचिव को बोर्ड निशुल्क आवास

सुविधा के मामले को हि० प्र० सरकार द्वारा अस्वीकृत करने बारे ।

15. पैरा 24 माननीय शिक्षा मन्त्री द्वारा टैक्सी प्रयोग के भुगतान बारे ।
16. पैरा 28 कागज के कय व उपयोगिता से सम्बन्धित अभिलेख को न दिखाने बारे ।
17. पैरा 29-2 भण्डार सम्भालने वाले कर्मचारी से प्रतिभूति राशि न लेने बारे ।

अवधि 1990-91

1. पैरा 4-बी कैश बुक व बैंक अन्तिम शेष में ₹313.10 का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
- पैरा 4-सी वास्तविक प्राप्ति व वर्गीकृत प्राप्ति में ₹80/- के अन्तर बारे ।
- पैरा 4-डी रोकड़ वही का बैंक के साथ लेखा समाधान (रिकन्सीलेशन) न करने बारे ।
2. पैरा 8 बोर्ड स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया धर्मशाला से लिये गये त्रण बारे ।
3. पैरा 10 वर्ष 1990-91 के दौरान ₹2,45,870/- विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क का बसूल किया जाना बकाया था ।
4. पैरा 11-बी डिपॉजिट वर्क्स हेतु दी गइ अग्रिम राशि बारे ।
5. पैरा 12-1 संस्थापना पड़ताल रजिस्टर का रख-रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
- पैरा 12-2 वेतन, मकान भत्ता व डी०ए० इत्यादि बारे ।
- पैरा 12-3 वेतन बिलों के साथ अनुपस्थिति विवरण न लगाने बारे ।
- पैरा 12-4 स्कूटर एडवांस दिए जाने के बावजूद कय सम्बन्धित अभिलेख कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 12-5 एल.टी.सी./एच.टी.सी. अग्रिम धन की बसूली बारे ।
- पैरा 12-6 यात्रा भत्ता अग्रिम राशि की बसूली बारे ।
6. पैरा 13 केन्द्र अधीक्षकों के विरुद्ध बकाया अग्रिम राशि बारे ।

7. पैरा 14 परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य/उप परीक्षकों से मेहनताना की बसूली बारे ।
8. पैरा 15-ए उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
- पैरा 15-बी माननीय उच्च न्यायालय की याचिका सं० 117, 1989 पर निर्णय के फलस्वरूप श्री चमन लाल सुपुत्र श्री चुनी लाल को ₹10,000/- का भुगतान मैट्रिक की परीक्षा (3/81) का संशोधित प्रमाण पत्र जारी न करने बारे ।
- पैरा 15-सी मुकदमा नं० सी.डब्ल्यू.पी. 490/90 नीरज मदेक बनाम स्कूल शिक्षा बोर्ड जिसका निर्णय 14.11.90 को हुआ बारे ।
9. पैरा 16 गाड़ी नं० एच०पी०के० 2373 की मुरम्मत बारे ।
10. पैरा 17 गाड़ी नं० एच.पी.के. 2373 की मुरम्मत व अनुमान से अधिक व्यय का दायित्व निर्धारण करने बारे ।
11. पैरा 18. प्राईवेट वाहन में यात्रा करने के लिए वित्त विभाग द्वारा असहमति देने उपरान्त बसूली बारे ।
12. पैरा 19. विविध त्रुटियों बारे ।

अवधि 1991-92

1. पैरा 4-ए डिपुओं का पूर्ण आय बोर्ड की आय में गणना में न लिए जाने के कारण बैंक आय के साथ मिलान न होना ।
- पैरा 4-बी रोकड़ बही अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में ₹313.10 का अन्तर परिलक्षित होना ।
- पैरा 4-सी वास्तविक प्राप्तियों व वर्गीकृत प्राप्तियों में ₹42/- के अन्तर बारे ।
- पैरा 4-डी कैश बुक का बैंक शेष से मिलान न करने बारे ।
- पैरा 4-ई पूर्ण वर्ष की प्राप्ति व दिनांक 31.3.92 का अन्तिम शेष का सही ब्यौरा बोर्ड कैश बुक में परिलक्षित न होने बारे ।
- पैरा 4-एफ बैंक में जमा अमानत के तौर पर जो राशियां रखी

- गई थी उन पर ब्याज की राशियों को आय गणना में न लेने बारे ।
- पैरा 4-जी गुप्त निधि के शेष को अन्तिम शेष में न लेना ।
- पैरा 4-एच बैंक शेष व रोकड़ शेष में ₹9,45,620.53 का अन्तर ।
- पैरा 4-आई अध्यापक कल्याण निधि की पृथक रोकड़ बही न रखने व बैंक से मिलान करने बारे ।
- पैरा 4-जे अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी बारे ।
2. पैरा 7 प्राप्त अनुदान राशि का विवरण खर्च के अभिलेख सही ढंग से न करने बारे ।
3. पैरा 8 बोर्ड द्वारा प्राप्त किए गए ऋण बारे ।
4. पैरा 10-ए वर्ष 1991-92 के दौरान ₹6,83,385/- विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क का बसूल किया जाना बकाया बारे ।
- पैरा 10-बी बोर्ड की विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों की आय बारे ।
- पैरा 10-सी कुल्लू तथा धर्मशाला डिपो से सम्बन्धित बैंक खाते में बैंक द्वारा ब्याज न दिए जाने बारे ।
- पैरा 10-डी डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड की मुख्य रोकड़ वही में न लिया जाना ।
- पैरा 10-ई बेकार हो गई पुस्तकों को रद्दी के रूप में न बेचने बारे ।
- पैरा 10-एफ समस्त विक्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में लेखा परीक्षा विभाग को कोई सूचनायें/दस्तावेज उपलब्ध न करवाने बारे ।
5. पैरा 12-क बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष तुलना पत्र तैयार करके ऑडिट को प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 12-ख (1 से 7) लेखाओं का दोषपूर्ण प्रस्तुतीकरण बारे ।
- पैरा 12-बी (1 से 4) बी-2 (1 से 4) वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
6. पैरा 13-क निर्णीत ।

- पैरा 13-ख बोर्ड कर्मचारियों को शिमला स्तर का आवास भत्ता दिए जाने बारे ।
7. पैरा 16 भूतपूर्व सचिवों व वर्तमान सचिव को बिना किराये की आवास सुविधा प्रदान करने बारे ।
8. पैरा 17-क निशुल्क ब्याज के अग्रिम किराया भुगतान करने से बोर्ड निधि को होने वाली सम्भावित हानि बारे ।
- पैरा 17-ख -----यथोपरि-----
9. पैरा 18. श्री सीता राम चौहान जिला शिक्षा अधिकारी धर्मशाला द्वारा दोहरे भुगतान का बिल ऑडिट में प्रस्तुत करने बारे ।
10. पैरा 19 बोर्ड की वाहन एच.आई.के. 222 द्वारा प्राईवेट यात्रा करने के ऐवज में बसूली करने बारे ।
11. पैरा 20 गाड़ी नं० एच.आई.के-63 की दुर्घटना के कारण मुरम्मत व बीमा कम्पनी से मुरम्मत की राशि के बराबर बोर्ड खाते में जमा करवाने बारे ।
12. पैरा 21 सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल की खपत में बचत बारे ।
13. पैरा 23 निर्णीत लम्बित राशियों की सूचि नवीनतम पैरा में सम्मिलित है ।
14. पैरा 25 बोर्ड अध्यक्ष श्री एस.एस. सिद्धू द्वारा वितायुक्त (अपील) के बतौर किए गए प्रवास के दैनिक व यात्रा भत्ता खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार से किये जाने बारे ।
- 15 पैरा 26 परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य/उप परीक्षकों से मेहनताना की बसूली बारे ।
- 16 पैरा 27 केन्द्र अधीक्षकों के विरुद्ध बकाया अग्रिम राशि के बारे में ।
- 17 पैरा 28 यात्रा भत्ता बिलों का बिना जांच पड़ताल के लेखा परीक्षा शाखा में भुगतान पारित करने के प्रस्तुतीकरण बारे ।
- 18 पैरा 29-क उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन बारे ।
- पैरा 29-ख स्थल मूल्यांकन केन्द्र कमशः सोलन, उना पालमपुर

- तथा नादौन से सम्बन्धित फुटकर विपत्रों के अंकेक्षण बारे ।
- 19 पैरा 30 वैन द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की सामग्री ले जाने बारे ।
20. पैरा 31 ₹1,15,500/- अग्रिम राशि के रूप में पाठ्य पुस्तक अंग्रेजी गाईड रीडिंग जमा दो का भुगतान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के पक्ष में करने उपरान्त समायोजन लेखे प्रस्तुत न करने बारे ।
21. पैरा 32 ₹100/- मुकदमें की स्थगन लाग का उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
22. पैरा 33-क ₹3000/- की अग्रिम राशि का विभागीय समिति की बैठक में चायपान व भोज इत्यादि के लिए अस्थाई तौर पर पारित किए जाने बारे ।
- पैरा 33-ख सूचि रजिस्टर का रख-रखाव करने बारे ।
- पैरा 33-ग बोर्ड की सम्पति एवं स्टॉक रजिस्ट्रों का प्रति वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाये जाने बारे ।
- पैरा 33-घ परीक्षा कार्य के लिये नियुक्त अध्यापकों को उनके पारित पारिश्रमिक बिलों का भुगतान काफी समय बाद करने बारे ।
- पैरा 33-ड. ₹30/- का व्यय रोकड़ वही में अधिक दर्ज किए जाने बारे ।
- पैरा 33-च किए गए भुगतान से कम राशि की प्राप्ति रसीदों का पाया जाना ।
- पैरा 33-छ राशियों के भुगतान होने की पुष्टि में आपेक्षित रसीदें प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 33-ज --यथोपरि--
- पैरा 33-झ पार्ट-टाईम दैनिक भोगियों के मस्टोल में उनका पूरा पता व पिता का नाम का उल्लेख न किये जाने बारे ।
- पैरा 33-ट बजट प्रावधान दर्शाये बिना ही भुगतान विपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये जाने बारे ।

पैरा 33-ठ वर्ष 1991-92 की अधियाचना पर कोई कार्रवाई न करने बारे ।

अवधि 1992-93

भाग-11

1. पैरा 4(ए-1 से ए-5) (बी से आई तक) वित्तीय स्थिति पर की गई टिप्पणियों बारे ।
2. पैरा 7 हि0 प्र0 शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे ।
3. पैरा 8 बोर्ड द्वारा लिए गये ऋण पर किस ब्याज दर से गणना की गई बारे।
4. पैरा 9 कैश बुक का लेखा समाधान (रिकन्सीलेशन) न करने बारे ।
5. पैरा 10-ए वर्ष 1992-93 में ₹4,72,735 विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क के कारण बसूल किए जाने शेष थे ।
- पैरा 10-बी व बोर्ड के विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों की आय बारे सी ।
6. पैरा 12 बोर्ड के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियां व तुलना पत्र तैयार न करने बारे ।
7. पैरा 13-क श्री धीरेन्द्र मोहिल सहायक (पदच्युत) से राशि ₹31634.45 की बसूली बारे ।
- पैरा 13-घ 1.1.86 से 31.3.88 तक मकान किराया भत्ता की पहली तीन किश्तों की राशि को अस्थाई तौर पर पारित करने बारे ।
- पैरा 13-ड. मूल नियम-35 के अधीन स्थानापन्न वेतन को प्रतिबन्धित न किये जाने के सम्बन्ध में रुपये ₹6,78,405/- की अदायगी की बसूली करने बारे ।
- पैरा 13-च अग्रिम धन राशि के समायोजन बारे ।
- पैरा 13-छ बोर्ड के कर्मचारियों को शिमला स्तर पर आवास भत्ता दिए जाने बारे।
8. पैरा 14-क विभिन्न अधिकारियों को मानदेय के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्र में प्रति निरीक्षण ₹15/- की दर से

- दोहरा भुगतान किए जाने बारे ।
9. पैरा 17 भविष्य निधि पर ब्याज की गणना वर्ष 1985-86 से लेकर आज तक अर्द्धवार्षिक के स्थान पर वार्षिक आधार पर करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिए जाने उपरान्त भविष्य निधि खातों में ब्याज की वार्षिक आधार पर गणना न किए जाने बारे ।
10. पैरा 18 यात्रा भत्ता बिलों का बिना जांच पड़ताल के लेखा परीक्षा शाखा में भुगतान पारित करने हेतु प्रस्तुतीकरण करने बारे ।
11. पैरा 19-क श्री एस. एस. सिद्धू अध्यक्ष हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड को यात्रा भत्ता बिल वित्तयुक्त अपील के तौर पर कार्य करने की अदायगी की राशि को हि0 प्र0 सरकार से प्राप्त करने बारे ।
- पैरा 19-ख अध्यक्ष श्री एस. एस. सिद्धू के अवधि 15.3.91 से 16.3.91 तथा 17.3.92 से 30.3.92 तक के यात्रा भत्ता बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करवाने बारे ।
- पैरा 19-ग श्री एस.एस. सिद्धू भा0 प्र0 सेवा भूतपूर्व अध्यक्ष एवं वित्तयुक्त अपील हि0 प्र0 को टैक्सी चार्जिज ₹750/- की राशि के बराबर सरकार से अनुदान प्राप्त करने बारे ।
12. पैरा 20 केन्द्र अधीक्षकों के विरुद्ध बकाया अग्रिम राशि की बसूली बारे ।
13. पैरा 21 परीक्षा में नियुक्त किए गए मुख्य/उप परीक्षकों से मेहनताना की वसूली बारे ।
14. पैरा 22-क वार्षिक परीक्षा मैट्रिक मार्च, 1992 के प्रश्न-पत्रों को टैक्सियों द्वारा भेजे जाने के कारण राशि ₹12115/- का अनावश्यक व्यय बारे ।
- पैरा 22-ख बोर्ड निधि से अनावश्यक व्यय बारे ।
- पैरा 22-ग बोर्ड निधि में से अत्याधिक राशियां बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों को विभिन्न परीक्षकों से विभिन्न परीक्षाओं से सम्बन्धित अंक सूचियां एकत्रित करने के लिए दी जाने बारे ।

- पैरा 22-घ बोर्ड निधि के अस्थाई दुरुपयोग बारे ।
15. पैरा 23-क कोर्ट केस 170/91 विनोद कुमार सुपुत्र श्री होशियार सिंह बनाम स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के सम्बन्ध में किये गये व्यय की बसूली दोषी अध्यापक से करने बारे ।
- पैरा 23-ख वकीलों को किये गये अस्थाई भुगतान बारे ।
16. पैरा 24-क कम प्राप्त कागज का कलेम रेलवे विभाग से करने बारे ।
- पैरा 24-ख अवधि 6/83 से पहले कागज से सम्बन्धित अभिलेख यथासत्यापित व पूर्ण रूप में ऑडिट को दिखाया नहीं गया है ।
- पैरा 24-ग कागज क्रय से सम्बन्धित अग्रिम राशियों का असमायोजित पाया जाना ।
- पैरा 24-घ कागज क्रय की देनदारी मु0 15,56,986/- बनती है, के बारे में ।
- पैरा 24-ड. उपरोक्त देनदारी से सम्बन्धित अभिलेख निगम के लेखाओं की प्रति प्राप्त करने बारे ।
- पैरा 24-च कागज क्रय/समायोजन बारे ।
- पैरा 24-छ श्री सोहन सिंह प्रभारी कागज गोदाम अम्बाला को अवधि 7/84 से 9.10.92 तक कागज के भाड़े, चूंगी तथा चढ़ाई उतराई व ढुलाई आदि के लिए दी गई अग्रिमों के समायोजन में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं बारे ।

(प्प) 10 वर्षों से अधिक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का विवरण

अवधि 1993-94 से 1997-98 तक

अवधि 1993-94

1. पैरा 4-ए बैंक अन्तिम शेष तथा रोकड़ वही के अन्तिम शेष में 40,68,161.85 का अन्तर पाया जाना ।
- पैरा 4-बी प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़ का मिलान बैंक तालिकाओं से न किये जाने बारे ।
- पैरा 4-सी पुस्तक विक्रय केन्द्रों की पूर्ण आय को बोर्ड की

- आय में सम्मिलित न करने बारे ।
- पैरा 4-डी दिनांक 31.3.94 तक गुप्त निधि में जो अन्तिम शेष राशि ₹1,21,302.85 को गणना में लिये जाने बारे ।
- पैरा 4-ई बैंक पास बुक तथा रोकड़ वही के अन्तिम शेष में ₹28,62,103.19 के अन्तर बारे ।
- पैरा 4-एफ बोर्ड द्वारा अध्यापक कल्याण निधि की कोई पृथक रोकड़ बही का रख-रखाव न करने बारे ।
- पैरा 4-अ सामान्य निधि से किये गये निवेशों का रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 4-ब अंशदायी भविष्य निधि से सम्बन्धित वांछित अभिलेख ऑडिट में प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 4-स अध्यापक कल्याण निधि के अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।
2. पैरा 7-अ हि0 प्र0 सरकार के शिक्षा विभाग से प्राप्त अनुदान उसी प्रयोजन पर खर्च किया गया जिसके लिए स्वीकृत किया गया था से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 7-ब --यथोपरि---
3. पैरा 9-ए वर्ष 1990-91 से 1993-94 तक कुल ₹18,86,868/- परीक्षा शुल्क बिलम्ब शुल्क के बसूल किये जाने शेष हैं ।
- पैरा 9-सी बोर्ड के विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों की आय बारे ।
- पैरा 9-सी विक्रय डिपुओं की ₹1,62,35,221.75 की राशि पर विभिन्न बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष में कोई भी ब्याज का क्रेडिट नहीं दिया गया है ।
- पैरा 9-डी नाहन एवं मण्डी विक्रय डिपु की आय पर बैंक ब्याज से ऑडिट विभाग बिल्कुल सहमत नहीं है ।
4. पैरा 11 बोर्ड के वार्षिक लेखा व तुलन पत्र पर की गई टिप्पणियों बारे ।
5. पैरा 12 हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को

धर्मशाला में शिमला के समान आवास भत्ता एवं अन्य भत्ते प्रदान किये जाने बारे तथा 70 लाख के अधिक अनुचित भुगतान बारे ।

6. पैरा 13 मूल नियम 35 के अधीन स्थानान्तरण वेतन को प्रतिबन्धित न किये जाने के सम्बन्ध में ₹6,78,405/- की अदायगी की बसूली करने हेतु।
7. पैरा 14-ए परीक्षा संचालन सम्बन्धी अनियमित व्यय बारे ।
 पैरा 14-बी केन्द्र अधीक्षकों से मु0 ₹19055.45 की बसूली बारे ।
 पैरा 14-सी परीक्षाओं के संचालन हेतु नियुक्त अधीक्षकों/उपाधीक्षकों द्वारा 8 कि०मी० की परिधि के अन्दर के यात्रा भत्ता दावा प्रस्तुत करने बारे ।
 पैरा 14-डी स्थल मूल्यांकन प्रभारियों से बसूली करने बारे ।
 पैरा 14-ई परीक्षकों, चैकिंग सहायक, मुख्य परीक्षक जो 8कि०मी० परिधि के भीतर नियुक्त किए गये थे द्वारा दूरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने के कारण यात्रा भत्ता की, की गई अदायगी की बसूली बारे ।
- पैरा 14-एफ ₹3475/- की बसूली बारे ।
8. पैरा 15-ए मुद्रित पुस्तकों पर आर्थिक दण्ड के लिए तिथि निर्धारण हेतु नियमों की अस्पष्टता बारे ।
 पैरा 15-बी मुद्रकों द्वारा मुद्रित की गई पुस्तकों के सैम्पल प्रतियों की सकन्ध प्रविष्टियों बारे ।
 पैरा 15-सी मुद्रित पुस्तिका 'हम और हमारा देश' में पुर्नावलोकन करने वाले विषय विशेषज्ञ अध्यापक द्वारा पुर्नावलोकन के दौरान अनगिनत अशुद्धियों का अंगित न किया जाना ।
 पैरा 15-डी पुर्नवलोकन करने वाले अध्यापकों द्वारा मुद्रित पुस्तकों में लेखकों द्वारा लिखित शब्दों में संशोधन/परिवर्तन किया जाना ।

भाग-3

पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण से सम्बन्धित ।

1. पैरा 2 प्रत्यक्ष सत्यापन में ₹8,55,810.35 की कम पाई गइ पुस्तकों के बारे में।
2. पैरा 3 चार्ज लेते/देते समय ₹1,44,038.45 राशि की कम पुस्तकों के सौंपने के कारण बोर्ड निधि का दुर्विनियोजन बारे।
3. पैरा 4 जिला शिक्षा अधिकारियों को आपूर्ति की गई पुस्तकों की राशि वसूलने बारे।
4. पैरा 5 पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा पुस्तक विक्रय करते समय कम दर लगाने व अनियमित छूट देने के कारण ₹76,974.90 की कम राशि बसूल करने बारे।
5. पैरा 6 बेची गई पुस्तकों की राशि की अपेक्षा बैंक में कम राशि का जमा करवाया जाना।
6. पैरा 7 विभिन्न डिपुओं के स्टॉक रजिस्टर्स की जांच करते समय डिपो प्रभारियों से ₹4,65,286.45 की बसूली बारे।
7. पैरा 8-क एक डिपो से दूसरे डिपो को स्थानान्तरित पुस्तकों के बारे में।
- पैरा 8-ख-1 नाहन डिपो का रिकार्ड माह 6/90 से पहले अंकेक्षणाधीन अवधि के दौरान उपलब्ध न करवाये जाने बारे।
- पैरा 8-ख-2 सोलन डिपो का रिकार्ड दिनांक 15.1.85 से पहले ऑडिट के दौरान उपलब्ध न करवाये जाने बारे इस अवधि में अनेक गंभीर अनियमिततायें गवन व घपले बोर्ड प्रशासन के ध्यान में पहले से ही हैं।
- पैरा 8-ग पुस्तकों की स्थान्तरित मात्रा से कम पुस्तकें स्टॉक रजिस्टर में लेने के फलस्वरूप मु0 ₹105474/- की राशि का दुर्विनियोजन किया गया प्रतीत होने बारे।
- पैरा 8-घ मुद्रकों द्वारा प्रत्येक विषय की कितनी मात्रा आपूर्ति की थी का रिकार्ड उपलब्ध न करवाने बारे।
8. पैरा 9 खदी बेचने पर प्राप्त आय का बैंक खातों/बोर्ड में

- जमा करने सम्बन्धित रिकार्ड का प्रस्तुत न करना ।
9. पैरा 10 स्टॉक रजिस्ट्रों में अनुपयोगी/अप्रचलित/पाठ्यक्रम से बाहर पुस्तकों का काफी मात्रा में पाया जाना ।
10. पैरा 11 निष्क्रय/पाठ्यक्रम में तबदीली के कारण अनुपयोगी पुस्तकों को रद्दी के रूप में बेचने बारे ।
11. पैरा 12 छूट प्रदान करने का बजट में प्रावधान न करने बारे ।
12. पैरा 13 डिपो बैंक खातों पर दिये गये ब्याज को बोर्ड की मुख्य रोकड़ में न लेने बारे ।
13. पैरा 14 डिपो के बैंक खातों से मुख्यालय को स्थानान्तरित राशियां बोर्ड के मुख्य खातों में यथावत जमा हो चुकी हैं से सम्बन्धित अभिलेख ऑडिट को उपलब्ध न करवाने बारे ।
14. पैरा 15-क स्टॉक रजिस्ट्रों के अनुसार प्रत्येक वर्ष बेची गई पुस्तकों की कीमत का विवरण बारे ।
- पैरा 15-ख मु0 ८55,163.25 की राशि की पुस्तकें चम्बा डिपो से भरमौर डिपो को स्थानान्तरित की गई परन्तु चम्बा डिपो के ऑडिट के दौरान भरमौर डिपो का रिकार्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया ।
- पैरा 15-ग नाहन व सोलन डिपो के रिकार्ड के गुम होने बारे ।
15. पैरा 16 अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से स्थानान्तरित की गई राशियों के बारे में ।
16. पैरा 17 डिपो व केन्द्रीय रिकार्ड के रख-रखाव बारे ।
17. पैरा 18-क पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर में ८ 89906.75की कीमत की पुस्तकें जसूर में आई बाढ़ में बह गई दर्शाने बारे ।
- पैरा 18-ख शिक्षा बोर्ड की ब्रांचों एवं अन्य व्यक्तियों की पाठ्य पुस्तकें बतौर कम्प्लीमेंटरी जारी की गई जिनका मूल्य ८9627.05 था परन्तु सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आपेक्षित है ।

- पैरा 18-ग डिपो कुल्लू की रोकड़ बही व बैंक शेष में
₹41007.50 के अन्तर बारे।
- पैरा 18-घ सभी डिपुओं की प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट ऑडिट को
उपलब्ध करवाने बारे ।

अवधि 1994-95

1. पैरा 4-ए गुप्त निधि के अन्तिम शेष मु0 ₹2,21,795.60
को अन्तिम शेष के रूप में न दर्शाने बारे ।
- पैरा 4-बी रोकड़ के अन्तिम शेष व बैंक में पड़ी राशि के
मध्य एक भारी अन्तर का परिलक्षित होना ।
- पैरा 4-सी प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़ का मिलान बैंक
तालिकाओं से नहीं किये जाने बारे ।
- पैरा 4-डी पुस्तक विक्रय केन्द्रों की पूर्ण आय बोर्ड की आय
में सम्मिलित न करने बारे ।
- पैरा 4-ई एफ.डी.आर. रजिस्टर को अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न
करवाने बारे ।
- पैरा 4-एफ अध्यापक कल्याण निधि की पृथक रोकड़ वही तैयार
न करने बारे ।
2. पैरा 7-अ बोर्ड द्वारा लिए गए ऋण की वापसी उपदान राशि
से करने बारे ।
- पैरा 7-ब प्राप्त अनुदान राशियों को केवल उन्हीं प्रयोजनों पर
खर्च किया गया जिनके लिए स्वीकृत की गई थी
से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 9-ए परीक्षा शुल्क के रूप में ₹6,07,243.00 दिनांक
31.3.95 तक बसूल करने शेष बारे ।
- पैरा 9-बी केन्द्र अधीक्षकों द्वारा स्टे केस के रूप में प्राप्त
शुल्क का बोर्ड कार्यालय को प्रेषित न किया जाना
।
- पैरा 9-सी वर्गीकृत लेखा वर्ष 1994-95 पर की गई
आपत्तियों बारे ।
- पैरा 9-डी बोर्ड के समस्त पुस्तक विक्रय केन्द्रों की आय को
बोर्ड की मुख्य रोकड़ बही में सम्मिलित न करने
बारे ।

- पैरा 9-ई विक्रय डिपुओं की मु0 ₹52,31,519.70 की राशि पर बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष में कोइ भी ब्याज का क्रेडिट न दिए जाने बारे ।
- पैरा 9-जी वर्ष 1994-95 के दौरान बेची गई पुस्तकों के सन्दर्भ में विक्रय शाखा से प्राप्त सूचना व तत्सम्बन्ध में लेखा शाखा-4 में विराधाभास बारे ।
- पैरा 9-एच मार्च, 1994 व जून 1994 में हुई मिडल मैट्रिक एवं जमा दो की परीक्षाओं के परिणामों के गजटों की विक्री से प्राप्त आय बारे ।
3. पैरा 10-2-बी गुप्त निधि के अन्तिम शेष बारे ।
- पैरा 10-6 दिनांक 31.3.95 तक ₹2048345/- मूल्य की डाक टिकटों का समायोजन करवाया जाना शेष ।
- पैरा 10-12 13.3115मी0टन कागज के प्राप्त न होने की कीमत रेलवे विभाग से वसूल करने बारे ।
- पैरा 10-12-ए-1 पुस्तक विक्रय केन्द्रों के प्रभारियों को दी गई अग्रिमों के समायोजन बारे ।
- पैरा 10-12-ए-2 ₹414/- की राशि सम्बन्धित प्रिन्टर्ज से बसूल करके बोर्ड के खाते में जमा करवाने बारे ।
- पैरा 10-13-1 प्रभारी कागज गोदाम अम्बाला व मैहतपुर के विरुद्ध ₹430000/-असमायोजित अग्रिम राशि बारे ।
- पैरा 10-13-2 श्री सोहन सिंह प्रभारी कागज गोदाम अम्बाला को मु0 ₹222047.40 अग्रिम रूप में औरियन्ट पेपर मिल से कागज खरीद हेतु दिया गया व राशि का असमायोजित पाया जाना ।
- पैरा 10-13-3 श्री विजय कुमार प्रभारी, गोदाम मैहतपुर से अग्रिम राशि ₹13,06,290/- के समायोजन लेखे प्रस्तुत न करने बारे ।
4. पैरा 11 वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
5. पैरा 12 अंशदायी भविष्य निधि में उपलब्ध कुल राशि की तुलना में बोर्ड की देनदारी ₹38,37,483/- अधिक होने बारे ।

6. पैरा 13 हि0 प्र0 आवासीय बोर्ड से आवासीय कालोनी चीलगाड़ी में डुप्लेक्स भवनों के कय बारे ।
7. पैरा 14-क मुबलिंग ८13074/- का बकाया आवास भत्ता बिल की स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा धारा 19(3) में देने उपरान्त बोर्ड का अनुमोदन न दिखाने बारे ।
- पैरा 14-ख वेतन वृद्धि की गलत तिथि दर्शाने के परिणामस्वरूप श्री कंवर सिंह, व0 स0 को किये गए अधिक भुगतान की बसूली बारे ।
8. पैरा 15 उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
9. पैरा 16 स्टॉक रजिस्टर का निर्माण/रख-रखाव बारे ।
10. पैरा 17-ए परीक्षा संचालन सम्बन्धी अनियमित व्यय बारे ।
- पैरा 17-बी केन्द्र अधीक्षकों से ८29125.95 की वसूली बारे ।
- पैरा 17-सी परीक्षाओं के संचालन हेतु नियुक्त अधीक्षकों/उप अधीक्षकों से ८652/- की बसूली बारे ।
- पैरा 17-डी नये व पुराने परीक्षा केन्द्र से सम्बन्धन शुल्क की वसूली किये जाने बारे ।
11. पैरा 18 विविध अनेक मामलों में मांगी गई सूचना का उपलब्ध न करवाया जाने बारे ।

अवधि 1995-96

1. पैरा 4-ए-1 रोकड़ बही व बैंक शेष में मु0 ८1,71,01,761.38 के अन्तर का परिलक्षित होना ।
- पैरा 4-बी बोर्ड द्वारा लिये गये ऋण राशि का प्रयोग तथा देय ब्याज का भुगतान स्वीकृत शर्तों के अनुरूप किया गया बारे ।
- पैरा 4-सी वर्ष 1995-96 में पुस्तक विक्रय से प्राप्त राशि ८4,11,01,393.84 में से ८3,00,79,279/- जो बोर्ड मुख्यालय को स्थानान्तरित किए गए ही बोर्ड की आय की गणना में लिये जाने बारे ।
- पैरा 4-डी रोकड़ बही का बैंक तालिकाओं से प्रतिमास मिलान न करने बारे ।
- पैरा 4-ई वर्ष 1995-96 से सम्बन्धित निवेश का रिकार्ड न दिखाये जाने बारे ।

- पैरा 4-एफ गुप्त निधि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र बारे ।
2. पैरा 7 प्राप्त अनुदान राशि से शेष बची राशि बारे ।
3. पैरा 8-1 राशि ₹24,94,111/- वर्ष 1994-95 तक परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क के रूप में बसूली हेतु शेष है ।
- पैरा 8-2 परीक्षा शुल्क की आय ₹307379 को अवर्गीकृत दर्शाने बारे ।
- पैरा 8-बी-1 वित्तीय स्थिति की वास्तविक वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से विभिन्न डिपो खातों में रखी गई राशियों को रोकड़ बही में सम्मिलित करने बारे ।
- पैरा 8-बी-2 कुल्लू डिपो द्वारा बैंक में जमा की गई राशि ₹26,19,294.45 पर सम्बन्धित बैंक द्वारा ब्याज न दिये जाने बारे ।
- पैरा 8-बी-3 बैंकों द्वारा विभिन्न डिपुओं के खाताओं पर ब्याज न दिए जाने बारे ।
4. पैरा 9-1 हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को धर्मशाला में शिमला के समान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
- पैरा 9-2 गलत वेतन निर्धारण में सुधार व अधिक भुगतान हुई राशि की बसूली बारे ।
5. पैरा 10-1 अंशदायी भविष्य निधि में कुल राशि की तुलना में बोर्ड की देनदारी ₹1,33,81,346.95 अधिक बारे ।
- पैरा 10-2 सी.पी.एफ. निवेश रजिस्टर का सही ढंग से न बनाया जाना ।
- पैरा 10-3 एन.सी.पी.एफ. कैश बुक व पासबुक ऑडिट में प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 10-4 टैक्सी किराये पर लेने का औचित्य स्पष्ट करने बारे ।
6. पैरा 11 2790 कि०मी० टैक्सी शिमला में स्थानीय यात्रा के लिए चलाने का औचित्य स्पष्ट करने व दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई बारे ।
7. पैरा 12-1 डिपॉजिट वर्क्स के अन्तर्गत दी गई राशियों का

असमायोजित पाया जाना ।

- पैरा 12-2 पारशियल सैल्फफायर्नेस स्कीम के अन्तर्गत निर्माणाधीन संजौली शिमला में 10 फ्लैट खरीदने हेतु अग्रिम राशि के बिल का अस्थाई तौर पर पारित करने बारे ।
8. पैरा 14 वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखा पर की गइ टिप्पणियों बारे ।
9. पैरा 15 केन्द्र अधीक्षकों से ₹674/- की बसूली बारे ।
10. पैरा 16-1 मैसर्ज बीर भूमि प्रिन्टर्ज जालन्धर के 20 प्रतिशत बकाया बिलों का भुगतान बैंक ड्राफ्ट नं० 326138 दिनांक 6.5.94 द्वारा किये जाने बारे ।
- पैरा 16-2 ऋण/ब्याज वापसी बारे ।
- पैरा 16-3 स्टाक रजिस्टर का निर्माण/रख-रखाव बारे ।

अवधि 1996-97

1. पैरा 6-ख बोर्ड द्वारा प्राप्त नगद प्राप्तियों को बैंक में देर से भेजने बारे ।
- पैरा 6-ग विभिन्न राशियों का बोर्ड निधि में बैंक क्रेडिट न बताया जाना ।
2. पैरा 9 वर्ष 1996-97 में ₹7,97,333/- परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क के बसूल किये जाने बारे ।
3. पैरा 10-1 बोर्ड डिपुओं की पूर्ण आय को बोर्ड आय में सम्मिलित न करने बारे ।
- पैरा 10-2 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों द्वारा प्राप्त आय पर बैंकों द्वारा ब्याज न दिए जाने बारे ।
- पैरा 10-3 यह सुनिश्चित करने बारे कि बोर्ड ने सम्बन्धित बैंकों से अन्य डिपुओं द्वारा जमा राशियों पर स्वीकृत दर पर यथोचित ब्याज प्राप्त करने बारे ।
- पैरा 10-4 पुस्तक विक्रय केन्द्रों की विवरणियां अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।
4. पैरा 11-ए-1 ज्ञानालोक पत्रिका व ज्ञानालोक मासिक समाचार से सम्बन्धित आय व्यय अभिलेख जांच हेतु ऑडिट को

- अविलम्ब प्रस्तुत करने बारे ।
- पैरा 11-ए-2 अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी की गणना करने हेतु रिकार्ड उपलब्ध करवाने बारे ।
- पैरा 11-ए-3 वर्ष 1996-97 की सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों द्वारा संचालित बैंक खातों की बैंक विवरणियां प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 11-ए-4 पुस्तक विक्रय केन्द्रों द्वारा किये गये निवेशों का विवरण प्रस्तुत करने बारे ।
- पैरा 11-ए-5 जे. बी. टी. प्रवेश परीक्षा की आय की जांच आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण न किए जाने बारे ।
- पैरा 11-ए-6 जे. बी. टी. प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा 9/96 से सम्बन्धित रसीद संख्या: 37801 से 37850 तक ऑडिट में उपलब्ध न करवाने बारे ।
- पैरा 11-ए-7 जे. बी. टी. प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा 9/96 के व्यय सम्बन्धी वाउचर प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 11-ए-8 जिन बैंक ड्राफ्टों का क्रेडिट अभी तक बोर्ड कार्यालय को बैंक द्वारा नहीं दिया गया, की सूची उपलब्ध न करवाने बारे ।
- पैरा 11-ए-9 वर्ष 1996-97 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन की निरीक्षण रिपोर्टें उपलब्ध न करवाने बारे ।
5. पैरा 12-ए वर्ष 1996-97 से सम्बन्धित कागज का लेखा जोखा न प्रस्तुत करने बारे ।
- पैरा 12-ए-2 श्री मस्त राम शर्मा, वरिष्ठ सहायक द्वारा ₹105000/- की राशि की शासकीय डाक टिकटें कय हेतु ली गई अग्रिम राशि का असमायोजित रहने बारे ।
- पैरा 12-बी बोर्ड प्रशासन द्वारा 50 हजार से कम मात्रा में पुस्तकें मुद्रण करवाने के फलस्वरूप बोर्ड को लगभग ₹1,22,760/- की हानि होने बारे ।
6. पैरा 13-क वरिष्ठ सहायकों को ₹80/- प्रतिमास विशेष भत्ता

- स्वीकृत किए जाने बारे ।
- पैरा 13-ख हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को धर्मशाला में शिमला के समान आवास भत्ता का दिया जाना ।
- पैरा 13-ग बोर्ड के 55 वरिष्ठ सहायकों का वेतन मूल नियम-35 के अधीन प्रतिबन्धित न करने व प्रशासनिक न्यायालय द्वारा लगाये गये स्थगन आदेश पर अन्तिम निर्णय बारे ।
7. पैरा 15 राशि ₹978.50 की बसूली सम्बन्धित अध्यापकों से करने बारे ।
8. पैरा 17-क श्री कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ सहायक से यात्रा भत्ता दावा अवधि 25.6.05 से 15.10.95 तक किए गए अधिक भुगतान की बसूली करने बारे ।
9. पैरा 18 श्री कृष्ण शर्मा, वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अम्ल में लाने बारे ।
10. पैरा 20 वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणी बारे ।
11. पैरा 21-1 हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड बनाम श्री जगदीश चन्द के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बोर्ड को मु० ₹50,000/- तथा कोर्ट फीस जमा करवाने के आदेश दिए उक्त राशि बोर्ड में वापिस कर दी गई है अथवा नहीं के बारे में ।
- पैरा 21-2 स्टाक रजिस्टर का निर्माण रख-रखाव बारे ।

अवधि 1997-98

भाग-2

1. पैरा 3-ए-1 प्राप्तियों में ₹6,00,000/- जो वर्ष 1995-96 में बतौर ऋण प्राप्त किये व ₹95,00,000/- जो ऋण स्वरूप वापिस किए गए व्यय को आय व व्यय में न लेने बारे ।
- पैरा 3-ए-2 वर्ष 1997-98 में रोकड़ बही अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में ₹2,86,88,660/-0 के अन्तर का परिलक्षित होना ।
- पैरा 3-ए-3 रोकड़ वही का बैंक तालिकाओं से प्रतिमास मिलान

न करने बारे ।

- पैरा 3-बी वर्ष 1995-96 से 1996-97 तक की बैंक विवरणियां बोर्ड प्रशासन द्वारा उपलब्ध न करवाने के कारण ऋण की लेन व देनदारी की पूर्ण समीक्षा न हो पाना ।
- पैरा 3-बी-ख बैंक द्वारा अनाधिकृत रूप में बोर्ड से ₹5055.40 अधिक ब्याज ऋण पर चार्ज करने बारे ।
- पैरा 3-सी वर्ष 1997-98 से सम्बन्धित निवेश अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण आडिट दृष्टिकोण से जांच न हो पाना ।
- पैरा 3-डी बोर्ड की सामान्य रोकड़ बही में डिपुओं की समस्त आय की अपेक्षा केवल स्थानान्तरित राशियों के लिये जाने बारे ।
2. पैरा 5-ए बोर्ड द्वारा सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों का हिसाब किताब बोर्ड मुख्यालय में न रखने बारे ।
- पैरा 5-बी डिपुओं की आय से सम्बन्धित अधूरी सूचनाएं आडिट को उपलब्ध करवाने बारे ।
- पैरा 5-सी दिनांक 29.3.95 को ₹18,00,000/- का चैक शिमला बुक डिपो के बैंक खाता संख्या: 1129 से सीधा हाउसिंग बोर्ड शिमला को जारी कर दिया गया परन्तु इस राशि को वर्ष 1996-97 व 1997-98 की प्राप्तियों/भुगतान में नहीं लिये जाने बारे ।
- पैरा 5-डी कुल्लू डिपो से चैक नं0 548403 दिनांक 6.3.98 व चैक नं0 722420 दिनांक 4.11.97 द्वारा क्रमशः ₹10,80,000/- व ₹5,20,000/- की राशि बैंक खाता संख्या: 714 के लिए स्थानान्तरित की गई परन्तु क्रेडिट उक्त विवरणी में न पाये जाने बारे ।
- पैरा 5-ई डिपुओं से निवेश की गई राशियों का विवरण उपलब्ध न करवाने बारे ।

- पैरा 5-एफ वर्ष 1997-98 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन से सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्टें उपलब्ध करवाने बारे ।
- पैरा 5-जी पुस्तक विक्रय केन्द्रों की अवधि 1.4.97 से 31.3.98 तक की बैंक विवरणियां उपलब्ध न करवाने बारे ।
- पैरा 5-एच पुस्तक विक्रय केन्द्रों की विवरणियां अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।
- पैरा 5-आई कुल्लू डिपो, मण्डी व शिमला डिपो द्वारा बैंक में जमा राशियों पर बैंक द्वारा ब्याज न दिए जाने बारे ।
- पैरा 5-जे बैंक द्वारा कम ब्याज राशि दिए जाने बारे ।
3. पैरा 6-क गुप्त निधि से 655.60रु0 की अनुपयुक्त शेष राशि को वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में न दर्शाने बारे ।
- पैरा 6-ख वर्ष 1997-98 में पी.एन.बी. बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से प्राप्त हुई कुल राशि ₹17,47,082/- की क्रेडिट प्रविष्टियां पी.एन.बी. खाता संख्या: 16825 की बैंक विवरणियों में न पाया जाना ।
4. पैरा 7 प्राप्त अनुदान राशि स्वीकृत प्रयोजनों पर ही व्यय की गई बारे ।
5. पैरा 9 परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क के रूप में वर्ष 1997-98 में ₹9,91,183/- तथा वर्ष 1990-91 से 31.3.97 तक ₹40,88,777/- वसूली हेतु शेष ।
6. पैरा 10-क जारी चैकों की डेबिट प्रविष्टियां बैंक खाता में न पाए जाने बारे ।
7. पैरा 11-क हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को धर्मशाला में शिमला के समान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।

- पैरा 11-ख श्री ईश्वर दास शर्मा व श्री हरि चन्द के वेतन निर्धारण बारे ।
8. पैरा 12 गैर उत्पादकीय व फजूल खर्च बारे ।
9. पैरा 13 ऐच्छिक निधि से बोर्ड द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि का स्वीकृत किया जाने बारे ।
10. पैरा 16 निर्णीत ।
11. पैरा 17-1 अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी सी.पी.एफ. निधि के विरुद्ध ₹2,71,11,570/- से अधिक होना ।
- पैरा 17-2 निवेश की राशि को परिपक्वता तिथि को न भुनाने बारे ।
- पैरा 17-3 सी. पी. एफ. खाते व अन्य खातों से किए गए निवेशों के रजिस्टर का उपलब्ध न करवाना ।
- पैरा 17-4 गैर अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी एन.सी.पी. एफ. के विरुद्ध ₹44,91,803/- से अधिक होना ।
- पैरा 17-5 सी. पी. एफ. व एन.सी.पी.एफ. खातों की कोई भी कैश बुक न रखने बारे ।
12. पैरा 18 ज्ञानालोक पत्रिका व ज्ञानालोक मासिक समाचार से सम्बन्धित आय व्यय अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
13. पैरा 20 कागज के लेखा जोखा बारे ।
14. पैरा 21 बोर्ड द्वारा अधिकतर अभिलेखों को या तो रखा ही नहीं गया है या अधूरे रखे गये हैं, बारे में ।
15. पैरा 22-4 व निर्णीत ।
7 तथा 8
पैरा 22 बोर्ड के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
16. पैरा 23 श्री लाल बहादुर लिपिक व श्री प्रताप चन्द माली के यात्रा भत्ता बिलों बारे ।
17. पैरा 24 --निर्णीत--
18. पैरा 25 राशि ₹11,000/- की बसूली दोषी कर्मचारी व अधिकारी से करने बारे ।
19. पैरा 26-क बोर्ड के डैड स्टॉक को बेचने पर प्राप्त आय को

बोड निधि में समय पर जमा न करवाने के सन्दर्भ में ।

- पैरा 26-ख मै० इम्पिरियल प्रिंटिंग प्रैस के० बी० धर्मशाला के मु० ८8000/- के बिल बारे ।
- 20 पैरा 26-ग मुद्रण नियम की बार-2 उल्लंघना करने बारे ।
- पैरा 26-घ श्री अरविन्द कुमार सुमन से ८309/- की राशि बसूल करने हेतु बकाया ।
- पैरा 26-ड. निर्णीत ।
- पैरा 26-च स्टॉक रजिस्टर के निर्माण व रख-रखाव बारे ।

(प्ट) 5 वर्षों से अधिक अवधि तक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का विवरण
अवधि 1998-99 से 2002-03 तक

अवधि 1998-99

भाग-II

1. पैरा 4-ए रोकड़ शेष व बैंक शेष में ८97,89,418.72 के अन्तर का परिलक्षित होना ।
- पैरा 4-बी ऋण प्राप्ति व भुगतान शर्तों बारे ।
2. पैरा 6 आन्तरिक जांच सुदृढ़ करने बारे ।
3. पैरा 7 निर्णीत ।
4. पैरा 8 निर्णीत ।
5. पैरा 9 निर्णीत ।
6. पैरा 10-क निम्नलिखित बैंक खातों में राशियों का क्रेडिट का न पाये जाने बारे ।
 1. पी.एन.बी.-II खाता सं० 2980 राशि ८14,12,976/-
 2. एस.बी.आई -976 राशि ८12,94,911/-
 3. पी.एन.बी.-1 खाता सं० 16825 राशि ८1,09,833/-
- पैरा 10-ख आठवीं/दसवीं/जमा दो की वार्षिक परीक्षाओं में सामूहिक नकल एवम अन्य अनियमितताओं के कारण पुनः ली गई परीक्षाओं के लिए प्रत्येक

- परीक्षार्थी से ₹25/- अतिरिक्त शुल्क के रूप में प्राप्त करने से सम्बन्धित अभिलेख ऑडिट को न दिखाने बारे ।
- पैरा 11-क बोर्ड की गाड़ियों की टैस्ट रन रिपोर्ट बारे ।
- पैरा 11-ख बोर्ड वाहन जिप्सी एच.आई.के.-222 की लॉग बुक की जांच बारे ।
7. पैरा 12 बोर्ड द्वारा मकान खरीदने बारे ।
8. पैरा 13-ख निर्णीत ।
9. पैरा 14-ख टैंडर प्रपत्र की सेल की राशि की जांच करने के उद्देश्य से वांछित अभिलेख उपलब्ध न करवाने बारे ।
- पैरा 14-ग मैहतपुर गोदाम में रखे गये मुद्रण कागज का प्रत्यक्ष सत्यापन करने बारे ।
10. पैरा 16 गत वर्षों में अंशदायी भविष्य निधि में से किए गए समस्त निवेशों का पूर्ण विवरण प्रस्तुत न करने बारे ।
11. पैरा 17 हि0 प्र0 प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को धर्मशाला में शिमला के समान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
12. पैरा 18 प्रत्येक वर्ष हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के ऐवज में प्राप्त राशियों व बसूली हेतु लम्बित राशियों का विवरण सत्यापन हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।
13. पैरा 20-क बिजली के सामान से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर ऑडिट को उपलब्ध न करवाने बारे ।
14. पैरा 21 वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।
- पैरा 21-क(3 व 4) निर्णीत ।
15. पैरा 22-1 बिजली बिल बारे ।
- पैरा 22-2 लेखा शाखा द्वारा वर्ष 1996-97 व 1997-98 में ऑडिट द्वारा पारित करवाए गए बिलों का

- भुगतान न किये जाने बारे ।
- पैरा 22-4 तत्कालीन सचिव श्री आर.एस.नेगी से आंवटित डुप्लैक्स आवास टाईप-5 का किराया ₹140/- प्रतिमाह की दर से बसूली बारे ।
- पैरा 22-5 निर्णीत ।
- पैरा 22-6 केन्द्र अधीक्षक केन्द्र ज्वाली (कांगड़ा) श्री मुखर राज से ₹89/- की बसूली बारे ।
16. पैरा 15 ज्ञानालोक पत्रिका एवं समाचार पत्र की आय व व्यय सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।

अवधि

1999-2000

भाग-1

1. पैरा 2-4 रोकड़ शेष तथा बैंक शेष के आंकड़ों में ₹93,19,653.51 के अन्तर बारे ।
- पैरा 2-ख जिन-2 बैंक ड्राफ्टों का क्रेडिट बैंक द्वारा नहीं दिया गया उनका विवरण तैयार करने बारे ।
- पैरा 2-ग रोकड़ बही का बैंक तालिकाओं से प्रतिमाह मिलान न करने बारे ।
- पैरा 2-घ ज्ञानालोक पत्रिका के प्रकाशन से प्राप्त समस्त आय को रोकड़ व वार्षिक लेखा में सम्मिलित करने बारे ।
- पैरा 2-ड. बैंक विवरणियों में से अत्याधिक राशियों के हस्तांतरण बारे ।
- पैरा 2-छ-2 सामान्य खातों में से किए गए निवेशों की प्रविष्टियां निवेश रजिस्टर में न किए जाने बारे ।
2. पैरा 4-क वर्ष 1999-2000 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छात्रों से ₹15,00,297/- दिनांक 31.3.2000 तक बसूले जाने शेष थे ।
- पैरा 4-ख-1 शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के प्रतिफल में शेष बकाया राशि की बसूली बारे ।
- पैरा 4-ख-2 वर्ष 1999-2000 के दौरान रोकड़ बही अनुसार

₹6,77,67,950/- की राशि शिक्षा विभाग से प्राप्त की परन्तु यह किस वर्ष से सम्बन्धित थी अवगत नहीं करवाया गया ।

3. पैरा 5 शिक्षा बोर्ड द्वारा गत कई वर्षों से अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही का रख-रखाव न करने बारे ।

भाग-2

1. पैरा 3-2 ऋण राशि को बोर्ड के वार्षिक लेखा में भी ऋण प्राप्ति स्वरूप न दर्शाने बारे ।

पैरा 3-3 लिये गये ऋण की स्वीकृति हि0 प्र0 सरकार से लेने बारे ।

2. पैरा 4 'ज्ञानलोक' पत्रिका व ज्ञानलोक मासिक समाचार पत्र से सम्बन्धित आय/व्यय अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे व प्राप्त आय को वार्षिक लेखा में सम्मिलित करने बारे ।

3. पैरा 5 निर्णीत ।

4. पैरा 6 निर्णीत ।

5. पैरा 7-1 अंशदायी भविष्य निधि/गैर अंशदायी भविष्य निधि में से मु0 ₹5,63,000/- की राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन बारे ।

पैरा 7-2 ₹563000/- की राशि अहरित की गई परन्तु इस सम्बन्ध में आवश्यक वाउचर/अन्य अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

पैरा 7-ख-1 अंशदायी/गैर अंशदायी भविष्य निधि खाते में जमा करवाई गई/आहरित राशियों का मिलान बैंक विवरणी से गत कई वर्षों से नहीं किये जाने बारे ।

पैरा 7-ख-2 बोर्ड कर्मचारियों के वेतन बिलों में से काटे जा रहे अंशदायी भविष्य निधि/गैर अंशदायी भविष्य निधि को बैंक खाते में देरी से जमा करवाए जाने के कारण ब्याज की हानि बारे ।

पैरा 7-ख-3 अंशदायी/गैर अंशदायी भविष्य निधियों में से किए

- गए निवेश के रजिस्टर का रख-रखाव न करने बारे ।
6. पैरा 8 बैंकों में से भुगतान हेतु आहरित राशियों के भुगतान के सम्बन्ध में अभिलेख न रखे जाने बारे ।
 7. पैरा 9 वास्तविक भुगतानों की प्राप्ति रसीदें उपलब्ध न करवाने बारे ।
 8. पैरा 10 हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को धर्मशाला में शिमला के सामान आवास भत्ता दिये जाने बारे ।
 9. पैरा 11 अध्यक्ष, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड को अतिथि सत्कार भत्ता के भुगतान के अतिरिक्त कार्यालय में चाय पान पर हुए व्यय के बिलों का बोर्ड निधि से भुगतान करने बारे ।
 10. पैरा 12 निर्णीत ।
 11. पैरा 13-क कागज निर्गमित किये जाने के कारण इसके उपयोग खपत के सम्बन्ध में कोई भी रजिस्टर दस्तावेज प्रस्तुत न करने बारे ।
 - पैरा 13-ख पुस्तकों के आवरण हेतु मुद्रकों को बोर्ड द्वारा विभिन्न वर्षों में कवर पेपर जारी किया गया परन्तु उपयोग के सम्बन्ध में कोई भी रजिस्टर/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे ।
 12. पैरा 14 मै० हिन्दुस्तार पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 799.4797 मि० टन कागज की प्रेषित प्रथम खेप मेहतपुर गोदाम के स्टॉक रजिस्ट्रों में स्टॉक प्रविष्टियों का न दिखाये जाने बारे ।
 13. पैरा 15 अध्यक्ष बोर्ड के पक्ष में 1.12.99 से ₹3000/- तथा 1.7.2000 से ₹2800/- प्रति दो मास की दर से सरकारी आवासीय दूरभाष के बिलों का भुगतान करने बारे तथा अधिक राशि के भुगतान की बसूली बारे ।
 14. पैरा 16-क अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड को निर्मित चिन्हित

- आवास की अपेक्षा प्राईवेट भवन मु0 2200/- प्रतिमास की दर से किराये पर लेने के औचित्य को स्पष्ट करने बारे ।
- पैरा 16-ख अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड को उपलब्ध करवाई गई मुफ्त आवास सुविधा बारे तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट करने बारे अन्यथा सम्पूर्ण अवधि हेतु निर्धारित दरों से लाईसेंस फीस की कटौती करने बारे ।
15. पैरा 17-क निर्णीत ।
- पैरा 17-ख डिपुओं के कार्य को दैनिक वेतन पर कार्यरत मजदूरों द्वारा निपटाए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाने बारे ।
16. पैरा 18 बैंकों में जमा करवाई गई विभिन्न चैकों/ड्राफ्टों इत्यादि की राशियों की बाद में बैंक द्वारा अनादरित (डिस्ओनर) करने बारे ।
17. पैरा 19. निवेश रजिस्ट्रों का रख-रखाव सही ढंग से न करने बारे ।
18. पैरा 20-क वर्ष 1999-2000 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन की रिपोर्टें उपलब्ध करवाने बारे ।
- पैरा 20-ख पुस्तक विक्रय केन्द्रों की विवरणियां अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।
- पैरा 20-ग स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्यक्ष सत्यापन करवाने बारे ।
19. पैरा 21 अचल सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जाना ।
20. पैरा 22 निर्णीत ।
21. पैरा 23 बोर्ड द्वारा आवास बोर्ड से क़य किए गए भवन किस-2 प्रयोजन हेतु प्रयोग में लाये जा रहे हैं, बारे में ।
22. पैरा 24 स्थल मूल्यांकन केन्द्रों से उत्तर पुस्तिकाओं की ढुलाई प्रभारियों द्वारा अलग-2 दरों से करवाए जाने

- बारे ।
23. पैरा 25 अध्यापक कल्याण निधि में से किए गए निवेशों का विवरण प्रस्तुत करने बारे ।
24. पैरा 26 निर्णीत ।
25. पैरा 27 अंशदायी भविष्य निधि में से किए गए निवेशों बारे ।
26. पैरा 28 गैस्ट हाउस के अगन्तुक रजिस्टर की जांच बारे ।
27. पैरा 29 वर्ष 1999-2000 के दौरान शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राप्त मु0 ₹1,67,15,040.50 का क्रेडिट सम्भवतः बैंकों द्वारा न दिए जाने के कारण प्राप्त ब्याज की हानि उठाने बारे ।
28. पैरा 30 स्कूल शिक्षा बोर्ड को विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न संचालित बैंक खातों में मु0 ₹26,72,140/- का कम क्रेडिट दिए जाने बारे ।
29. पैरा 31 बोर्ड द्वारा विभिन्न बैंकों में जमा करवाये गये ड्राफ्टों के क्रेडिट अत्याधिक देरी के पश्चात देने बारे ।

अवधि

2000-2001

भाग-1

1. पैरा 2 रोकड़ शेष व बैंक शेष के अन्तिम शेषों में ₹47,46,233.64 के अन्तर की समाधान विवरणी तैयार न किया जाना ।
2. पैरा 6 बोर्ड प्रशासन द्वारा परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क की कितनी-2 राशि प्रत्येक वर्ष विभिन्न परीक्षार्थियों से बसूली जानी शेष है, का अधूरा अभिलेख रखा गया है । अतः 1.4.2000 से पहले संचालित समस्त परीक्षाओं से सम्बन्धित शेष बसूली योग्य प्रवेश शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क की बसूली हेतु पूर्ण विवरण दिया जाए कि दिनांक 31.3.2001 तक उक्त सन्दर्भ में कितनी राशि बसूली हेतु लम्बित है ।
3. पैरा 7 अवधि 1.4.2000 से पूर्व अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही न बनाने बारे ।

भाग-2

1. पैरा 4-2 अंशदायी/गैर अंशदायी भविष्य निधि में से

निवेशित राशियों पर विभिन्न बैंकों द्वारा ब्याज की गलत गणना से ₹1,17,875/- की हानि से बचाव बारे ।

2. पैरा 5-1 से वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2000 तक की परीक्षाओं से सम्बन्धित केन्द्र अवधारण एवं अतिरिक्त शुल्क और सेन्टर रिटेन्सन फीस की बसूली बारे ।
22
3. पैरा 6 निर्णीत ।
4. पैरा 7 आंशिक निर्णीत ।
5. पैरा 8 निर्णीत ।
6. पैरा 9 श्री जगदीश पुरी सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव की उपदान राशि अवधि 11.2.1963 से 30.6.69 तक पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त करने बारे ।
7. पैरा 10 आजाद हिन्द फौज नेता जी सुभाष चन्द बोस की 1,00,000 प्रतियां व 80,000 प्रतियां कमशः ₹16,25,000/- व ₹16,64,000/- नैशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया नई दिल्ली से क्रय की गई परन्तु उक्त पुस्तकें न तो दस जमा दो के पाठ्यक्रम में सम्मिलित थी न ही इन विषयों की परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की गई थी जिससे इन पुस्तकों की विक्री बहुत कम हुई है ।
8. पैरा 11-1 वर्ष 2000-2001 के दौरान स्टॉक में से मुद्रण हेतु जारी कागज के उपयोग एवम् आगामी निपटारे के सम्बन्ध में अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
पैरा 11-2 इन्डेंट नं० 705 तथा 134 द्वारा जारी सीडा पेपर का वजन प्रति रिम/बण्डल दर्शाने बारे ।
पैरा 11-3 दिनांक 31.3.01 को शेष दर्शाए गये कागज के प्रत्यक्ष सत्यापन हेतु पग उठाने बारे ।
9. पैरा 12-1 ₹2,62,602.50 की राशियां विभिन्न बैंकों की बैंक विवरणियों में बैंक कमीशन चार्जिज, गलत क्रेडिट व बैंक ड्राफ्ट के वापिस किए जाने के फलस्वरूप डेबिट की गई है परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिस कारण रोकड़ वही

- शेष व बैंक शेष में अन्तर चला हुआ है ।
- पैरा 12-2 राशि ₹134118/- विभिन्न बैंकों के खातों को बैंक विवरणियों में डेबिट किए गए हैं परन्तु अलग-2 राशियों को डेबिट करने के समर्थन में कोई चैक जारी नहीं किया गया न ही खर्च से सम्बन्धित वाउचर लेखा परीक्षा में दिखाए गए ।
10. पैरा 16 वर्ष 2000-01 के दौरान सभी पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभागीय निरीक्षण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन से सम्बन्धित निरीक्षण रिपोर्टें लेखा परीक्षा को उपलब्ध न करवाने बारे ।
11. पैरा 17 स्टॉक/स्टोर का प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाना ।
12. पैरा 18 अचल सम्पत्ति रजिस्टर का न रखा जाना ।
13. पैरा 19-क अंशदायी भविष्य निधि खाता के अन्तर्गत बोर्ड की दिनांक 31.3.01 को कुल देनदारी ₹15,08,93,752/- है जबकि इसके विरुद्ध कुल ₹14,60,14,016.97 की राशि निवेश, अन्तिम शेष व ब्याज के रूप में इस निधि के बैंक खाता में पड़ी है । इस प्रकार बोर्ड की उक्त खाते की देनदारी उपलब्ध राशियों से ₹48,79,735.03 अधिक है ।
- पैरा 19-ख इसी प्रकार गैर अंशदायी भविष्य निधि खाता के अन्तर्गत बोर्ड की कुल देनदारी ₹1,10,53,221/- के विरुद्ध बोर्ड के पास उपलब्ध कुल राशि ₹93,00,696.48 है तथा बोर्ड की उपरोक्त खाता के अन्तर्गत देनदारी उपलब्ध राशियों से ₹17,52,524.55 अधिक है ।
- पैरा 19-ग निर्णीत ।
14. पैरा 20 माननीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा गिरधारी लाल तथा अन्य बनाम स्टेट के मामले के सम्बन्ध में पारित स्थगन आदेश संख्या: 12/94-890-दिनांक 9-2-94/19-2-94 जिसमें बोर्ड कर्मचारियों के

मूल नियम-35 के अन्तर्गत वेतन नियतन किया गया था, के सन्दर्भ में ।

15. पैरा 21 वर्ष 2000-01 तक जितना पुनः प्रवेश शुल्क मुख्य/उप परीक्षकों, केन्द्र अधीक्षकों व अन्य आदि से काटा गया पुनः प्रवेश शुल्क लेखा मद में हस्तांतरित किया जाना सुनिश्चित करने बारे ।
16. पैरा 22 बैंक ड्राफ्टों/पोस्टल आर्डरों के द्वारा प्राप्त आय की राशि मु0 ८76,26,267/- के क्रेडिट बारे ।

भाग-3

1. पैरा 2 पुस्तक विक्रय केन्द्रों के बचत खातों में से बोर्ड मुख्यालय को करोड़ों रुपये की हस्तांतरित राशियों से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
2. पैरा 3 शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार विक्रय की गई पुस्तकों की कीमत व कितनी -2 राशि इसके ऐवज में बोर्ड मुख्यालय में प्राप्त की, का विवरण उपलब्ध न करवाने बारे ।
3. पैरा 4 ८30,705.95 की राशि विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं से पुस्तकों की वास्तविक कीमत से कम बसूल करने बारे ।
4. पैरा 5 ८18,75,708/- की कीमत की पुस्तकें स्टॉक में कम पाए जाने की वसूली बारे ।
5. पैरा 6 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के कुछ एक पैरों में गम्भीर अनियमितताओं के मामलों में कोई कार्यवाही न करने बारे ।

वर्ष 2001-02

भाग-2

1. पैरा 6 इन्डैन्ट नं0 308 दिनांक 13.11.2000 द्वारा मै0 परिहार प्रिंटिंग प्रैस शिमला को 11.3625 मिट्रिक टन कागज जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रु0 बनती थी उत्तरपुस्तिकाओं के मुद्रण हेतु जारी किया

- गया परन्तु न तो प्राप्त उत्तरपुस्तिकाओं का विवरण ऑडिट को दिखाया गया न ही कागज की कीमत की बसूली सम्बन्धित फर्म से न करने बारे ।
2. पैरा 7 इन्डैन्ट नं० 538,547 व 548 द्वारा 36 मिट्रिक टन कागज विभिन्न मुद्रकों को जारी किया गया परन्तु इस कागज को उपयोग करने बारे अभिलेख न दिखाये जाने बारे ।
 3. पैरा 8 सितम्बर, 1999 में मैट्रिक प्राईवेट की संचालित परीक्षा से सम्बन्धित डी.एण्ड सी. शीट्स की जांच में ₹2,12,478/- की राशि परीक्षार्थियों से बसूली जानी शेष है या बसूली गई राशि के आगे दर्शाए गए कोड व रसीद संख्या: गलत दर्शाने बारे ।
 4. पैरा 13 निर्णीत ।
 5. पैरा 15 विभिन्न राशियां विभिन्न बैंकों की बैंक विवरणियों के अनुसार प्राप्ति के ड्राफ्टों की राशियां वापसी के कारण बैंक खातों से घटाई गई परन्तु न तो इन्हें रोकड़ वही से कम किया गया और न ही जमाकर्ताओं से वसूली न करने बारे ।
 6. पैरा 16 निर्णीत ।
 7. पैरा 17 याचिका संख्या: ओ०ए०(डी०)66/94 गिरधारी लाल व अन्य बनाम स्टेट में ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 24. 2.94 को उपरोक्त मामले में स्थगन आदेश पारित किए थे, के अन्तिम निर्णय को दिखाने बारे ।
 8. पैरा 18 बोर्ड के वाहन संख्या: एच.पी. 053-0777 अम्बेसडर कार की लॉगबुक की जांच बारे ।
 9. पैरा 19 बोर्ड के वाहन संख्या: एच.आई.के.222 जिप्सी की लॉग बुक की जांच बारे ।
 10. पैरा 24 हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या: फिन (पी०आर.) (बी)(7)-1/98-111 दिनांक 3.11.2001 द्वारा कलर्कों के केडर को 50:50 के अनुपात में मामला माननीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल द्वारा रोक लगाने बारे ।

भाग-3

1. पैरा 2 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के निपटारे बारे ।
2. पैरा 3 पुस्तक विक्रय केन्द्रों के बैंक बचत खातों से माह के अन्त में स्थानान्तरण । राशियां स्थानान्तरण बारे ।
3. पैरा 4 शिक्षा विभाग को उधार बेची गई पुस्तकों की विक्री पर राशि ₹88454.75 की छूट अनियमित रूप से दिए जाने बारे ।
4. पैरा 5 पुस्तक विक्रय केन्द्र सोलन के अवधि 1/93 से 3/2000 तक अंकेक्षण में पैरा संख्या: 10 अनुसार ₹9530.50 की राशि की विभिन्न पुस्तकों बिना विक्री विवरण के स्टॉक रजिस्ट्रों से खारिज करने बारे।
5. पैरा 6 पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/2001 तक के पैरा 8 अनुसार ₹35877 की राशि पुस्तकों गणना में कम लिए जाने बारे ।
6. पैरा 7 पुस्तक विक्रय केन्द्र रोहडू के अवधि 4/98 से 3/2001 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 55(i)(ii) के अनुसार ₹1630/- की कम बसूली बारे ।
7. पैरा 8 पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर के अवधि 4/98 से 3/2001 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 6(क) में दिए गए विवरणानुसार विभिन्न पुस्तक विक्रेताओं से अधिक बसूल की गई कुल ₹10780/- की राशि को बाद में जारी किए गए कैशमैमों अनुसार प्रभारी द्वारा बोर्ड अधिकारियों से निर्देश प्राप्त किए बिना अपने स्तर पर ही समायोजित करने बारे ।
8. पैरा 10 पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर के विभिन्न पुस्तकों के स्टॉक रजिस्ट्रों अनुसार कुल ₹97923/- की राशि की पुस्तकों वास्तविक शेष से कम दर्शाई जाने बारे ।
9. पैरा 11 पुस्तक विक्रय केन्द्र धर्मशाला के अवधि 4/98 से 3/2001 के पैरा सं0 3 अनुसार रोकड़ वही अनुसार शेष में ₹14189.90 का अन्तर पाया

जाना ।

वर्ष 2002-03

भाग-1

1. पैरा 2 राशि ₹78,55,511.05 के रोकड़ वही शेष व बैंक शेषों के अन्तर का मिलान करने बारे ।
2. पैरा 6 निर्णीत ।
3. पैरा 7 दिनांक 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंशदायी/गैर अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़बही का रख-रखाब न करने बारे ।

भाग-2

1. पैरा 6 जे.बी.टी. की परीक्षा से प्राप्त बैंक ड्राफ्टों एवं आई. पी.ओ. को बैंक में जमा करवाने जाने के सम्बन्ध में ।
2. पैरा 7 श्री जगदीश चन्द ठाकुर, वरिष्ठ लिपिक से ₹11,08,986.48 की राशि के गवन/धोखाधड़ी एवम् अभिलेख सम्बन्धी अनियमितताओं के कारण बसूली जानी शेष है ।
3. पैरा 8-क भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सी.एल.गुप्त को माह 4/2002 से उनकी कार्यभार मुक्ति की तिथि 31.5.2003 तक मूल वेतन ₹19100/- से बढ़ाकर ₹19550/- की दर से वेतन का भुगतान करने के सन्दर्भ में उनके पैतृक विभाग से वेतनवृद्धि आदेश प्राप्त करने बारे ।

पैरा 8-ख इसके अतिरिक्त अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला श्री चमन लाल गुप्त के चार वर्ष पूर्ण होने उपरान्त वित्त विभाग (विनियमन) के डायरी संख्या: 845 फिन.सी.बी.(1) 5/94 दिनांक 24.9.02 के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति देय नहीं था, के बारे ।
4. पैरा 9 विभिन्न स्थल मूल्यांकन केन्द्रों के वर्ष 2003 के व्यय से सम्बन्धित समायोजन बिलों की जांच के दौरान पाई गई त्रुटियों बारे ।
5. पैरा 10 विभिन्न मुद्रकों को जारी कागज के खपत के

अभिलेख न दिखाने बारे।

6. पैरा 11 निर्णीत ।
7. पैरा 12 हि0 प्र0 इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन के कक्षा 8वीं तथा 10वीं की मार्च, 2003 के परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु अत्याधिक स्टेशनरी उपयोग करने बारे ।
8. पैरा 13 प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि बारे ।
9. पैरा 14 निर्णीत ।
10. पैरा 15-क से विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण प्रतिवेदनों में वर्णित ऑडिट पैरों बारे ।
11. पैरा 16 पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर के लिए ₹818/- मासिक किराए का भवन छोड़कर ₹3345/- मासिक किराए पर लेने बारे ।
12. पैरा 17 पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा स्थाई अग्रिम राशि की रोकड़ बही बारे ।
13. पैरा 18 निर्णीत ।
14. पैरा 19 कोर्ट केस पूजा शर्मा बनाम सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड में ₹32632/- का हर्जाना बोर्ड को डालने पर इस राशि के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
15. पैरा 20 छात्र की उत्तरपुस्तिका के गुम होने सम्बन्धी मामले की विभागीय तौर पर छानबीन करवाए जाने व उत्तरदायित्व निर्धारित करके ₹103754/- की बसूली बारे तथा ₹50,000/- की राशि की गिरवी एफ.डी.आर. की शीघ्र वापसी सुनिश्चित कर बोर्ड की आय में जमा करवाने बारे ।
16. पैरा 21 श्री दिनेश कुमार बनाम बोर्ड मुकदमा संख्या: 350/2002 के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार माननीय राज्य उपभोक्ता न्यायलय शिमला के पक्ष में मु0 ₹26500/- की राशि की एफ.डी.आर. के रूप में जमा करवाए जाने बारे ।

17. पैरा 22 निर्णीत ।
18. पैरा 23 सम्पर्क कार्यालय शिमला व पुस्तक विक्रय केन्द्रों में अधिक स्टॉफ तैनात करने बारे ।
19. पैरा 24 श्रेलवे बोर्ड से कम प्राप्त किए गए कागज की कीमत ₹74,074/-के प्राप्त न होने बारे ।
20. पैरा 25 डिपॉजिट कार्यों की राशि के उपयोगिता एवं कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र न प्रस्तुत करने बारे ।
21. पैरा 26 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्ट्रों का नियमानुसार रख-रखाव न करने बारे ।
22. पैरा 27-क पुरानी संकथ रजिस्टर से नई संकथ रजिस्टर में वस्तुओं का शेष न उठाये जाने बारे ।
23. पैरा 27-ख निर्णीत ।
24. पैरा 28 स्टॉक में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
25. पैरा 29 ₹47,120/- की उपदान राशि श्री प्रीतम सिंह चौधरी सेवा निवृत्त संयुक्त सचिव की सेवा अवधि 17.8.1965 से 10.9.1969 तक की बसूली पंजाब विश्वविद्यालय से करने बारे ।
26. पैरा 30 आवासीय कालौनी सिद्धबाड़ी में पूर्व में निर्मित सैपटिक टैंक के दोषपूर्ण निर्माण व लगभग दो वर्ष की अवधि उपरान्त ही ओवरफ्लो होने से पुनः लोक निर्माण विभाग को उक्त की मुरम्मत हेतु ₹3,41,400/- के किए गए भुगतान का उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
27. पैरा 31 वाहन एम्बैसडर कार संख्या: एच.पी. 777/819 की जांच बारे ।
28. पैरा 32 निर्णीत ।
29. पैरा 33 निर्णीत ।
30. पैरा 34 श्री एल.सी. जोषी (सेवा निवृत्त) के अन्तिम भुगतानों के बारे में ।

भाग-III

1. पैरा 2 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गत अंकेक्षण

- प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के निपटारे बारे ।
2. पैरा 3 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गोदामों में अत्याधिक मात्रा में अप्रचलित पुस्तकें गत अनेक वर्षों से पड़ी होने बारे ।
 2. पैरा 4 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में पड़ी पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का गत कई वर्षों से प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
 3. पैरा 5 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा पुस्तकों को विक्रय करते समय राशियों के कम बसूली बारे ।
 4. पैरा 6 डिपो उना के अवधि 4/99 से 3/2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या: 6 में दिए गए विवरणानुसार कुल ₹71023/- की राशि की पुस्तकें स्टॉक रजिस्ट्रों अनुसार मकान मालिक द्वारा ताला तोड़कर विक्रय कर लेने बारे ।
 5. पैरा 7-क डिपो शिमला के अवधि 4/95 से 3/2002 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा सं0 4 अनुसार शिक्षा विभाग को लाखों रुपये की उधार विक्रय की गई पुस्तकों की कीमत की बसूली के सन्दर्भ में ।
 - पैरा 7-ख निर्णीत ।
 - पैरा 7-ग पैरा 5 अनुसार डिपो से मुख्यालय को स्थानान्तरित राशियों के बैंक में जमा करवाए जाने के सन्दर्भ में अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
 - पैरा 7-घ पैरा सं0 9 में वर्णित ₹1,29,286/- की राशि की पुस्तकें श्री मस्त राम शर्मा प्रभारी द्वारा चार्ज सौंपते समय कम सौंपी गई ।
 6. पैरा 8 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि प्राप्त कैश मैमों, बिल बुक, पुस्तक प्राप्ति रसीदों से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव न करने बारे ।

भाग-4

1. पैरा 1 निर्णीत ।

2. पैरा 2-क बैंक अन्तिम शेष व रोकड़ अन्तिम शेषों में ₹7855511.05 के अन्तर की समाधान विवरणी तैयार न करने बारे ।
 पैरा 2-ख व ग निर्णीत ।
 पैरा 2-ज निर्णीत ।
3. पैरा 3 वार्षिक लेखा वर्ष 2002-03 से सम्बन्धित भुगतान शीर्ष बारे टिप्पणियां/आपत्तियों बारे ।

अवधि 2003-04

भाग-1

1. पैरा 2 कैश बुक शेष व बैंक शेष में ₹53,06,320.820 के अन्तर का शीघ्र मिलान करने बारे ।
2. पैरा 6-क वर्ष 2003-04 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छात्रों से मु0 ₹11,54,609/- दिनांक 31.3.04 तक बसूले जाने शेष थे ।
3. पैरा 7-क 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंशदायी/गैर अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख-रखाव न करने बारे ।

भाग-2

1. पैरा 4 पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों में से ₹3,44,448/- की राशि की कटौतियां करने बारे ।
2. पैरा 5 निर्णीत ।
3. पैरा 6-क से ग स्कूल शिक्षा बोर्ड की आय/कर्मचारियों के भविष्य निधि के अंकेक्षण पर लगभग ₹57,12,533/- की राशि का सम्भावित दुर्विनियोजन किये जाने बारे ।
4. पैरा 7 बकाया प्रवेश शुल्क के लिए पत्र व्यवहार अन्तर्देशीय पत्र द्वारा किये जाने के बजाए खुले कार्ड द्वारा किये जाने के कारण गत दो वर्षों में बोर्ड निधि पर लगभग 14 लाख रुपये की राशि का अनियमित भुगतान के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
5. पैरा 8 मु0 ₹130688/- की राशि को उपायुक्त कांगड़ा से वापिस लेने बारे ।

6. पैरा 9 परीक्षा केन्द्र अधीक्षकों को अग्रिम राशियों के समायोजन लेखे समय पर प्रस्तुत करने बारे ।
7. पैरा 10 निर्णीत ।
8. पैरा 11 अप्रैल, 2004 में संचालित जे0बी0टी0 प्रवेश परीक्षा में कार्यरत बोर्ड अधिकारियों व कर्मचारियों को ₹893361/- का मानदेय दिए जाने बारे ।
9. पैरा 12 सरकार द्वारा समय-2 पर जारी आदेशों दिशा निर्देशों की अनदेखी करके बोर्ड द्वारा विपरीत निर्णय लेने बारे ।
10. पैरा 13 मै0 आर.पी.कपूर प्रिन्टर्ज को गोपनीय कार्य हेतु 23) ग 338 के जारी किए गए कागज के खपत अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
11. पैरा 14 हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बन्धित वाहनों के टायरों को बदलने एवम् औसत की गणना करके समस्त लागबुकों को नियमानुसार लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत करने बारे ।
12. पैरा 15 बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिश्रमिक का भुगतान हि0 प्र0 सरकार द्वारा समय-2 पर जारी आदेशों के प्रतिकूल भुगतान करने बारे ।
13. पैरा 16 कलर्को, बरिष्ठ लिपिकों व वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सहायकों को बढ़ी हुई दर से सचिवालय भत्ता दिए जाने बारे ।
14. पैरा 17 निर्णीत ।
15. पैरा 18 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन से कागज की मात्रा कम प्राप्त होना ।
16. पैरा 19 श्री कृष्ण शर्मा, अनुभाग अधिकारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिलों बारे ।
17. पैरा 20 दूरभाष संख्या: डी.एम.ए. 222973 एवं डी.एम.ए. 223188 के भुगतान बिलों में समान्तर लाईनों के किराये बारे ।
18. पैरा 21 निर्णीत ।
19. पैरा 22-1 निर्णीत ।

- पैरा 22-2 विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अग्रिम भुगतान की गई समस्त राशियों के उपयोग बारे ।
20. पैरा 23 निर्णीत ।
21. पैरा 24 निजी शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त सम्बद्धता शुल्क का वर्ष 2000 से 2004 के ऑडिट में पाई गई आपत्तियों बारे ।
22. पैरा 25 पानी के बिलों को नियत तिथि को भुगतान न करने पर अगले बिल में सरचार्ज बारे ।
23. पैरा 26 निर्धारण मामलों में न्यायलय द्वारा रोक लगाने बाद अन्तिम निर्णयों को लेखा परीक्षा को सूचित करने बारे ।
24. पैरा 27 विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को ₹114000/- अनुदान के रूप में भुगतान की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।
25. पैरा 28 पुस्तक विक्रय केन्द्रों का प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे ।
26. पैरा 29 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर बारे ।
27. पैरा 30 निर्णीत ।
29. पैरा 31-क कुल 175000 जे.बी.टी. आवेदन पत्रों से सम्बन्धित प्राप्ति एवं खपत विवरण अब पुस्तक विक्रय केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये जाने बारे ।
- पैरा 31-ख निर्णीत ।
- पैरा 31-ग निर्णीत ।
- पैरा 31-घ पुराना इन्टरनेट डी-लिंक गुम हो जाने के कारण नया इन्टरनेट ₹4250/- में खरीदने का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
30. पैरा 32-क से सम्पर्क कार्यालय शिमला में अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के बारे में ।

भाग-3

1. पैरा 3 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गोदामों में अत्याधिक मात्रा में अप्रचलित पुस्तकों के डेड स्टॉक

का निपटारा न करने बारे ।

2. पैरा 4 वर्ष में एक बार प्रत्येक पुस्तक विक्रय केन्द्र में पड़ी पुस्तकों एवं अन्य सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाने बारे ।
3. पैरा 5 पुस्तक विक्रय केन्द्र रोहडू के अवधि 4/01 से 3/03 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा सं० 8(ख) में ₹1300/- की कम बसूली बारे ।
4. पैरा 6 डिपो कुल्लू के अवधि 4/99 से 3/03 तक के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सं० 4 व पैरा सं० 10 में क्रमशः ₹718/- व ₹4500/- की बसूली बारे ।
5. पैरा 7 एक डिपो से दूसरे डिपो को अनेकानेक पुस्तक एवम् फार्म इत्यादि स्थानान्तरण करने बारे ।

भाग-4

1. पैरा 2-क से छ मु० ₹53,06,320.82 कैश बुक व बैंक शेष के अन्तर के मिलान बारे व वार्षिक लेखा की टिप्पणियों के सन्दर्भ में ।
2. पैरा 2-ज निर्णीत ।
3. पैरा 3-क से च वार्षिक लेखा वर्ष 2003-04 पर लेखा टिप्पणियों बारे ।

अवधि 2004-05

भाग-1

1. पैरा 2 कैश बुक अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में ₹1,17,69,322.17 का अन्तर प्रलक्षित होना ।
2. पैरा 6 वर्ष 2004-05 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के परीक्षार्थियों से ₹23,06,825/- की राशि बसूली हेतु शेष रहना ।
3. पैरा 7-क-1 अवधि 1.4.2000 से पूर्व अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख-रखाव न करने बारे ।
- पैरा 7-क-3 अंशदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी ₹40,00,984/- होना ।
- पैरा 7-ख-3 गैर अंशदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी

उपलब्ध राशियों से ₹31,51,043/- अधिक होना ।

भाग-2

1. पैरा 1 गोपनीय निधि में मु0 ₹152017.60 अनुपयुक्त राशि को अन्तिम शेष में सम्मिलित किये जाने बारे ।
2. पैरा 4 आन्तरिक जांच को सुदृढ़ किए जाने बारे ।
3. पैरा 5 निर्णीत ।
4. पैरा 6 वर्ष 2004-05 के दौरान बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों को कुल ₹920883/- के पारिश्रमिक का भुगतान सरकार के आदेशों के विपरीत किया जाना ।
5. पैरा 7 यात्रा भत्ता/पारिश्रमिक बिलों में गम्भीर अनियमितताओं बारे ।
6. पैरा 8 निर्णीत ।
7. पैरा 9 विभिन्न परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क के बकाया बारे ।
8. पैरा 10 बोर्ड के बचत बैंक खाता संख्या: 01100/150005 में राशियों का डेबिट किये जाने बारे ।
9. पैरा 11 श्रीमति रूप दासी वरिष्ठ सहायक की लड़की के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिल बारे ।
10. पैरा 12 निर्णीत ।
11. पैरा 13 सिविल मुकदमा संख्या: 39/सी.एस. दिनांक 23.4.90 रामस्वरूप बनाम हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड व अन्य मामले में अतिरिक्त सिविल न्यायधीश अम्बाला द्वारा ₹23680/- की राशि बोर्ड के बैंक खाता सं0 0110015005 एस.बी.आई. बैंक के माध्यम से सीधे निकालने के आदेश बारे ।
12. पैरा 14 बोर्ड द्वारा हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्य निष्पादन संस्थाओं को निक्षेप कार्यों के निपटारे/निष्पादन हेतु दी गई अग्रिम राशियों के

- ऐवज में कार्य निष्पादन एवं राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र बारे ।
13. पैरा 15 स्थल मूल्यांकन केन्द्र बिलासपुर मार्च, 2005 के अग्रिम समायोजन बारे।
14. पैरा 16 सितान्शु गौतम बनाम बोर्ड आफ स्कूल ऐजुकेशन शिकायत संख्या: 437/2003 दिनांक 14.10.2003 जिसका निर्णय दिनांक 4.1.2005 को हुआ था, बारे ।
15. पैरा 17 कुमारी वनीता देवी को दस जमा एक का रोल नं० 171512 तथा कक्षा दस जमा दो का रोल नं० 267110 जारी करने पर माननीय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा बोर्ड को ₹10,150/- जुर्माना करने बारे।
16. पैरा 18 वर्ष 2004-05 के दौरान जारी कागज/कवर पेपर की खपत/उपयोग बारे ।
17. पैरा 19 पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा अग्रदेय धन राशि के रिकूपमेंट रजिस्टर का सही ढंग से रख-रखाव न करने बारे ।
18. पैरा 20 उपभोक्ता न्यायलय द्वारा ₹11000/- का हर्जाना परीक्षार्थी श्री आदित्य सुपुत्र श्री हेम राज ठाकुर के पक्ष में आदेश पारित करने बारे व इस राशि की भरपाई का उत्तरदायित्व निर्धारित करने बारे ।
19. पैरा 21 माननीय जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा कु० अंकुर राणा सुपुत्र श्री हरनाम सिंह राणा छत्रा दस जमा एक को राशि मु० ₹10,000/- हर्जाना भुगतान के उत्तरदायित्व निर्धारण बारे ।
20. पैरा 22 बोर्ड के समस्त वाहनों की प्रति कि० मी०/लीटर औसत निर्धारण बारे।
21. पैरा 23 निर्णीत ।
22. पैरा 24 विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को ₹83000/- अनुदान के रूप में भुगतान की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।

23. पैरा 25 श्री रवि भूषण गुप्ता संयुक्त सचिव (सेवा निवृत्त) की उपदान राशि बारे ।
24. पैरा 26 मननीय जिला उपभोक्ता फोरम कांगड़ा स्थित धर्मशाला कैम्प नूरपुर द्वारा शिकायत संख्या: 175/04 के अन्तर्गत मु0 26000/- की जुर्माना राशि बारे ।
25. पैरा 27 निर्णीत ।
26. पैरा 28 फर्नीचर के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार कय किये गये सामान को जारी करने बारे ।
27. पैरा 29 निर्णीत ।
28. पैरा 30 निर्णीत ।
29. पैरा 31 निर्णीत ।
30. पैरा 32 निर्णीत ।
31. पैरा 33 चल व अचल सम्पत्ति रजिस्टर बारे ।
32. पैरा 34 निर्णीत ।
33. पैरा 35 बोर्ड के विश्राम गृहों पर खर्चा 4,37,435/- व आय मात्र 10,500/- बारे ।
34. पैरा 36 बोर्ड प्रशासन द्वारा 15,14,956/- की राशि के कम्प्युटर खरीदने उपरान्त भी बोर्ड की कार्यप्रणाली को कम्प्यूटरीकृत न करने बारे ।
35. पैरा 37 सरकार द्वारा समय-2 पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों की अनदेखी करके बोर्ड द्वारा विपरीत निर्णय न लेने बारे ।
36. पैरा 38 निर्णीत ।
37. पैरा 39 अप्रचलित/खराब पुस्तकों बारे ।
38. पैरा 40 वेतन निर्धारण मामलों में न्यायलय द्वारा स्थगन आदेश जारी करने उपरान्त बोर्ड द्वारा स्थगन आदेश को निरस्त करवाने बारे प्रयास न करना ।
39. पैरा 41 वित्त विभाग की अनुमति एवं राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ही लैप-टॉप इत्यादि का कय करना ।
40. पैरा 42 हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के सम्पर्क कार्यालय के

अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण पर पाई गई अनियमितताओं बारे ।

भाग-3

1. पैरा 2 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों के निपटारे बारे ।
2. पैरा 3 निर्णीत ।
3. पैरा 4 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के गोदामों में अत्याधिक मात्रा में अप्रचलित/क्षतिग्रस्त पुस्तकों का पाया जाना ।

अवधि 1.4.2005 से 31.3.2006 तक

भाग-1

1. पैरा 2 मु0 ₹1,26,30,770.04 की राशि का अन्तर रोकड़ शेष व बैंक शेष में पाये जाने बारे ।
2. पैरा 6 वर्ष 2005-06 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छात्रों से मु0 ₹13,74,595/- बसूले जाने शेष हैं ।
3. पैरा 7-क-1 दिनांक 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंशदायी/गैर अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही का रख-रखाव न करने बारे ।
4. पैरा 7-क-3 अंशदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी उपलब्ध संसाधनों से ₹7591018.07 अधिक होने बारे ।
5. पैरा 7-ख-3 गैर अंशदायी भविष्य निधि खाता की देनदारी उपलब्ध राशियों से मु0 ₹37,24,947.51 अधिक हैं ।

भाग-2

1. पैरा 4 वर्ष के दौरान ₹2,71,034/- की राशि की कटौतियां ऑडिट द्वारा विभिन्न भुगतान बिलों से करने बारे व आंतरिक जांच को और सुदृढ़ करने बारे ।
2. पैरा 5 निर्णीत ।
3. पैरा 6 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार

- निर्णय न लिए जाने बारे ।
4. पैरा 7 कनिष्ठ सहायकों को उच्च वेतनमान दिए जाने बारे ।
 5. पैरा 8 पचास हजार से कम मात्रा में विभिन्न पुस्तकों के मुद्रण करवाने के कारण मु० ₹1,15,864/- का अधिक भुगतान करवाने बारे ।
 6. पैरा 9 निर्णीत ।
 7. पैरा 10 हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के सम्पर्क कार्यालय में अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण पर पाई गइ अनियमितताएं ।
 8. पैरा 11 विभिन्न शिक्षण संस्थानों को ₹63000/- अनुदान के रूप में भुगतान की गई राशियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने बारे ।
 9. पैरा 12 बोर्ड द्वारा हि० प्र० लोक निर्माण विभाग एवं अन्य कार्यों को निष्पादित करने वाली संस्थाओं को निक्षेप कार्यों के निपटारे/निष्पादन हेतु दी गई अग्रिम राशियों के प्रतिफल में कार्य निष्पादन एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण बारे ।

भाग-3

1. पैरा 1 विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण से सम्बन्धित मुख्य अनियमितताएं ।
2. पैरा 2 पुस्तक विक्रय केन्द्र जसूर में मु० ₹15210/- की राशि के मूल्य की पुस्तकों का स्टॉक में कम पाया जाना ।
3. पैरा 3-1 पुस्तक विक्रय केन्द्र उना में पुस्तकों की विक्री से प्राप्त आय को बैंक में जमा न करवाने बारे ।
- पैरा 3-2 निर्णीत ।
- पैरा 3-3 पुस्तक विक्रय केन्द्र उना से पुस्तकें चोरी होने बारे ।
- पैरा 3-4 पुस्तकों के स्टॉक रजिस्ट्रों अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकें ।
- पैरा 3-5 शिक्षा विभाग हि० प्र० सरकार को उधार बेची गई

- पुस्तकों के सम्बन्ध में रजिस्टर प्रस्तुत न किया जाना ।
4. पैरा 4-1 पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा में पुस्तकों के स्टॉक रजिस्ट्रों अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकें बारे ।
- पैरा 4-2 स्टॉक रजिस्ट्रों के अनुसार मु0 731/-रु0 की राशि की पुस्तकों की वास्तविक शेष से अधिक दर्शाया जाने बारे ।
5. पैरा 5 पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर की रोकड़ वही व बैंक अन्तिम शेष में ₹1957.63 का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
6. पैरा 6 पुस्तक विक्रय केन्द्र पपरोला के प्रत्यक्ष सत्यापन अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकों की बसूली न करने बारे ।
7. पैरा 7-1 पुस्तक विक्रय केन्द्र शिमला के स्टॉक रजिस्टर से बिना विक्रय किए पुस्तकें जारी करने से राशि मु0 ₹6875/- की हानि बारे ।
- पैरा 7-2 पुस्तकों के स्टॉक रजिस्ट्रों अनुसार स्टॉक में कम पुस्तकें ।
- पैरा 7-3 पुस्तकों के खराब होने के कारण स्टॉक कम करने बारे ।
- पैरा 7-4 मु0 ₹2880/- की स्टॉक रजिस्टर में से अधिक पुस्तकें जारी करने बारे ।
- पैरा 7-5-क विक्रय केन्द्र रोहडू से सम्बन्धित स्टॉक प्रविष्टि अंकेक्षण अवधि के दौरान न दर्शाने बारे ।
- पैरा 7-5-ख सातवीं कक्षा की पुस्तक महाभारत (706) की 160 पुस्तकें पुस्तक विक्रय केन्द्र रोहडू का स्थानान्तरित की गई परन्तु खारिज प्रविष्टि अंकेक्षण के दौरान न दर्शाने बारे ।
8. पैरा 8 पुस्तक विक्रय केन्द्र मण्डी में पुस्तकों के खराब होने के कारण स्टॉक में अलग से दर्शाने बारे ।
9. पैरा 9-1 से 9 (क से ड.) पुस्तक विक्रय केन्द्रों की मास अप्रैल, 2005 से जुलाई, 2005 तक की आय की जांच के दौरान

पाई गई अनियमितताओं बारे ।

भाग-4

1. पैरा 2 से 3 हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के लेखाओं वर्ष 2005-06 के वार्षिक लेखा पर की गई टिप्पणियों बारे ।

अवधि 1.4.2006 से 31.3.2007

भाग-1

1. पैरा 2-ग रोकड़ बही अन्तिम शेष व बैंक अन्तिम शेष में मुवलिग ₹1,49,16,364.66 का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
2. पैरा 6 निर्णीत ।
3. पैरा 7-क-1 दिनांक 1.4.2000 से पूर्व अंशदायी/गैर अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख-रखाव न करने बारे ।
- पैरा 7-क-3 अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि खाते की देनदारी उपलब्ध राशियों से 5,44,79,236.93रु० कम होने बारे ।
- पैरा 7-ख-3 गैर-अशदायी भविष्य निधि खाते की देनदारी उपलब्ध राशियों से ₹2,38,75,150.49 कम होने बारे ।

भाग-2

1. पैरा 1 दिनांक 31.3.2007 को गोपनीय निधि में ₹17,77,918.60 अनुपयुक्त शेष को वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित न किए जाने बारे ।
2. पैरा 4 पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों में से कटौतियां (रिटर्न्वमेंट) बारे ।
3. पैरा 5 दिनांक 31.3.2007 तक मु० ₹14,88,39,704.30 की राशि असमायोजित बारे ।
4. पैरा 6 निर्णीत ।
5. पैरा 7 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार

- निर्णय न लेने बारे ।
6. पैरा 8 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के अनावश्यक स्टॉफ को सरकार के विभागों में अन्तर्लयन करने बारे ।
 7. पैरा 9 बोर्ड कर्मचारियों को मु0 ₹57098/- की राशि के मानदेय की स्वीकृति वित्त विभाग हि0 प्र0 से लेने बारे ।
 8. पैरा 10 निर्णीत ।
 9. पैरा 11 निर्णीत ।
 10. पैरा 12 निर्णीत ।
 11. पैरा 13 हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड सम्पर्क कार्यालय में अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण में पाई गई अनियमितताओं बारे ।
 12. पैरा 14-1-1 पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा में ₹1000/- कम जमा करवाने बारे ।
 - पैरा 14-1-2 चम्बा डिपो के बैंक खाता में ₹225/- कम जमा करवाने बारे ।
 - पैरा 14-1-3 राशि ₹4,42,630/- की पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वापिस प्राप्त की गई परन्तु सम्बन्धित रसीद एवं पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण को न दिखाने बारे ।
 - पैरा 14-1-4 पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा में ₹963/- की कम वसूली बारे ।
 - पैरा 14-1-5 डिपो बिलासपुर, रोहडू व चम्बा के प्रभारियों द्वारा पुस्तक विक्रेता से राशि प्राप्त करने उपरान्त सवयं बैंक में जमा करवाने बारे ।
 - पैरा 14-2 डिपो रिकांगपिओ में दिनांक 21.2.06 को बैंक में ₹22,91,391/- जमा करवाए गए परन्तु यह राशि किस उद्देश्य/ऐवज में जमा करवाई गई लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाये जाने बारे ।
 - पैरा 14-3-1 डिपो हमीरपुर के बैंक खाता में ₹2250/- कम जमा करवाने बारे ।

- पैरा 14-3-2 निर्णीत ।
- पैरा 14-4 पुस्तक विक्रय केन्द्र मण्डी पुस्तकों की विक्री से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।
- पैरा 14-5 निर्णीत ।
- पैरा 14-6 निर्णीत ।
- पैरा 14-7(1 से निर्णीत ।
2)
- पैरा 14-8-(1 निर्णीत ।
व 2)
- पैरा 14-9 पुस्तक विक्रय केन्द्र कुल्लू से सम्बन्धित मास फरवरी व मार्च, 2006 के आय अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे ।

भाग-3

1. पैरा 2 वार्षिक लेखा से सम्बन्धित टिप्पणियों बारे ।
क,ख,ग,च व झ
2. पैरा 3-ग,घ व -----यथोपरि-----
ड.

अवधि 2007-08

1. पैरा 2(पपप) रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹14271551.61 का अन्तर परिलक्षित होना ।
- . पैरा 2(पअ) बोर्ड अधिनियम-1968 की धारा 14(2) अनुसार वर्ष 2007-08 के अन्त में ₹200106413.53 के अन्तिम शेष में से सरकार को भेजी जानी आपेक्षित है ।
2. पैरा 6(प) परीक्षा शुल्क के रूप में ₹1372277/- की राशि परीक्षार्थियों से बसूली जानी शेष है ।
- पैरा 6(पप) शिक्षा विभाग हि0 प्र0 सरकार को उधार बेची गई पुस्तकों के ऐवज में ₹52031496/- की राशि बसूली जारी शेष है ।
3. पैरा 7(1)(प) शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 1.4.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंशदायी/गैर अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ बही का रख-रखाब न करने बारे ।
4. पैरा 8(4) पेंशन निधि के प्रबन्धन बारे ।
5. पैरा 15 वर्ष 2007-08 तक बोर्ड निधि में से दी गई

अग्रिम राशियों में से दिनांक 31.3.08 तक ₹185787959.26 की राशि असमायोजित होने बारे ।

6. पैरा 16 कक्षा जमा एक के परीक्षा परिणाम के कार्य की आउट सोरसिंग करने पर मैसर्स आई सी एन (इण्डिया) प्रा० लि० न्यू दिल्ली-46 को किये गये 50 प्रतिशत भुगतान ₹260870/-के बारे ।
7. पैरा 17 रूप ट्रांसपोर्ट क० शिमला को जी० आर० नं० दिनांक 20.8.07 के तहत किये गये भुगतान ₹8425/- बारे ।
8. पैरा 18 माह मार्च, 04 के दौरान उड़न दस्ते द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करने के ऐवज में श्री अश्वनी कुमार चडडा को अपनी कार नं० एच०पी० 23ए-6397 का उपयोग करने पर अनियमित भुगतान की गई राशि ₹5200/-बारे ।
9. पैरा 19 श्री राम सिंह मिन्हास (सेवा निवृत्त प्रवक्ता) द्वारा निजी स्कूलों की सम्बद्धता का दिनांक 5.5.07 से 12.5.07 तक निरीक्षण करने हेतु टैक्सी का उपयोग करने में अधिक भुगतान बारे ।
10. पैरा 20(1) निविदाओं की अवधि समाप्त होने के उपरान्त पुस्तकों के मुद्रणादेश जारी करने बारे ।
पैरा 20(2) बोर्ड द्वारा शैक्षणिक सत्र 2008-09 की पुस्तकों का मुद्रण वर्ष 2006-07 की दरों के आधार पर करवाने से राशि ₹143672/- की हानि बारे ।
11. पैरा 21 बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में वर्ष 2006-07 में पुस्तक विक्रय के कारण कम बसूल की गई राशि बारे ।
12. पैरा 22 हि० प्र० राज्य उपभोक्ता प्रतितोष आयोग, शिमला द्वारा अपील संख्या: 121/2007 के अन्तर्गत ₹12119/- के मुआवजे बारे ।
13. पैरा 23 प्रशासनिक भवन के तृतीय चरण के भवन निर्माण हेतु अधिशाषी अभियन्ता, हि० प्र० लो० नि० वि०

धर्मशाला के अग्रिम भुगतान राशि
₹1973000/-बारे ।

14. पैरा 24 आम सभा के आयोजन पर दिनांक 25.4.2007 को जलपान हेतु ₹5965/- के व्यय बारे ।
15. पैरा 25(1) दोहरे भुगतान पारित करने के सन्दर्भ में ।
- पैरा 25(2) दोहरे यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।
- पैरा 25(3) अध्यापकों द्वारा दो कार्य-स्थलों से अलग-2 पारिश्रमिक बिल प्रस्तुत करने के सन्दर्भ में ।
- पैरा 25(4) अग्रिम राशियों के समायोजन बारे ।
- पैरा 25(5) अनियमित यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।

भाग-3

16. पैरा 2(1) रोकड़ शेष व बैंक के अन्तिम शेष में ₹14271551.16 का अन्तर परिलक्षित होने बारे ।
- पैरा 2(1)(पप) राशि ₹1372277/- बतौर परीक्षा शुल्क बसूली हेतु लम्बित है ।
- पैरा 2(1)(पपप) दिनांक 1.10.2007 से पहले निर्गमित किए गए हैं व चैक दिनांक 31.3.2008 को कालातीत चैकों को पुनः रोकड़ वही में दर्ज न किया जाने बारे ।
- पैरा 2(1)(पअ) ₹156284/- की राशि को अवर्गीकृत आय शीर्ष में दर्शाया जाना ।
17. पैरा 3(3) वर्ष 2007-08 के दौरान कुल ₹13706548/- की राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत न किए जाने बारे ।
- पैरा 3(4) ₹110000/- की राशि स्वैच्छिक अनुदान के रूप दी गई परन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करवाए गए ।

नोट :- इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 भाग-5 के पैरा 1 (डी) में वर्णित अनिर्णीत अधियाचनाएँ लम्बे समय से अनिर्णीत हैं ।

भाग-2

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं का अवधि 1. 04.2008 से 31.03.2009 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

I

1. प्रारम्भिक :-

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में निवासी अंकेक्षण योजना अधिसूचना संख्या: 21-3/70-शिक्षा-11 दिनांक 18.3.1971 के अनुसार आरम्भ की गई थी। अवधि 1.04.2008 से 31.3.09 तक श्री बी० आर० वैद्य, उप नियंत्रक (ले०प०) इस योजना के प्रभारी रहे तथा इस काल में सर्वश्री कश्मीर सिंह, सहायक नियंत्रक व विजय कुमार वालिया, अ०अ० तथा अन्य स्टाफ भी कार्यरत रहा है।

नकपज तमचवतज ी इममद चतमचंतमक वद जीम ईपे वि पदवितउंजपवद नितदपौमक ंदक उंकम ंपसंइसम इल जीम ब्दजतवससपदह विपिबमत वि जीम प्देजपजनजपवदण

स्वबंस नकपज क्मचंतजउमदज कपेबसंपडे ंदल तमेचवदेपइपसपजल वित ंदल उपे. पदवितउंजपवद वत दवद ंनइउपेपवद वि पदवितउंजपवद वद जीम चंतज वि नकपजममण त्मेचवदेपइपसपजल वि नकपज पे बवदपिदमक जव जीम उवदजी मसमबजमक वित जमेज कमजंपस बीमबाण

2. वित्तीय स्थिति :-

रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2008-09 की वित्तीय स्थिति तुलनात्मक रूप में निम्नलिखित है :-

	<u>2007-08</u>	<u>2008-09</u>
आरम्भिक शेष	21,34,37,243.	20,01,06,413.
	63	53
प्राप्तियां	41,56,09,906.	53,41,69,628.
	90	16
योग	62,90,47,150.	73,42,76,041.
	53	69
भुगतान	42,89,40,737.	44,46,69,006.
	00	00
अन्तिम शेष	20,01,06,413.	28,96,07,035.
	53	69

परन्तु विभिन्न बैंकों में दिनांक 31.03.2009 को जमा राशियों का विवरण निम्नलिखित दिया जाता है:-

(प) पुस्तक विक्रय केन्द्रों के बैंक खातों में दिनांक 31.03.2009 तक का अन्तिम शेष :-

क्र०सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या:	राशि (₹)
1.	बिलासपुर एच.जी.बी.	686	24,16,199.00
2.	बिलासपुर एस.बी.आई.	10723029457	1,67,859.00
3.	बिलासपुर पी.एन.बी	889979	109795.65
4.	बिलासपुर यूको	7476	2868.15
5.	भोरजं के.सी.सी.बी	4314	2241214.00
6.	चम्बा एस.बी.आई.	01190000900	4232213.64
7.	धर्मशाला एस.बी.आई.	10551206624	1942954.92
8.	हमीरपुर यूको	13966	750980.20
9.	जसूर एस.बी.पी.	55104358766	1463164.57
10.	कुल्लू एस.बी.आई.	10792147403	7065666.26
11.	मण्डी एच.जी.वी.	301100	231768.11
12.	मण्डी बी.ओ.आई.	7555	965403.00
13.	नाहन एस.बी.आई	11128707752	463673.01
14.	पपरोला पी.एन.बी.	38404	619625.00
15.	रिकांगपिओ एच.पी.स्टेट कोआप्रेटिव	11122	2237299.00
16.	रोहडू एस.बी.आई.	11296051217	834051.25
17.	रामपुर एस.बी.आई.	1156829176	793507.35
18.	शिमला एच.पी.स्टेट कोआप्रेटिव	4330103697	442795.56
19.	सोलन एस.बी.आई.	10688304365	695387.19
20.	ऊना सी.बी.आई	14823	470758.10
21.	घुमारवीं एच.जी.बी.	1011	2972590.00
22.	चौतड़ा एच.पी.एस.सी.बी.	5060	2685774.00
23.	ज्वालामुखी एस०बी०आई०	30168536785	29354.00
24.	राजगढ़ यूको	11769	1044600.00
25.	नगरोटा बगवां एस०बी०आई०	11329127457	77106.00
योग:-			34956606.96

(पप) धर्मशाला स्थित विभिन्न बैंक बचत खातों में दिनांक 31.03.2009 तक का अन्तिम शेष:-

क्र०	बैंक का नाम	खाता संख्या:	राशि (₹)
------	-------------	--------------	----------

सं०

1.	एस.बी.आई. धर्मशाला	1 0 5 5 1 0 9 7 4 1 0	3 6 3 8.7 8
2.	-यथोपरि-	1 0 5 5 1 0 9 7 4 3 2	3 8 4 9 4 3 0 5.3 5
3.	-यथोपरि-	1 0 5 5 1 0 9 7 3 7 4	2 2 8 4 2 3. 2 3
4.	-यथोपरि-	1 0 5 5 1 0 9 7 3 3 0	8 1 6 1 9 0. 7 8
5.	इलाहवाद बैंक धर्मशाला	2 4 7 7	4 6 2 2 5 7. 0 0
6.	पी०एन०बी० धर्मशाला	3 3 7 3 0 0 0 1 0 0 0 2 9 8 0 4	2 5 2 7 2 8 2. 2 4
7.	-यथोपरि-	3 3 7 3 0 0 0 1 0 0 0 3 6 7 6 1	2 8 8 2 6.0 0
8.	-यथोपरि-	0 1 3 6 0 0 0 1 0 0 1 6 8 2 5 5	2 9 2 5 7 6. 4 5
9.	जे.एण्ड के. बैंक धर्मशाला	0 3 5 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2	2 0 3 5 7 5 4. 0 0
1 0.	एस.वी.पी. धर्मशाला	5 5 0 9 6 9 9 4 5 3 3 0	8 8 3 4 2.5 7
1 1.	हिमाचल ग्रामीण बैंक दाड़ी	4 9 4 4	6 0 1 0 9 1. 0 0
1 2.	के.सी.सी.बी. धर्मशाला	0 0 0 2 0 0 7 0 0 0 7 4 8 6	2 2 6 6 7 9. 0 0
1 3.	बैंक आफ इण्डिया धर्मशाला	3 2 4 4	8 1 8 2 7 3. 6 6
1 4.	पी०एन०बी० मैकलोडगंज	2 5 1 7 0 0 0 1 0 1 0 0 7 9 7 4	1 7 2 6 1 6 7. 0 0
1 5.	यूको बैंक धर्मशाला	5 9 1 6	7 8 7 2 5 4. 1 2
1 6.	कैनरा बैंक धर्मशाला	4 3 6 5	2 8 1 1 6 8 0. 0 0
1 7.	बैंक आफ बड़ौदा धर्मशाला	2 0 0 3 7 3 4	8 7 9 5 4 9. 0 0
1 8.	औरिएण्टल बैंक आफ कामर्स	1 7 8	2 7 3 0 9 6. 0 0
1 9.	एच०पी०स्टैट को-आपरेटिव बैंक संजौली	4 3 3 0 1 0 5 4 1 0	3 0 2 9.0 0
2 0.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया धर्मशाला	1 4 9 1 1 5 4 4 2 0 1 4 3 0	4 1 9 1 1 3. 0 0
		योग:-	5,35,23,5 28.18

(पपप) सामान्य खाता में से निवेशित राशियां जिनका विवरण आगामी पैरा संख्या: 4 में दिया गया है :
238080000.00

(घ) ₹1300000/- की राशि पुस्तक विक्रय केन्द्र से बोर्ड मुख्यालय को स्थानान्तरित की गई थी परन्तु यह राशि न तो पुस्तक विक्रय केन्द्र के अन्तिम शेष में न ही बोर्ड मुख्यालय के बैंक खातों में दिनांक 31.3.2009 तक सम्मिलित थी ।

(ट) ;पएपपएपप व पअ का कुल योग :- ₹32,78,60,135.14

रोकड़ शेष तथा बैंक शेष के आंकड़ों के अवलोकन पर स्वतः स्पष्ट होता है कि रोकड़ शेष एवं बैंक शेष में मु0 ₹38253099.45 (₹327860135.14-₹289607035.69) का अन्तर परिलक्षित होता है जिसमें से मुवलिग 26530882.00 का अन्तर निम्नलिखित कारणों से है:-

- | | |
|---|---------------------|
| 1. बैंक खाता संख्या: 10551097432 एस.वी.आई. | 2,20,51,007. |
| बैंक धर्मशाला से जारी चैकों की राशि जो दिनांक | 00 |
| 31.03.2009 तक जारी किए गए लेकिन दिनांक | |
| 31.03.2009 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए | |
| हैं :- | |
| 2. बैंक खाता संख्या: 10551097330 एस.बी.आई. | 44,79,875. |
| धर्मशाला से जारी चैकों की राशि जो दिनांक 31. | 00 |
| 03.2009 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं: | |
| योग:- | 2,65,30,882. |
| | 00 |

इस प्रकार मु0 ₹2,65,30,882.00 की राशि के समायोजन उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष तथा कैश बुक के अन्तिम शेष में ₹1,17,22,217.45 का अन्तर शेष रहता है । इस अन्तर के मिलान हेतु न तो कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है तथा न ही कोई ठोस कार्यवाही अमल में लाई गई है यद्यपि आडिट द्वारा पूर्व में भी इस सन्दर्भ में बोर्ड प्रशासन को अपने अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में उचित कार्रवाई हेतु लगातार परामर्श दिया जाता रहा है । अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः इस ओर ठोस पग उठाने का परामर्श दिया जाता है ।

(अप) हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, अधिनियम-1968 की धारा 14(2) में यह प्रावधान है कि वार्षिक शुद्ध बचत की राशि प्रत्येक वर्ष के अन्त में स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के पास स्कूल शिक्षा के सुधार पर व्यय करने हेतु जमा करवाई जानी अपेक्षित है । वर्ष 2008-09 के अन्त शेष मुवलिग ₹28,96,07,035.69 में से वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को कोई भी राशि नहीं भेजी गई है तथा न ही स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अपने

2008-09 के अनुमोदित वार्षिक बजट में इस बारे कोई प्रावधान रखा गया था ।

3. आय एवं व्यय के मुख्य साधन :-

बोर्ड की आय के मुख्य स्रोत परीक्षार्थियों से परीक्षा शुल्क की वसूली, पुस्तकों का विक्रय एवं व्यय वेतन भत्तों का भुगतान, परीक्षा संचालन तथा कागज कय व पुस्तकों का मुद्रण इत्यादि मदों पर किया गया है ।

4. निवेश :-

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 31.03.2009 को सामान्य खाता में से निवेशित राशियों का विवरण निम्नलिखित दिया जाता है ।

ਧਰਮ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ					
क्र०	बैंक का नाम	एफडीआर सं०	दिनांक	राशि	₹
सं०					
1.	बैंक आफ इण्डिया	8034655	5.4.	4600000.	
	धर्मशाला		07	00	
2.	यूको बैंक धर्मशाला	872115	17.4.	10000000	
			07	.00	
3.	ओ०बी०सी० धर्मशाला	411122	17.4.	10000000	
			07	.00	
4.	पी०एन०बी०	448079	17.4.	2000000.	
	मैकलोडगंज		07	00	
5.	-यथोपरि-	448082	19.4.	4000000.	
			07	00	
6.	पी०एन०बी० कांगड़ा	964846	20.4.	13980000	
	रोड धर्मशाला		07	.00	
7.	एस०बी०पी० धर्मशाला	548864	4.8.	5000000.	
			07	00	
8.	ओ०बी०सी० बैंक	411306	10.7.	12000000	
	धर्मशाला		07	.00	
9.	एच०जी०बी० दाड़ी	33647	26.4.	20000000	
			08	.00	
10.	एस०बी०आई०के०बी०	3037549347	16.4.	2500000.	

	धर्मशाला	2	08	00
11.	-यथोपरि-	3037549347	16.4.	9500000.
		3	08	00
12.	-यथोपरि-	3037549305	16.4.	9500000.
		2	08	00
13.	-यथोपरि-	3037549265	16.4.	9500000.
		0	08	00
14.	-यथोपरि-	3037548696	16.4.	9500000.
		4	08	00
15.	-यथोपरि-	3037549234	16.4.	9500000.
		4	08	00
16.	के०सी०सी०बी०	338672	13.5.	8500000.
	धर्मशाला		08	00
17.	पी०एन०बी०के०वी	013600८०००	3.6.	10000000
	धर्मशाला	23924	08	.00
18.	-यथोपरि-	925569	20.	10000000
			11.08	.00
19.	यूको बैंक धर्मशाला	618873	21.	8000000.
			11.08	00
20	पी.एन.बी.के.आर.	337300८०००	20.	10000000
	धर्मशाला	000014	11.08	.00
21	पी.एन.बी. मैकलोटांगंज	98747	20.	10000000
			11.08	.00
22.	एसवीपी धर्मशाला	472281	22.	10000000
			11.08	.00
23.	के.सी.सी.बी. धर्मशाला	1049598	22.	10000000
			11.08	.00
24.	एसबीआई धर्मशाला	652146	25.	10000000
			11.08	.00
25.	एसबीपी सोलन	668430	24.	8000000.
			11.08	00
26.	-यथो०-	668443	25.	7000000.

		11.08	00
27.	बैंक ऑफ इण्डिया धर्मशाला	8117728	25. 5000000.
		11.08	00
		योग:- 23808000	
		0.00	

5. अंकेक्षण शुल्क :-

निवासी अंकेक्षण योजना, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का अंकेक्षण शुल्क वर्ष 2008-09 हेतु मु० ₹29,07,117/- बनता है ।

इस राशि को हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया, धर्मशाला के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्या: 154901 दिनांक 8.1.2010 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र०, शिमला-171009 के कार्यालय में जमा करवा दिया गया है ।

6. आय का वकाया :-

(प) परीक्षा शुल्क :- हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कार्यालय से परीक्षा शुल्क एवं बिलम्ब शुल्क के रूप में दिनांक 31.03.2009 तक परीक्षार्थियों से कितनी राशि बसूली हेतु शेष थी, की सूचना बोर्ड कार्यालय द्वारा अधूरी उपलब्ध करवाई गई है । जिसके अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान जितनी राशि परीक्षा शुल्क व विलम्ब शुल्क दिनांक 31.03.2009 तक बसूली जानी थी, से सम्बन्धित सूचि ही उपलब्ध करवाई गई है जिसके अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान आयोजित परीक्षाओं के छात्रों से मु० ₹3441981/- बसूले जाने शेष थे । इसके अतिरिक्त पूर्व वर्षों में आयोजित की गई परीक्षाओं से सम्बन्धित कितनी राशि अभी तक बसूली हेतु लम्बित है, के बारे में भी कोई विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया । यह मामला स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के ध्यान में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है । इसके अतिरिक्त आज तक आयोजित समस्त परीक्षाओं से सम्बन्धित दिनांक 31.03.2009 तक बसूली हेतु लम्बित प्रवेश शुल्क व विलम्ब शुल्क की राशियों का शीघ्र विवरण तैयार करके इन्हें दोषी छात्रों से बसूले जाने हेतु उचित पग उठाए जाएं तथा भविष्य में भी समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि कोई भी राशि बसूली हेतु लम्बित न रहे ।

(पप) स्कूल शिक्षा बोर्ड की विक्रय शाखा द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2008-09 के दौरान शिक्षा विभाग को उधार विक्रय की गई पुस्तकों एवं प्राप्त राशियों तथा वर्ष के अन्त में बसूली हेतु लम्बित राशियों का विवरण नीचे दिया जाता है । बसूली हेतु लम्बित राशि ₹5,15,80,536/- की शीघ्र प्राप्ति हेतु मामला शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश से उठाया जाए ।

	उच्चतर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	प्रारम्भिक/प्राथमिक शिक्षा निदेशालय
1. गत वर्ष के अन्त में बसूली हेतु लम्बित राशि।	4081043.00	47950453.00
2. वर्ष 2008-09 के दौरान कुल उधार विक्री की राशि	87321624.00	95721294.00
3. कुल बसूली हेतु लम्बित राशि	91402667.00	143671747.00
4. वर्ष 2008-09 के दौरान प्राप्त कुल राशि ।	81000000.00	102493878.00
5. वर्ष 2008-09 के अन्त में बसूली हेतु लम्बित राशि।	10402667.00	41177869.00
6. कुल राशि ₹5,15,80,536/-		

;पपपद्ध वर्ष के दौरान पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर द्वारा कुल ₹4026868.00 की राशि की पुस्तकों शिक्षा विभाग को विक्रय की गई थी जबकि उक्त डिपो के द्वारा इसके विरुद्ध ₹3976868.00 की पुस्तकों की प्रतिपूर्ति ही शिक्षा विभाग से मांगी गई है । शेष ₹50000.00 की राशि की भरपाई उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए ।

7.(1) अंशदायी भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि/गैर अंशदायी भविष्य निधि :-

प) लेखा परीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 1.04.2000 से पूर्व गत कई वर्षों से अंशदायी/गैर अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़वही का रखरखाव नहीं किया जा रहा है । इस अनियमितता के बारे में आडिट द्वारा अपनी पिछली रिपोर्ट के माध्यम से बोर्ड प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है । अतः पुनः अनुरोध है कि 01.04.2000 से पूर्व समस्त अवधि की रोकड़-वही शीघ्र तैयार करके लेखा परीक्षा-शाखा में आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएं ।

पपद्ध अंशदायी भविष्य/सामान्य भविष्य निधि की वर्ष 2008-09 की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निम्नलिखित है ।

1. प्रारम्भिक शेष (पद्धनिवेशित राशि ;पपद्ध बैंक में राशि	1 3 6 4 0 9 7 4 0.00 5 7 7 9 4 5.93
योग	1 3,69,87,685. 93
2. प्राप्तियां (वेतन से कटौती, निवेशित राशियों के ब्याज व बैंक ब्याज सहित)	6 1 9 8 3 5 5 9.91
3. योग	1 9,89,71,245. 84
4. भुगतान	5 0 1 4 0 4 4 6.00
5. अन्तिम शेष	1 4,88,30,799. 84

दिनांक 31.03.2009 को भारतीय स्टेट बैंक
धर्मशाला के बचत खाता संख्या:
10551097443 में जमा राशि 6,19,461.93

दिनांक 31.03.2009 को भविष्य निधि में
से निवेशित राशि 14,82,11,386.
91

**योग: 14,88,30,848.
84**

रोकड़ शेष व बैंक शेष में ₹49/- का अन्तर परिलक्षित हुआ है जिसकी समाधान विवरणी तैयार की जाए ।

(पपप) अंशदायी भविष्य /सामान्य भविष्य निधि में से दिनांक 31.03.2009 को निवेशित राशियों का विवरण परिशिष्ट ' 1 ' में वर्णित है ।

(पअ) उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2008-09 के अन्त में अंशदायी भविष्य /सामान्य भविष्य निधि खातों अनुसार कुल देनदारी की राशि मु. ₹159707241/- थी जोकि इस निधि में बैंकों में पड़ी उपरोक्त कुल राशि ₹148830848.84 जमा ₹6087289/- (भविष्य निधि में से निवेशित राशियों पर दिनांक 31.3.2009 तक अर्जित होने वाले कुल ब्याज अर्थात् ₹154918137.84 से ₹4789103.16 अधिक है । इस निधि में देनदारी की बढ़ रही राशि को संतुलित करने की आवश्यकता है ।

(अ) रोकड़ वही की जांच पर यह पाया गया कि सावधि जमा निवेश की परिपक्वता पर पुनः निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज राशि को रोकड़ वही में आय के रूप में नहीं दर्शाया गया है, जिसका भविष्य हेतु लेखांकन सुनिश्चित किया जाए।

बोर्ड प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि निवेशों की परिपक्वता पर पुनः निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज राशि व निवेश परिपक्वता पर निधि

में जमा राशि पर अर्जित ब्याज को रोकड़ वही में बतौर प्राप्तियां दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(अप) परिपक्वता तिथि से पहले निवेशों को भुनाने बारे ।

सामान्य भविष्य निधि से निवेशित राशियों को जिनका विवरण संलग्न परिशिष्ट 2 में वर्णित है। उनकी परिपक्वता तिथि से पहले भुनाकर पुनः निवेश किया गया है परन्तु भुनाये गये निवेशों पर किस ब्याज दर से बैंक ने ब्याज दिया है व गणना किस प्रकार की गई है, से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित परिशिष्ट में दर्शाई गई एफ0डी0आर0 जिन्हें निर्धारित परिपक्वता तिथि से पहले भुना लिया गया है, के उपर किस-2 ब्याज दर से सम्बन्धित बैंक द्वारा ब्याज दिया गया है स्पष्ट किया जाए तथा प्राप्त राशि की गणना विवरण तैयार कर लेखा परीक्षा के सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाए ताकि प्राप्त ब्याज गणना की सही जांच की जा सके ।

(अपप) एक ही अवधि के निवेशों पर अलग-2 दर से ब्याज प्राप्त करने बारे ।

संलग्न परिशिष्ट.....2..... में वर्णित निवेशों की जांच में यह पाया गया कि एक ही तिथि को अलग-2 बैंक में निवेशित राशियों पर अलग-2 दर से बैंक ने ब्याज दिया जाना स्वीकृत किया है जोकि वित्त विभाग हि0 प्र0 सरकार के पत्र संख्या: फिन-आई0एफ0 (ए) 1/-3/91-अ दिनांक 6. 11.08 के विपरीत है। उक्त पत्र अनुसार बोर्ड प्रशासन को सभी -बैंकों से प्रतियोगी ब्याज दरें आमन्त्रित की जानी चाहिए थी तथा जो बैंक अधिक ब्याज दर देने के लिए सहमत होता उसी से निवेश किए जाने आपेक्षित थे । इस प्रकार के निवेशों का तुलनात्मक विवरण निम्नलिखित है ।

बैंक का नाम	निवेश संख्या:	अवधि	निवेश की तिथि	ब्याज दर (प्रतिशत)	राशि()
ओ.बी.सी.	099568	एक वर्ष	7.10.08	11.55	12324468.00
एस.बी.आई	0652092	-यथो0-	6.10.08	11.50	10000000.00
के.सी.सी. बैंक	1047411	-यथो0-	28.11.08	11	10579398.00

-यथो0-	511883	-यथो0-	-यथो0-	11	10816018.
					00
एसवीपी	412312	-यथो0-	-यथो0-	10.50	10111112.
					00
यूको बैंक	272537	1 वर्ष	-यथो0-	10.50	9778866.
					00

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि राशियों को उचित ढंग से बोर्ड प्रशासन द्वारा निवेशित नहीं किया जा रहा है जो बैंक बोर्ड को अधिक ब्याज देने को सहमत होता उसी बैंक में राशियों का निवेश किया जाना चाहिए था । इस प्रकार यह वित्तीय मापदंडों का सरासर उल्लंघन है क्योंकि बोर्ड ने कम से कम 10.50 प्रतिशत व अधिक से अधिक 11.55 की ब्याज दर पर अधिकतर निवेश दिनांक 7.10.08 से 28.11.2008 के बीच निवेश किए हैं । जो बैंक निवेशित तिथियों को अधिक ब्याज दे रहे थे उनसे बोर्ड प्रशासन को ब्याज दर प्राप्त करने के लिए समझौता करना चाहिए था ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त वित्त विभाग के पत्र की अनुपालना न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस कोताही के कारण ब्याज की हुई हानि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

(2) (प) गैर अंशदायी भविष्य निधि की वित्तीय स्थिति उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार निम्नलिखित है :-

1. प्रारम्भिक शेष (पद्धनिवेशित राशि	310281.00
;पद्ध बैंक में	262314.49
राशि	572595.49
2. प्राप्तियां (वेतन से कटौती, निवेशित	372532.00
राशियों के ब्याज व बैंक ब्याज सहित)	
3. निवेश परिपक्वता पर ब्याज	27150.00
4. योग	972277.49
5. भुगतान	305985.00
6. अन्तिम शेष ।	666292.49
दिनांक 31.03.2009 को भारतीय स्टेट	297561.49
बैंक धर्मशाला के बचत खाता संख्या:	
10551097421 में जमा राशि	

दिनांक 31.03.2009 को गैर अंशदायी भविष्य निधि में से निवेशित राशि 337431.00

योग: 634992.49

रोकड़ शेष व बैंक के अन्तिम शेष में ₹31060/-का अन्तर

निम्न कारणों से है:-

(प) 1.11.08 को प्राप्त राशि ₹31300/- का बैंक द्वारा क्रेडिट दिनांक 17.1.2011 को ऑडिट द्वारा उठाये जाने उपरान्त दिया गया है ।

(पप) गैर अंशदायी भविष्य निधि में से निवेशित राशियों की सूचि परिशिष्ट3.... पर संलग्न की गई है ।

(पपप) उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार वर्ष 2008-09 के अन्त में गैर अंशदायी भविष्य निधि खातों के अनुसार कुल देनदारी ₹559792/- थी जोकि गैर अंशदायी भविष्य निधि में पड़ी उपरोक्त कुल राशि ₹634992.49 जमा ₹13034/- (गैर अंशदायी भविष्य निधि में से निवेशित राशियों पर दिनांक 31.03.09 को अर्जित होने वाला ब्याज) अर्थात् ₹648026.49 से ₹88234.49 कम है । भविष्य में उक्त निधि व इसकी देनदारी में संतुलन बनाये रखने के प्रयास किए जाएं ।

8(1) पेंशन निधि :- बोर्ड अधिसूचना संख्या: हि० शि० बो० (पेंशन)2006/06-305 दिनांक 20.10.06 के अनुसार हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों/अधिकारियों को 1.1.2005 से राज्य सरकार की पद्धति पर पेंशन योजना लागू की गई । पेंशन भुगतान हेतु अलग पेंशन निधि का गठन किया गया। इस प्रकार रोकड़ वही अनुसार पेंशन निधि की वर्ष 2008-09 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है :-

1. प्रारम्भिक शेष :-

प. रोकड़ वही का शेष	2699283.00	142438743.
पप निवेशित राशि	139739460.	00
	00	

6. प्राप्तियां:-

i- पेंशन अंशदान व बैंक ब्याज

सहित	21323500.	
पप. निवेशित राशियों पर प्राप्त	00	49993935.
ब्याज	8370435.00	00
पपप. सामान्य निधि से	20000000.	
स्थानान्तरित राशि	00	
पअप उपदान निधि से	300000.00	
स्थानान्तरित राशि		

7. कुल योग 192432678.

	00
8. भुगतान	20217118.00
9. अन्तिम शेष	172215560.00
प. दिनांक 31.3.09 को बैंक में जमा राशि	5810430.00
पप. दिनांक 31.3.09 को निवेशित राशियां	166405130.00
1 व 2 का योग:-	172215560.00

अतः लेखे मेल खाते हैं ।

(2) पेंशन निधि में से दिनांक 31.3.09 तक निवेशित राशियों का विवरण परिशिष्ट ‘..4..’ में वर्णित है।

(3) पुनः निवेशित राशियों व परिपक्वता पर निवेश राशि को खाता में जमा करवाने पर अर्जित ब्याज को बतौर प्राप्तियां रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया जा रहा है जिसे दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(4) पेंशन निधि का प्रबन्धन:- हि० प्र० सरकार के शिक्षा विभाग के पत्र संख्या: शिक्षा-आ-ख(10)-1/2004 दिनांक 2.8.2005 द्वारा स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों को पेंशन योजना स्वीकृत की गई थी । वित्त विभाग/शिक्षा विभाग की संस्तुती उपरान्त हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों को लागू की गई पेंशन योजना की अधिसूचना क्रमांक एचबी(1) संस्थापन-सा०फा०-142 (पेंशन)/2006-5680-5779 दिनांक 18.4.2006 की धारा 5(2) व बोर्ड द्वारा पेंशन योजना का प्रस्ताव जो सी० ए० ;बीतजमतमक ।बबवनदजंदजद्ध से वनवाकर हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा गया था, अनुसार दिनांक 1.1.2005 से सभी पात्र कर्मचारियों के मूल वेतन, डी०पी० व मंहगाई भत्ता का 12 प्रतिशत पेंशन निधि में बतौर बोर्ड अंशदान हस्तांतरण किया जाना निश्चित किया गया था । परन्तु बोर्ड प्रशासन ने वर्ष 2006-07 से यह दर 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बोर्ड की मद सं० 13 द्वारा संशोधित कर दी गई । जोकि नियमानुसार नहीं है । क्योंकि सरकार द्वारा अनुमोदित पेंशन योजना अनुसार ही पेंशन निधि में बोर्ड अंशदान बोर्ड की सामान्य निधि से हस्तांतरण किया जाना चाहिए था । इसके अतिरिक्त बोर्ड प्रशासन ने इस वर्ष 2 करोड़ रुपये की राशि पेंशन योजना को हिमाचल प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग के पत्र संख्या: शिक्षा-आ-ख(10)-1/2004 दिनांक 2.8.05 के अनुसरण में पेंशन योजना को स्वतः विश्वस्नीय व जीवन क्षम वनाये रखने

की आड़ में बोर्ड अंशदान 15 प्रतिशत की दर के अतिरिक्त सामान्य निधि से बजट प्रावधान रखकर अलग से इस निधि में स्थानान्तरित किए गए परन्तु यह नियमानुसार नहीं है । इस प्रकार बोर्ड प्रशासन बोर्ड अंशदान 15 प्रतिशत की दर से व बजट प्रावधान अलग से रखकर दोनों मदों के अर्न्तगत सामान्य निधि से पेंशन निधि को राशियां हस्तांतरण कर इस निधि का अनुरक्षण कर रहा है । यदि पेंशन योजना पूर्णतया बोर्ड की सामान्य निधि पर ही आश्रित है तो अलग निधि सृजित करने का क्या औचित्य है ।

वर्ष 2008-09 के दौरान पेंशन निधि में ₹21265400/- 15 प्रतिशत की दर से बोर्ड ने अंशदान के रूप में व 2 करोड़ रु० अलग से बजट प्रावधान के अर्न्तगत सामान्य निधि से हस्तांतरित किए गए। जबकि वर्ष के दौरान इस निधि में से रु० 20217118 खर्च किए गए । इससे स्वतः स्पष्ट है कि यदि बजट प्रावधान के अर्न्तगत 2 करोड़ को छोड़ कर इस निधि में प्राप्त राशियों व खर्च में प्राप्तियां लगभग 10.48 लाख अधिक हैं । इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की लगातार बढ़ रही संख्या: व अंशदान देने वाले कर्मचारियों की कम हो रही संख्या से इस निधि में अंशदान भी स्वभाविक तौर से कम होना निश्चित हो रहा है । व देनदारी वर्ष दर वर्ष बढ़नी स्वभाविक है। बोर्ड द्वारा पेंशन योजना जो सी० ए० ;बीतजमतमक ।बबवनदजंदजद्ध से बनवा कर हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुमोदित करवाई गई थी । उसके अनुसार निधि में राशियों की प्राप्ति व व्यय नहीं हो रहा है अर्थात् निधि में जमा हो रही राशि व खर्च के प्रवाह में संतुलन नहीं है जिसके कारण कालान्तर में इस पेंशन योजना की जीवन क्षम विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगना स्वभाविक है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि सी० ए० ;बीतजमतमक ।बबवनदजंदजद्ध से तैयार करवाई गई पेंशन योजना व सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन योजना अनुसार ही 12 प्रतिशत की दर से ही सामान्य निधि से पेंशन निधि को राशियां हस्तांतरित की जानी सुनिश्चित की जाए । वर्ष 2006-07 से जो 12 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की दर से बोर्ड अंशदान पेंशन निधि में डालने की व इस वर्ष 2 करोड़ रु० बजट प्रावधान के विरुद्ध पेंशन निधि में स्थानान्तरित करने की कार्योत्तर स्वीकृति हिमाचल प्रदेश सरकार से ली जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा नियमों के विपरीत/अनियमित तौर से स्थानान्तरित राशियों को पुनः पेंशन निधि से बोर्ड

की सामान्य निधि में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

9. **उपदान निधि :-** उपदान निधि की वर्ष 2008-09 की वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है :-

	वर्ष 2008-09
1. प्रारम्भिक शेष	973394.00
2. प्राप्तियां (वेतन बिलों के साथ काटी गई बोर्ड अंशदान की राशि)	5056186.00
3. बचत खाता में ब्याज का क्रेडिट	50928.00
4. बोर्ड के सामान्य खाता से स्थानान्तरित राशि	3500000.00
5. पेंशन निधि से स्थानान्तरित राशि	54748.00
6. बैंक द्वारा काटे गए टी0 डी0 एस0 का प्रत्यापरण	187023.00
7. 1 से 6 तक का कुल योग	9822279.00
8. भुगतान	8343488.00
9. अन्तिम शेष	1478791.00
बैंक खाता का दिनांक 31.3.09 को अन्तिम शेष	1478791.00

अतः लेखे मेल खाते हैं ।

10. (1) **अध्यापक कल्याण निधि :-** अध्यापक कल्याण निधि की दिनांक 31.3.2009 को वित्तीय स्थिति निम्नलिखित है ।

1.	प्रारम्भिक शेष (प) निवेशित राशियां	3574577.00
	(पप) बैंक शेष	1172941.63
2.	योग	4747518.63
3.	अध्यापक बिलों से काटी गई राशि की प्राप्तियां व बैंक ब्याज	876651.00
4.	निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज	284461.00
5.	2, 3 व 4 का योग	5908630.63
6.	भुगतान	40086.00
7.	अन्तिम शेष	5868544.63
	उक्त निधि के बचत बैंक खाता का दिनांक 31.3.09 को अन्तिम शेष निवेशित राशियां	2009506.63
	योग	3859038.00
		5868544.63

अतः लेखे मेल खाते हैं ।
(पप) अध्यापक कल्याण निधि से किए गए निवेशों का विवरण निम्नलिखित है ।

क्र.सं.	एफडीआर संख्या:	दिनांक	राशि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि	बैंक का नाम
1.	8043156469-7	1.11.06	130242	1.11.09	1603859/-	एस.बी.आई.
2.	30609277979	15.12.08	94368	15.12.09	103657/-	एसबीआई
3.	337300पीआर000015262	28.11.08	214252	28.11.09	237650/-	पीएनबी
4.	65048181828	18.12.08	224799	18.12.09	2487420/-	एस.बी.पी
योग:			385903	8/		

11. गोपनीय निधि :- सचिव द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.09 को गोपनीय निधि में ₹66213.60 अनुपायुक्त शेष थे, जिन्हें वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए था ।

12. अनुदान :- आडिट में प्रस्तुत विवरणानुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में हिमाचल प्रदेश सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है ।

13. ऋण :-

वर्ष 2008-09 के दौरान स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई ऋण नहीं लिया गया है और न ही कोई ऋण लौटाया जाना शेष है ।

14. पूर्व अंकेक्षण के दौरान विभिन्न बिलों में से कटौतियां (रिटैन्चमेंट) :-

अंकेक्षण अवधि के दौरान पूर्व अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किए गए बिलों की जांच के दौरान अधिक, अनियमित एवं गलत भुगतान किए जाने के कारण ₹316628/- की राशि की कटौतियां की गई हैं । जिसका विवरण इस

सम्बन्ध में तैयार किए गए रजिस्टर में रखा गया है । उपरोक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि बोर्ड कार्यालय द्वारा विभिन्न बिलों की जांच सही एवं नियमित तौर पर नहीं की जा रही है । अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि भविष्य में आंतरिक जांच को और सद्दृढ़ किया जाए ताकि ऐसी अनियमितताओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो ।

15. बकाया अग्रिम राशियों का समायोजन :-

बोर्ड कार्यालय की विभिन्न शाखाओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचियों के अनुसार विविध प्रयोजनों के लिए बोर्ड निधि में से दी गई अग्रिम राशियों में से दिनांक 31.03.2009 तक मुवलिग ₹17,16,92,196/- की राशि असमायोजित है जिसका वर्षवार विवरण निम्नलिखित है ।

वर्ष **असमायोजित अग्रिम** **की कुल राशि ₹**

1969.70	10913000
1970.71	13934200
1971.72	23005300
1972.73	10180800
1973.74	28892000
1974.75	45636800
1975.76	37128000
1976.77	34232000
1977.78	40126800
1978.79	90042900
1979.80	67141700
1980.81	108673800
1981.82	95266100
1982.83	100770400
1983.84	70200700
1984.85	334691000
1985.86	268060100
1986.87	278687300
1987.88	129595200
1988.89	214795600
1989.90	241200300
1990.91	129928600
1991.92	236970000
1992.93	254296900
1993.94	79053800
1994.95	292823900
1995.96	440785400
1996.97	567643400
1997.98	544790100
1998.99	223503800
99.2000	92422000
2000.01	283174400
2001.02	25938000
2002.03	218077400
2003.04	380573500

2004.05	6560273०00
2005.06	4674371०00
2006.07	16121059०00
2007.08	27970968०00
2008.09	56233973०00
कुल योग:-	171692196०00

16. बोर्ड कर्मचारियों को समय पर आवास आंबटन न करने के फलस्वरूप ८36012/-आय की राशि की हानि होने बारे ।

आवास आंबटन रजिस्टर की जांच में पाया गया कि बोर्ड आवासीय कालौनी के आवासों को समय पर कर्मचारियों को आंबटन न करने के फलस्वरूप काफी समय तक खाली रहने के कारण बोर्ड को ८36012 की आय राशि की हानि उठानी पड़ी है जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 5 में वर्णित है । यह मामला हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव, से अधियाचना संख्या: 36 दिनांक 18.2.09 द्वारा इस आशय के साथ उठाया गया था कि उपरोक्त तथ्यों का या तो औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बोर्ड कर्मचारियों को समय पर आवासों को आंबटन न करने के फलस्वरूप बोर्ड निधि को ८36012/- की आय हानि व जिस तिथि से आवास खाली हुआ व आंबटन की तिथि तक पात्र कर्मचारियों को जो मकान किराया भत्ता की अदायगी अनावश्यक रूप में करनी पड़ी है, का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए । परन्तु इस सन्दर्भ में कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को आज दिन तक अवगत नहीं करवाया गया है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि बोर्ड आय में ८36012/-की हुई हानि व मकान किराया भत्ता की अनावश्यक रूप में की गई अदायगी का उत्तरदायित्व अब निर्धारित किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

17. श्री कृष्ण चन्द, वरिष्ठ सहायक को गलत तिथि से उच्च वेतनमान दिए जाने बारे ।

श्री कृष्ण चन्द, वरिष्ठ सहायक की सेवा पंजिका की जांच में पाया गया कि बोर्ड कार्यालय आदेश एच.बी (1) संस्थापन. जी.एफ. 109(खण्ड-5) 2007-18515 दिनांक 11.9.2007 अनुसार दिनांक 9.7.2007 से उसे 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर उच्च वेतनमान 6400:10640 स्वीकृत किया गया था । उसका वेतन समसंख्यक कार्यालय आदेश क्रमांक जी. एफ-12(खण्ड-16) दिनांक 29.9.2007 द्वारा निर्धारित करके मूलवेतन ८7000/-से 7220/- दिनांक 9.7.2007 से बढ़ाया गया । जबकि वित

विभाग के पत्र संख्या: फिन (पी.आर.) बी (7)-51/98 दिनांक 1.12.99 अनुसार जिस अवधि में कर्मचारी के मूल वेतन में सिवाय वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतनमान संशोधन के कारण वृद्धि और वेतन संशोधन के कारण वृद्धि होती है इस प्रकार की अवधि को 8/16/24/32 वर्ष के लाभ हेतु गणना में नहीं लिये जाने का प्रावधान है ।

जैसे कि सम्बन्धित कर्मचारी वरिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान ₹5800-9200 में दिनांक 14.9.2001 को पदोन्नत किये जाने के कारण उसका मूल वेतन ₹5405 से ₹5800 निर्धारित किया गया था। इस तरह उसे उच्च वेतनमान ₹6400-10640 दिनांक 14.9.2009 से स्वीकृत किया जाना चाहिए था न कि दिनांक 9.7.2007 से ।

सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड से ऑडिट अध्याचना संख्या: 527 दिनांक 25.9.2008 द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि 8 वर्ष पूरा करने उपरान्त श्री कृष्ण चन्द को दिए गए उच्च वेतनमान को वित्त विभाग के उक्त निर्देशों के परिपेक्ष में पुनः विचारा जाए यदि किसी प्रकार का अधिक भुगतान किया गया है तो उसकी बसूली सुनिश्चित की जाए । बोर्ड प्रशासन द्वारा यह मामला पुनः जांच उपरान्त ₹13897/- की राशि की अधिक अदायगी श्री कृष्ण चन्द के विरुद्ध पाई गई जिसमें से ₹13000/- की राशि उसके वेतन से बसूली जा चुकी है । परन्तु ₹897/- की राशि अभी तक वसूली जानी शेष है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि पूर्ण राशि की बसूली करने के उपरान्त ऑडिट को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में आन्तरिक जांच व्यवस्था को सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए ।

18. वार्षिक वेतन वृद्धि बारे :-

बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा पंजिकाओं की जांच में पाया गया है निम्नलिखित कर्मचारियों को माह की प्रथम तारीख जिसमें यह देय थी से वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत की गई थी परन्तु ये सभी कर्मचारी माह की पहली तारीख को या आगे तक अवकाश पर थे । इन्हें बढ़ा हुआ मूल वेतन व भत्ते जिस तिथि को कार्यालय में अवकाश उपरान्त उपस्थिति देते उस तिथि से मिलना था न कि उस मास की प्रथम तिथि से । यह मामला सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से ऑडिट अध्याचना संख्या: 526 दिनांक 25.9.08 अनुसार अधिक किए गए भुगतान की बसूली हेतु उठाया गया था । सभी कर्मचारियों से राशि ₹1260/-की बसूली तो यद्यपि बोर्ड

प्रशासन द्वारा कर ली गई है परन्तु भविष्य में आन्तरिक जांच और सुदृढ़ ढंग से की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि इस तरह की कोताही की पुनरावृत्ति न हो ।

क० सं०	कर्मचारी का नाम एवं कोड	वेतनवृद्धि की तिथि	वेतन देय की तिथि	वेतन से बढ़ौतरी	अवकाश की अवधि
1ण	श्री प्यार सिंह, कनिष्ठ सहायक (505)	1.7.2005	1.7.05	5480 जव 5640	ब्वउउनजमक समंअम 20.6.05 जव 30.7.05
2.	श्री रामेश्वर रंजटा, वरिष्ठ सहायक (295)	1.7.04	1.7.04	6600 जव 6800	मृ तिवउ 30.6.04 जव 17.7.04
3ण	श्री लायक राम, वरिष्ठ सहायक(266)	1.7.06	1.7.06	7660 जव 7880	मृ 19.6.06 जव 22.7.06
4.	श्री कुलदीप सिंह, वरिष्ठ सहायक(244)	1.8.06	1.8.06	7880 जव 8100	मृ 24.7.06 जव 8.8.06
5.	श्री देवी राम, दफतरी (212)	1.8.06	1.8.06	4700 जव 4850	मृ 21.7.06 जव 24.7.06 दक ब्वउउण समंअम 25.7.06 जव 23.8.06ण
6.	श्री सुरेश चन्द शर्मा(356)	1.9.06	1.9.06	7220 जव 7440	मृ 28.8.06 जव 2.9.06
7.	श्रीमति आशा शर्मा (345)	1.9.06	1.9.06	7220 जव 7440	मृ 28.8.06 जव 2.9.06

19. बोर्ड कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की अदायगी करने बारे जबकि उनके द्वारा आंबटित आवास का कब्जा लेने में असफल रहना या कब्जा न मंजूर करना ।

वर्ष 2007-08 से सम्बन्धित बोर्ड आवासों/कलौनी की स्टैण्डर्ड लाईसेंस फीस रिकार्ड की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित बोर्ड कर्मचारियों को बोर्ड कलौनी में आवास आंबटित किए गये थे परन्तु उन्होंने सहमति उपरान्त आंबटित आवासों का कब्जा नहीं लिया था व हिमाचल प्रदेश सरकारी आबास आंबटन/हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड आवास आंबटन नियम 9(1) अनुसार ऐसे कर्मचारी जो पात्र श्रेणी के आवास के लिए हकदार हैं को 5 दिन में सहमति देनी होती है या आवास आंबटन की तिथि से 8 दिन के भीतर-2 आवास का कब्जा लेने में असमर्थ/असफल रहते हैं तो ऐसे कर्मचारी आगामी आबास आंबटन के लिए एक वर्ष के लिए पहले आंबटन की तिथि से आयोग्य समझे जायेंगे इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आवास आंबटन नियम 9(1) के अन्तर्गत एक साल के लिए आवास आंबटन के लिए आयोग्य करार दिए गए कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता नियम

4(बी)(1) अनुसार एक वर्ष के लिए मकान किराया भत्ता की अदायगी भी नहीं की जानी चाहिए थी ।

तण छवण

छंडम व तिमनिंसेण

- 1ण ाीपीतउंएण्ण भण्णवण 24ए जलचम.प्टए ठसवबा.प्प
- 2ण ाीण त्हीनइपतैपदहीएतण ोजजण भण्णवण 353 जलचम.प्प
- 3ण ाीणैनतमी ठमतपएतण ोजजण भण्णवण 378 जलचम.प्प
- 4ण ाीण त्तमउ वनजजौतउंए ब्समताए भण्णवण 263 जलचम.प्प
- 5ण ाीणैनकमी ज्ञनउंतए ब्समताए भण्णवण 269ए जलचम.प्प
- 6ण ाीणैनी तंडुएतण ोजजण भण्णवण 357ए जलचम.प्प
- 7ण ाीण ज्ञतपीदैपदही ठमतउंएतण ोजजण जलचम.प्प
- 8ण ाीणैनतमी ज्ञनउंतए.टए श्रतण ोजजण जलचम.प्प
- 9ण ाीण छपंद बीदकौतउंए श्रतण ोजजण
- 10ण ाीणैनतमदकमतैपदही डमीजंएतण ोजजण जलचम.प्प
- 11ण ाीण छंदहं हंतएतण ोजजण
- 12ण ाीण भंतकमअौतउंएतण ोजजण
- 13ण ाीणैनदपस वनजजौतउंए ब्समताए जलचम.प्प
- 14ण ाीण तंड रंस दंतजंएतण ोजजण जलचम.प्प
- 15ण ाीण च्चीचं कमअपए श्रतण ोजजण भण्णवण 355ए जलचम.प्प
पकीचनतण
- 16ण ाीण ैदरममअ ठरूंतपंए तण ोजजण भण्णवण 367ए जलचम.प्प
पकीचनत
- 17ण ाीण स्मी तं झीलंचए तण ोजजण भण्णवण 366ए जलचम.प्प
पकीचनत
- 18ण ाीण टपरंल ज्ञनउंतएतण ोजजण
- 19ण ाीण श्रंप बीदकौतउंए श्रतण ोजजण. 1ण7ण08
- 20ण ाीण छंतमदकमत चंसैनचकजण जलचम.प्टण
- 21ण ाीण इंदैपदहीएैनचकजए जलचम.प्टण
- 22ण ाीण त्वीद रंस ज्ञनदकंसए श्रतण ोजजण
- 23ण ाीण ज्ञीमउ बीदकए श्रतण ोजजण
- 24ण भनांउैपदहीएैनचकजण
- 25ण ज्ञंउसमी श्रवीपएैनचकजण
- 26ण ठीरंद वै इवजजएण्ण
- 27ण ौदप ज्ञनउंतए श्रतण ोजजण
- 28ण कमी तंए श्रतण ोजजण

ऑडिट अधियाचना संख्या: 536 दिनांक 30.9.08 द्वारा अनियमित रूप से मकान किराए भत्ते के किए गए भुगतान की बसूली हेतु सचिव,

हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से मामला उठाया गया था परन्तु की गई कार्रवाई से लेखा परीक्षा को आज दिन तक अवगत नहीं करवाया गया है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि बोर्ड कर्मचारियों को उपरोक्त वर्णनानुसार अनियमित रूप से किए गए मकान किराया भत्ता की बसूली व दिनांक 1.4.07 से पूर्व अस्वीकार/इन्कार या आंबटित मकान का कब्जा निर्धारित अवधि में न लेने की जांच प्रशासन अपने स्तर पर करे व इस सन्दर्भ में भी मकान किराया भत्ता की अनियमित अदायगी की बसूली भी सुनिश्चित करे तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अविलम्ब अवगत करवाया जाए ।

20. हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्णय न लिए जाने के कारण यात्रा भत्ता दावों में सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों के अनियमित भुगतान ।

हि० प्र० शिक्षा बोर्ड की विभिन्न बैठकों में भाग लेने आए सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता दावे अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए थे । इनकी जांच करने पर पाया गया कि हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा अधिनियम के अनुसार निर्णय न लिए जाने के कारण यात्रा भत्ता दावों में सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों के अनियमित भुगतान बिल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए जिन्हें यद्यपि अधियाचना संख्या: 448 दिनांक 5.5.2008 के अन्तर्गत भुगतान हेतु पारित कर दिया गया था परन्तु सरकार द्वारा बोर्ड एवम् निगमों के सदस्यों को वित्त विभाग के पत्र दिनांक 10.2.99 द्वारा गैर सरकारी सदस्यों को हि० प्र० सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारी तथा सरकारी सदस्यों को उन्हीं दरों से जो उन्हें पैतृक विभाग में लागू है, की दर से यात्रा भत्ता का भुगतान करने का प्रावधान है । इस प्रकार सरकार के स्पष्ट अनुदेशों की अवहेलना की गई है जोकि एक गम्भीर मामला है । इस प्रकार के यात्रा भत्ता दावों का विवरण संलग्न परिशिष्ट6.....में दिया गया है। जिसमें ₹82513/- की अनियमित अदायगियाँ शामिल हैं। यह मामला उपरोक्त वर्णित ऑडिट अधियाचना के माध्यम से सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से अस्थाई तौर से पारित किए गए बिलों से अनियमित भुगतान की यथाशीघ्र बसूली हेतु उठाया गया था परन्तु कृत कार्यवाही से लेखा परीक्षा को आज दिन तक अवगत नहीं करवाया गया है ।

अतः सचिव हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से पुनः अनुरोध है कि संलग्न परिशिष्ट6...में दर्शाई गई राशियों अर्थात् ₹82513/- की अनियमित

अदायगी की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

21. बोर्ड परिसर में कैन्टीन ब्लॉक के निर्माण हेतु ड्राईंग की स्वीकृति बारे :-

मैसर्ज डिजाईन फोरम तबीपजमबज - चसंदमते नजदीक न्याय परिसर विपरीत टेलीफोन एक्सचेंज धर्मशाला के बिल नं० 168 दिनांक 1. 10.2008 राशि ₹15000/- जो स्कूल शिक्षा बोर्ड परिसर धर्मशाला में कैन्टीन ब्लॉक के निर्माण से सम्बन्धित था को अस्थई तौर से निम्नलिखित लेखा परीक्षा आपत्तियों के साथ ऑडिट अधियाचना संख्या: 575 दिनांक 2. 12.08 के अन्तर्गत पारित किया गया था । उपरोक्त ऑडिट अधियाचना के माध्यम से सचिव, शिक्षा बोर्ड से इनल'खा परीक्षा आपत्तियों के निपटारे हेतु अनुरोध किया गया था ।

प) मैसर्ज डिजाईन फोरम तबीपजमबज - चसंदमते को कैन्टीन ब्लॉक के निर्माण से सम्बन्धित ड्राईंग, प्राकलन व नियमित रूप से निर्माण स्थल के निरीक्षण का कार्य बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या: एच०पी०/24/स्टोर/निर्माण/2008-696 दिनांक 23.9.08 द्वारा सौंपा गया था । इस कार्य के लिए सम्बन्धित फर्म को बिना इकरारनामा के ₹60000/- का भुगतान किश्तों में करने का प्रावधान किया गया ।

इस सन्दर्भ में यह पाया गया कि बोर्ड प्रशासन द्वारा उक्त कार्य हेतु किन्हीं अन्य फर्मों से प्रतियोगी दरें/टेंडर आमन्त्रित नहीं किए थे । प्रारम्भिक स्तर में उक्त फर्म ने ₹75000/- की राशि मांगी थी परन्तु बाद में उसी फर्म से सहमति कर दर ₹60000/- निर्धारित की गई थी परन्तु नियमानुसार सहमति (छमहवजपंजपवद) सबसे कम दर वाली फर्म से की जानी चाहिए थी । छमहवजपंजपवद करने का कोई औचित्य नहीं रहता जब एक ही फर्म से दर इकट्ठी की गई थी ।

पप) क्योंकि बोर्ड, कैन्टीन ब्लॉक का निर्माण कार्य स्वयं विभागीय तौर पर करवाना चाहता था जिसके लिए बोर्ड के पास किसी भी तरह का तकनीकी स्टॉफ तैनात नहीं था जिसके कारण उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति किस द्वारा दी जानी थी जिसमें कौन इस आशय की जिम्मेवारी लेता कि निर्माण जतनबजनतंससल सही व प्राकलन प्रर्याप्त कंज व विश्लेषित दरों के आधार पर तैयार किया गया है ।

पपप) अधिसूचना संख्या: फिन(फिन) ए(3)-25/75 दिनांक 30 जुलाई, 1996 अनुसार 6 लाख तक के कार्य के लिए अधिशाषी अभियन्ता (मसमबजमक) व 3 लाख तक के कार्य के लिए अधिशाषी अभियन्ता (छवद, मसमबजमक) को तकनीकी स्वीकृति/कार्य आंवटन की शक्तियां विहित थी परन्तु यदि कार्य बोर्ड द्वारा विभागीय तौर से किया जाना था तो तकनीकी स्टाफ के बिना कौन इस कार्य की स्वीकृति देता ।

पअ) सम्बन्धित संचिका में यह स्पष्ट किया गया था कि यदि कार्य विभागीय तौर से किया जाता है तो कमचंतजउमदजंस बीतहमे जो हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग/हाउसिंग बोर्ड/अन्य एजेन्सी को दिए जाने थे का फायदा बोर्ड को होना था परन्तु बाह्य एजेन्सी से यदि कार्य करवाया जाता तो झाईग डिजाईन प्राकलन व अन्य खर्चे बतौर कमचंतजउमदजंस बीतहमे ही प्राकलन में सम्मिलित होने थे जबकि दूसरी ओर प्राईवेट तौर से कार्य करवाने के लिए इनके लिए अलग से भुगतान किया जा रहा है ।

इस तरह उक्त अध्याचना के अन्तर्गत बोर्ड प्रशासन को सुझाव दिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा समय-2 पर जारी दिशा निर्देशों का अनुसरण करते हुए व पर्याप्त तकनीकी स्टाफ के अभाव में तथा भविष्य में किसी प्रकार की स्पजपहंजपवद से बचने हेतु कैन्टीन निर्माण का कार्य किसी मगमबनजपदह ।हमदबल से डिपाजिट कार्य ;कमचवेपज वृताद्ध के अन्तर्गत बोर्ड हित में करवाया जाए ।

उपरोक्त सुझाव को स्वीकारते हुए बाद में बोर्ड प्रशासन ने यह कार्य हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग को सौंपा परन्तु उक्त फर्म को जो 15000/-का अनावश्यक रूप में भुगतान किया गया है उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए क्योंकि कार्य लोक निर्माण विभाग को आबंटित किया गया है तथा प्राकलन, झाईग व डिजाईन लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने स्तर पर तैयार किए गए जिसकी राशि बतौर कमचंतजउमदजंस बीतहमे प्राकलन में सम्मिलित थी । इस प्रकार 15000/- का भुगतान करने से बोर्ड निधि को अकारण हानि हुई है जिसका उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

22. हि0 प्र0 स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम को मिडल, मैट्रिक, प्लस वन व प्लस टू कक्षाओं के परिणाम तैयार करने के लिए 23,41,991 का भुगतान करने बारे ।

हि० प्र० स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के पक्ष में निम्नलिखित बिलों द्वारा 80 प्रतिशत भुगतान ₹23,41,991 मार्च, 2008 में मिडल, मैट्रिक, प्लस वन व प्लस टू कक्षाओं का परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए अवधि 1.1.2005 से 31.12.2007 के लिए अनुमोदित दरों के आधार पर अस्थाई तौर से ऑडिट अधियाचना संख्या: 576 दिनांक 2.12.2008 के अन्तर्गत पारित किया गया था जिसमें सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड से अनुरोध किया गया था कि नया करारनामा बोर्ड व निगम के बीच अवधि 31.12.2007 के बाद किया जाए जिसमें स्वीकृत दरों व शर्तों के अनुरूप उक्त किए गए भुगतान ₹2341991/- को नियमित करवाया जाए । परन्तु आज दिन तक बोर्ड व निगम के बीच हुए करारनामे को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि ₹2341991/- के किए गए भुगतान को बिना इकरारनामे के 1.1.2008 से पूर्व निर्धारित दरों से किए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए जबकि कम्प्यूटर से सम्बन्धित कार्य की बाजार में बहुत प्रतियोगिता हो चुकी है जिससे निश्चित तौर से इन मदों की दरें अवश्य कम हुई होंगी ।

सैत छवण	ठपसस छवण	कंजमक	उवनदज ;तेण्ड
1ण	14617	11ण8ण2008	4ए34ए171.00
2ण	14618	11ण8ण2008	65ए405ण00
3ण	14625	11ण8ण2008	1ए19ए644ण00
4ण	14612	11ण8ण2008	2ए18ए308ण00
5ण	14614	11ण8ण08	6ए94ए422ण00
6ण	14615	11ण8ण08	6ए14ए291ण00
7ण	14611	11ण8ण08	2ए20ए966ण00
8.	14613	11ण8ण08	6ए79ए925ण00
ज्वजंसरू.			29ए27ए573ण00
80: चलउमदज			ते23ए41ए991६.

23. वाहन नं० एच.पी.-39ए-4151 की औसत निर्धारण बारे ।

वाहन नं० एच.पी. 39ए-4151 की लाग बुक (अवधि 23.9.2006 से 30.6.2008) की जांच उपरान्त यह पाया गया कि उक्त वाहन की औसत नहीं निकाली गई है जोकि हि० प्र० सरकार के पत्र संख्या: जीएडी-ए(डी)1-96 दिनांक 1.1.97 के अनुसार प्रति माह निकाली जानी आवश्यक है । इस सन्दर्भ में सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड से अधियाचना

संख्या: 542 दिनांक 8.10.2008 द्वारा वाहन के चालक/प्रभारी को निर्देश दिए जाने का आग्रह किया गया था कि उक्त वाहन की औसत निकालकर लॉग बुक को लेखा-परीक्षा शाखा में प्रस्तुत किया जाये ताकि तदनुसार लॉग बुक की जांच की जा सके । परन्तु आज दिन तक वांछित कार्रवाई उपरान्त सम्बन्धित लॉग बुक अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई तथा संभवतः यह गाड़ी निलाम भी कर दी गई है ।

अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि सम्बन्धित वाहन की लॉग बुक वांछित कार्रवाई उपरान्त अब लेखा परीक्षा को आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए ।

24. गाड़ियों की लॉग बुकें अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाने बारे ।

वर्ष 2007-08 अवधि की निम्नलिखित स्कूल शिक्षा बोर्ड की गाड़ियों की लॉग बुकें आवश्यक जांच हेतु ऑडिट अधियाचना संख्या: 525 दिनांक 25.9.2008 द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड से मांगी गई थी परन्तु ये आज दिन तक उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं जिससे सम्बन्धित गाड़ियों की लॉग बुकों की जांच अंकेक्षण में नहीं की जा सकी है ।

1. एच0पी0-53-0008
2. एच0पी0-39-0819
3. एच0पी0-39-0777
4. एच0पी0-39-4151

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इन गाड़ियों की लॉग बुकें अब अंकेक्षण हेतु उपलब्ध करवाई जाए ।

25. बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ली गई अग्रिम राशियों से शेष बची राशि पर ब्याज न बसूला जाना ।

विभिन्न अग्रिम रजिस्ट्रों की जांच के दौरान यह पाया गया कि बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा ली गई अग्रिम राशियों का समायोजन निर्धारित अवधि के भीतर नहीं करवाया गया था अपितु अत्याधिक देरी से करवाया गया है तथा समायोजन के उपरान्त शेष बची राशि को भी देरी से जमा किया गया है या अग्रिम को यथा प्राप्त एक मुश्त में वापिस जमा किया गया है लेकिन विलम्ब की स्थिति में सम्बन्धित कर्मचारियों से बोर्ड प्रशासन द्वारा समय-2 पर दिए गए दिशा निर्देशों व हि0 प्र0 वित्तीय नियमों के अनुसार ब्याज की वसूली नहीं की गई है तथा ये अग्रिम आन्तरिक लेखा-परीक्षा शाखा द्वारा समायोजित किए गए हैं। आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा समायोजित की गई इस प्रकार की अग्रिम राशियों का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	नाम व पदनाम कर्मचारी/अधिकारी	जिस तिथि को अग्रिम दी गई ।	अग्रिम राशि ₹	समायोजन विवरण
1.	श्री अश्वनी कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव	23.3.92	4000/-	₹4000/- की वसूली माह 9/07 के वेतन से की गई।
2.	-यथोपरि-	25.6.92	250/-	₹250/- की वसूली माह 9/07 के वेतन से की गई।
3.	-यथोपरि-	4.1.94	3500/-	₹3500/- की वसूली माह 9/07 के वेतन से की गई।
4.	-यथोपरि-	6.1.95	5000/-	₹5000/- की वसूली माह 9/07 के वेतन से की गई।
5.	-यथोपरि-	22.6.95	4000/-	₹4000/- की वसूली माह 9/07 के वेतन से की गई।
6.	श्री शमशेर चन्द, झाईवर	3.11.05	10000/-	शेष ₹522/- बोर्ड रसीद नं० 379943 दिनांक 10.01.06 को बोर्ड निधि में जमा करवाए गए।
7.	श्री प्रेम दत्त, झाईवर	12.5.06	20000/-	₹20000/- बोर्ड रसीद सं० 400743 दिनांक 15.05.06 द्वारा बोर्ड निधि में जमा करवाए गए।
8.	श्री कर्मचन्द राठौर, वरिष्ठ सहायक	27.12.03	100000/-	₹10000/- बोर्ड रसीद सं० 0501704 दिनांक 02.06.07 द्वारा बोर्ड निधि में जमा करवाए गए।
9.	श्री कृष्ण वर्मा, वरिष्ठ सहायक	4.1.05	2000/-	₹2000/- बोर्ड रसीद सं० 0460056 दिनांक 10.11.06 द्वारा बोर्ड निधि में जमा करवाए गए।
10.	श्री कर्म चन्द राठौर, वरिष्ठ	5.4.06	5000/-	₹5000/- बोर्ड रसीद सं०

अतः आन्तरिक लेखा परीक्षा को परामर्श दिया जाए कि भविष्य में बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा आहरित की गई अग्रिम राशियों का समायोजन निर्धारित अवधि के अर्न्तगत न करवाने पर शेष बची राशि पर ब्याज सहित बसूली किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा उपरोक्त मामलों में भी दण्ड ब्याज का निर्धारण करके सम्बन्धित कर्मचारियों से आवश्यक वसूली सुनिश्चित की जाए या सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से इसका नियमानुकूलन करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित अग्रिम राशियां परीक्षा परिणाम तैयार करने के दौरान चायपान हेतु आहरित व समायोजित की गई जबकि इस प्रकार का व्यय बिना बोर्ड/सरकार की स्वीकृति के किया जाना नियमानुसार उचित नहीं है:-

क्र०सं०	नाम व पदनाम	अग्रिम राशि की तिथि	राशि (रु०)
1.	श्री केवल राम वर्मा, अनुभाग अधिकारी	29.3.08	4000.00
2.	श्री रूप लाल, कनिष्ठ सहायक	26.4.08	4000.00
3.	श्री देश राज, कनिष्ठ सहायक	3.4.08	4000.00
4.	श्रीमति सुदर्शन बाली, अधीक्षक	7.5.08	4000.00

यह भी पाया गया है कि अग्रिम राशियां आहरित करने के उपरान्त इसे कुछ दिनों के भीतर ही बिना खर्च किए बोर्ड निधि में वापिस जमा करवा दिया जाता है यह प्रक्रिया हि० प्र० वित्त नियमावली के विपरीत है। भविष्य में अग्रिम राशि तभी आहरित की जाए जब इसे तुरन्त खर्च किया जाना आवश्यक/आपेक्षित हो। जिस कारण बोर्ड निधि को अनावश्यक रूप से ब्याज की हानि होना स्वाभाविक है। इस प्रकार की कोताही पर अंकुश लगाने की नितान्त आवश्यकता है। इस से सम्बन्धित उदाहरण निम्नलिखित है :-

क्र०सं०	नाम कर्मचारी	राशि निकालने की तिथि	राशि (रु०)	राशि जमा करवाने की तिथि
1.	श्री प्रेम दत्त, चालक	12.5.06	20000/-	15.5.06 बोर्ड रसीद संख्या

				400743
2.	श्री कर्मचन्द राठौर, वरिष्ठ सहायक	5.4.06	5000/-	2.6.06 बोर्ड रसीद संख्या: 412702

यद्यपि उपरोक्त मामला ऑडिट अधियाचना संख्या: 535 दिनांक 30.9.08 के माध्यम से सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड के ध्यान में लाया गया था परन्तु की गई कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत नहीं करवाया गया है। अतः बोर्ड प्रशासन से पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित त्रुटियों की अनुपालना नियमानुसार सुनिश्चित की जाए।

26. बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में वर्ष 2007-08 में पुस्तक विक्रय के कारण कम बसूल की गई ८8256/-राशि बारे :-

वर्ष 2007-08 में विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों में विक्रय की गई पुस्तकों के कैश मैमों की जांच करने के उपरान्त पाया गया कि मु0 ८8256/- की राशि गलत गणना के कारण कम ली गई है। जिसे सम्बन्धित पुस्तक विक्रय केन्द्रों के प्रभारियों से यथाशीघ्र बसूलने हेतु ऑडिट अधियाचना संख्या: 524 दिनांक 25.9.2008 के द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड से आग्रह किया गया था परन्तु अनुपालना से लेखा परीक्षा शाखा को अभी तक अवगत नहीं करवाया गया है। कम ली गई राशि का विवरण निम्नलिखित है।

अतः ८8256 की राशि की बसूली अब सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को सूचित किया जाए।

क्रम सं०	पुस्तक विक्रय केन्द्र का नाम	कैश मैमों संख्या:	दिनांक	पुस्तक विक्रय केन्द्र द्वारा ली गई राशि	अंकेक्षण द्वारा गलत गणना के कारण निकाली गई राशि	कम बसूल की गई राशि।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	पु0 वि०	27950	10.	5385	9291	3906

	केन्द्र		4.07			
2.	कुल्लू -यथोपरि -	26934	12.6.07	180	200	20
3.	पु0 वि0 केन्द्र जसूर	24925	10.4.07	2286	2309	23
4.	-यथोपरि ,	24927	10.4.07	21438	21528	90
5.	-यथोपरि -	24939	18.4.07	34920	36000	1080
6.	-यथोपरि -	24957	19.5.07	2115	2120	5
7.	-यथोपरि -	25040	29.5.07	853	923	70
8.	-यथोपरि -	25085	31.8.07	क्षपहपदंस दवजोवूद जव नकपजण		
9.	पु0 वि0 केन्द्र उना	29292	4.4.07	5383	5783	400
10.	-यथोपरि .	31530	18.5.07	19553	19823	270
11.	-यथोपरि .	31640	5.9.07	9617	9954	337
12.	-यथोपरि .	31588	11.9.07	2500	2600	100
13.	पु0 वि0 केन्द्र चम्बा	27169	9.4.07	8978	9023	45
14.	-यथोपरि .	27392	9.5.07	4806	4833	27
15.	-यथोपरि .	27250		क्षपहपदंस दवजोवूद जव नकपज		
16.	-यथोपरि .	32463	29.3.08	क्षपहपदंस दवजोवूद जव नकपज		
17.	पु0 वि0	30688	11.	3573	3753	180

18	केन्द्र धर्मशाला -यथोपरि -	30694	5. 07 18.	1827	1845	18
19	-यथोपरि -	30476	5. 07 16.	5400	5490	90
20	-यथोपरि -	30495	5. 07 17.	15480	15705	225
21	-यथोपरि -	30723-2 5	5. 07 20. 3.	44750	44753	3
22.	पु0 वि0 केन्द्र रोहडू	33613	08 30. 4.07	2700	3000	300
23	पु0 वि0 केन्द्र	29711	07 4.5. 07	1463	1470	7
24	हमीरपुर -यथोपरि -	29733	22. 12. 07	49298	49568	270
25	-यथोपरि -	29926	10. 1. 08	11686 5	11722 5	360
26	-यथोपरि -	29749		क्षपहपदंस दवजोवूद जव नकपज		
27	-यथोपरि -	29983-8 4	19. 3. 08	71663	71708	45
28	-यथोपरि -	29989	27. 3. 08		क्षपहपदंस दवजोवूद	
29.	पु0 वि0 केन्द्र नाहन	28588		बंदबमससमक इनज क्षपहपदंस दवजोवूद		
30	-यथोपरि -	28662		-----यथोपरि-----		
31.	पु0 वि0 केन्द्र मण्डी	26946	30. 8.07	क्षपहपदंस दवजोवूद जव नकपज		
32	पु0 वि0 केन्द्र	31996	28. 1.	11997	12065	68

33	शिमला -यथोपरि	37597	08 22.	28093	28192	100
.	-		2.			
34.	-यथोपरि-	रस्मे कमचवेपजमक पद ठंदा	2/0 8	246814 9	246830 6	157
35	-यथोपरि	38827	28.	1107	1140	33
.	-		3.			
36	पु0 वि0 केन्द्र बिलासपुर	29243	31. 3. 08	3906	3933	27
37	पु0 वि0 केन्द्र रामपुर	33356	5.3. 08		रूप 1800६, दवज 'ककमक	
						कुल 8256/ योग: -

27. बोर्ड की आवासीय कलौनियों में पानी की व्यवस्था करने पर लगभग ₹13,53,309/- व्यय करने उपरान्त भी बोर्ड कर्मचारियों से पानी के चार्जिज न बसूलने से बोर्ड निधि को लाखों रुपये की हानि बारे ।

सिद्धपुर आवासीय कालौनी में पानी की पाईप लाईन की मुरम्मत हेतु अधिशाषी अभियन्ता सिंचाई एवम् जनस्वास्थ्य विभाग धर्मशाला को ₹3,94,000/-रु० की अग्रिम राशि के बिल की जांच करते समय यह पाया गया कि बोर्ड की आवासीय कलौनियों में पानी की व्यवस्था करने पर निम्नलिखित विवरणानुसार लगभग ₹13,53,309/-रु० व्यय किए जा चुके हैं परन्तु इन कालौनियों में रह रहे बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों से नियमानुसार सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से पानी के चार्जिज बसूल नहीं किए जा रहे हैं जिससे कलौनियों की स्थापना से लेकर आज दिन तक लगभग लाखों रु० का नुकसान बोर्ड निधि को पहुंचा है । सरकार द्वारा संचालित जल आपूर्ति योजनाएं भी (छव चतवपिज दव सवे) लाभालाभ के आधार पर संचालित हैं । इस प्रकार बोर्ड कालौनियों में रह रहे कर्मचारियों/अधिकारियों से पानी के चार्जिज न बसूला जाना सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सरासर उल्लंघन है ।

क्रमांक	जिसे भुगतान किया गया	तिथि	राशि	विवरण
---------	----------------------	------	------	-------

1.	अधिशायी अभियन्ता सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग धर्मशाला	21.3. 97	1,20,000/-	सिद्धपुर कालौनी में हैंड पम्प लगवाने हेतु।
2.	--यथोपरि---	19.3. 98	1,50,000/-	सिद्धपुर कालौनी में जल आपूर्ति योजना हेतु।
3.	--यथोपरि--	22.6. 98	85,042/-	पम्पींग मशनरी हेतु पहली किस्त सिद्धपुर कालौनी।
4.	--यथोपरि--	10. 11. 04	45,967/-	सिद्धपुर कालौनी में पानी आपूर्ति लाईन की मरम्मत हेतु अग्रिम राशि।
5.	--यथोपरि--	7.10. 05	3,74,800/-	पानी की 96 टंकियां लगवाने हेतु।
6.	--यथोपरि--	22.2. 06	73,300/-	चीलगाड़ी कालौनी में हैंड पम्प से पानी की सप्लाई हेतु बिजली का कनेक्शन हेतु डिपॉजिट।
7.	--यथोपरि--	14.9. 06	1,10,200/-	चीलगाड़ी कालौनी में पेयजल आपूर्ति की लाईन बिछाने के लिए अग्रिम राशि।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा संचालित कालौनियों में रह रहे कर्मचारियों/अधिकारियों से सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से पानी के चार्जिज बसूलने पर बोर्ड हित में विचार किया जाए क्योंकि जहां एक ओर लाखों रु० जल आपूर्ति योजना पर खर्च किये जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर इसकी ऐवज में बोर्ड किसी भी प्रकार की आय उत्पादन नहीं कर रहा है। इसके साथ ही बोर्ड की जल आपूर्ति योजनाओं पर पानी की खपत पर कोई भी नियन्त्रण नहीं है तथा जल के दुरुपयोग की भी सम्भावना बनी रहती है जिससे बोर्ड को अनावश्यक व्यय बहन करना पड़ रहा है। अतः बोर्ड की जल आपूर्ति योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने एवम् आय के उत्पादन हेतु आवश्यक पग उठाए जाएं ताकि पानी की खपत पर नियन्त्रण के साथ-2 बोर्ड की निधि भी प्रभावित न हो।

28. बोर्ड कर्मचारियों व अधिकारियों को ₹14,32,885/- का मानदेय दिया जाना।

बोर्ड के वर्ष 2008-09 के व्यय का अंकेक्षण करने पर यह पाया गया कि ₹14,32,885/- के मानदेय का भुगतान निम्नलिखित विवरणानुसार बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों/अधिकारियों को ऑडिट द्वारा आपत्ति उठाने के बावजूद बोर्ड की आन्तरिक जांच प्रणाली द्वारा किया गया

है । यह राशि बोर्ड प्रशासन ने बोर्ड की आन्तरिक जांच व्यवस्था से पारित करवाकर विभिन्न बोर्ड कर्मचारियों को वितरित कर दी गई है जबकि बोर्ड अधिनियम, 1968 की किसी भी धारा में इस तरह के भुगतान स्वीकृत करने की वित्तीय शक्तियां बोर्ड को निहित नहीं थी इसलिए बोर्ड के कर्मचारियों को मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने का मामला अनेक बार बोर्ड प्रशासन ने हिमाचल प्रदेश सरकार से उठाया था परन्तु सरकार द्वारा निम्नलिखित पत्रों द्वारा इस भुगतान को किए जाने की अस्वीकृति दी थी परन्तु इसके बावजूद भी बोर्ड प्रशासन ने इस भुगतान को बोर्ड की आन्तरिक जांच प्रणाली से पारित करवाकर सभी पात्र कर्मचारियों को वितरित किया है ।

1. क्रमांक : 11(11) 48/87 (वित्त) (आई.एफ. व पी.एफ.) विभाग दिनांक 21.5.88.

2. क्रमांक : शिक्षा-11-खा (7) - 4/2003- एल दिनांक 21.7.04

3. क्रमांक : शिक्षा-11-खा (7) - 4/2003- एल दिनांक 28.2.06

4. क्रमांक : शिक्षा-11-खा (7) - 4/2003- एल दिनांक 18.3.06

5. क्रमांक : शिक्षा-11-खा (7) - 4/2003- एल दिनांक 8.6.06

6. क्रमांक : शिक्षा-11-खा (7) - 4/2003- एल दिनांक 23.11.06

क्रमांक	वा0 संख्या:	राशि(₹)	भुगतान का विवरण
1.	6/207	59903.00	बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों को कोडिंग व डी-कोडिंग हेतु प्लस टू परीक्षा, मार्च, 2008 के लिए 0.50 प्रति परीक्षार्थी की दर से मानदेय का भुगतान (सक्षम अधिकारी की स्वीकृति वाउचर के साथ संलग्न नहीं थी) किया गया ।
2.	6/331	12600.00	विभिन्न कर्मचारियों को जे.बी.टी. प्रवेश परीक्षा जून, 2008 के लिए मानदेय के रूप में किया गया भुगतान ।
3.	6/332	6650.00	बोर्ड कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान जो स्थल मूल्यांकन केन्द्र धर्मशाला में तैनात थे ।
4.	6/507	3150.00	स्थल मूल्यांकन केन्द्र धर्मशाला में दिसम्बर, 2007 में तैनात कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान ।
5.	11/279	62816.00	प्लस वन की परीक्षा मार्च, 2006 में 4500 परीक्षार्थियों से अधिक का परिणाम तैयार करने पर बोर्ड कर्मचारियों को पारिश्रमिक/मानदेय का भुगतान ।

6.	11/280	163244.00	बोर्ड के कर्मचारियों को 4500 से अधिक परीक्षार्थियों का प्लस वन कक्षा मार्च, 2008 का परिणाम तैयार करने हेतु मानदेय का दिया जाना जिसकी स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा कार्यालय आदेश हि० शि० बो०/44/ए.पी.आर.ओ./2008 दिनांक 20.10.2008 द्वारा दी गई थी ।
7.	11/288	46304.00	4500 से अधिक परीक्षार्थियों का प्लस टू कक्षा मार्च, 2006 का परिणाम तैयार करने हेतु बोर्ड कर्मचारियों को मानदेय का दिया जाना ।
8.	11/289	321184.00	-यथोपरि- दसवीं कक्षा मार्च, 2008
9.	11/290	193464.00	-यथोपरि- दसवीं कक्षा मार्च, 2007
10.	11/291	190885.00	-यथोपरि- दसवीं कक्षा मार्च, 2006
11.	11/292	15092.00	-यथोपरि- प्लस टू कक्षा मार्च, 2007
12.	11/293	57916.00	-यथोपरि- प्लस टू कक्षा मार्च, 2008
13.	11/317	81826.00	अक्टूबर, 2008 जे.बी.टी. परीक्षा पार्ट-1 व 11 में गुप्तरोल नं. की कोडिंग व डी-कोडिंग करने के लिए मानदेय का भुगतान ।
14.	12/216	9539.00	सितम्बर, 2008 की प्लस टू परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के कोडिंग व डी-कोडिंग करने के लिए मानदेय का भुगतान ।
15.	1/258	118029.00	मार्च, 2008 में आयोजित प्लस वन व प्लस टू परीक्षाओं की पुर्नमूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं के रोल नं० की कोडिंग व डी-कोडिंग के लिए दिया गया मेहनताना ।
16.	2/407	46780.00	दिसम्बर, 2007 व मार्च, 2008 की परीक्षा से सम्बन्धित उत्तरपुस्तिकाएं पुर्नमूल्यांकन व पुर्न-निरीक्षण हेतु उपलब्ध करवोन के लिए बोर्ड कर्मचारियों को किए गए मानदेय का भुगतान ।
17.	2/221	20830.00	-यथो- जिसकी स्वीकृति कार्यालय आदेश हि० शि० बो०(40) पुर्ननिरीक्षण 3616 दिनांक 19.1.2009.
18.	2/220	15542.00	उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्न-निरीक्षण हेतु मार्च, 2008 की परीक्षा के लिए बोर्ड कर्मचारियों को दिया गया मानदेय ।
19.	11/443	4360.00	मैट्रिक परीक्षा दिसम्बर, 2007 की उत्तरपुस्तिकाओं को इसपदकए कोडिंग व

डी-कोडिंग करने के लिए बोर्ड कर्मचारियों को किए गए भुगतान बारे ।
 20. 3/249 2771.00 सितम्बर, 2008 की परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुर्न-निरीक्षण करने के लिए बोर्ड कर्मचारियों को किया गया भुगतान ।

अब जबकि उपरोक्त किया गया मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान सरकार के आदेशों के प्रतिकूल है अतः अनियमित रूप से किए गए मानदेय भुगतान की हि०प्र० सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमितिकरण किया जाए अन्यथा शामिल अनियमित भुगतान की वसूली समस्त सम्बन्धित बोर्ड कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय अंकेक्षण को अवगत किया जाए। इसके अतिरिक्त इस तरह के भुगतान को बोर्ड की आन्तरिक जांच प्रणाली से करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य हेतु इस प्रकार के अनियमित भुगतान पर पूर्णतयः अंकुश लगाना सुनिश्चित किया जाए।

29. बोर्ड कर्मचारियों को ₹ 1,52,500/-की अग्रिम राशि टैक्सी/अपनी कार द्वारा प्राईवेट स्कूलों की सम्बद्धता करने हेतु दी गई ।

परीक्षा संचालन की महत्वता को देखते हुए टैक्सी किराये पर लेने के लिए जो दरें बोर्ड ने अधिसूचना संख्या: हि०शि०बो० (19) गो०-1/96-117-118 दिनांक 20.2.96 द्वारा अधिसूचित की थी को वित्त विभाग हि० प्र० सरकार ने पत्र संख्या: फिन (एलए)एच(2)सी(15) 14(102)/86 पार्ट-3 दिनांक 19.9.96 द्वारा अनुमोदित किया था ।

इसके उपरान्त बोर्ड प्रशासन ने कार्यालय पत्र क्रमांक: हि०शि०बो०/2005-69 दिनांक 29.11.2005 द्वारा सरकार से यह मामला उठाया कि प्राईवेट स्कूलों की सम्बद्धता के निरीक्षण हेतु बोर्ड कर्मचारियों को अपनी कार व टैक्सी द्वारा प्रवास यात्रा करने की अनुमति दी जाए । इस सम्बन्ध में प्रधान सचिव (शिक्षा) हि० प्र० सरकार ने अपने पत्र संख्या: शिक्षा-आ-जा(3)-2/94 दिनांक 22.12.2005 द्वारा सचिव, स्कूल शिक्षा बोर्ड को वित्त विभाग की उपरोक्त प्रस्ताव में असहमति जताने की सूचना दी तथा अनुरोध किया गया था कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का अनुसरण किया जाए। लेकिन इसके बावजूद बोर्ड प्रशासन इस मामले को मद संख्या: 6 के अन्तर्गत, बोर्ड की 86वीं बैठक में ले गया जो दिनांक 19.7.06 को आयोजित हुई थी तथा टैक्सी/व्यक्तिगत गाड़ी का प्रयोग विभिन्न प्राईवेट शिक्षण संस्थाओं की सम्बद्धता के निरीक्षण हेतु बोर्ड

से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया जिसे अधिसूचना संख्या: हि० शि० बो० सम्बद्धता /43/2006-2141-50 दिनांक 29.8.2006 द्वारा अधिसूचित किया गया था । इस प्रकार उक्त संदर्भ में सरकारी अनुदेशों की अवज्ञा करते हुए मनमाने ढंग से बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किया गया, जो स्वतः ही वित्तीय अनुशासन के विपरित है।

बोर्ड प्रशासन ने ₹152500/- बतौर अग्रिम राशि अपने कर्मचारियों को वर्ष 2008-09 के शैक्षणिक सत्र की सम्बद्धता के निरीक्षण हेतु कार्यालय आदेश संख्या: हि० शि० बो०-सम्बद्धता/43/2008-6561-6700 दिनांक 18.1.2008 द्वारा अपनी कार/टैक्सी द्वारा यात्रा करने के लिए स्वीकृत किए गए थे ।

उक्त संदर्भ में बोर्ड प्रशासन को सुझाव दिया जाता है कि प्राईवेट स्कूलों की सम्बद्धता के निरीक्षण हेतु बोर्ड कर्मचारियों द्वारा जो प्रवास यात्राएँ अपनी कार/टैक्सी से की थी उसकी वित्त विभाग से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुकूलन करवाएँ अन्यथा सरकार/वित्त विभाग के निर्देशों के विपरीत उक्त मद पर किए गए व्यय की बसूली सम्बन्धित कर्मचारियों से की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त जब इस मद के व्यय को वित्त विभाग द्वारा पहले ही अस्वीकृत किया गया था तो इस मद के विरुद्ध अग्रिम राशियों को बोर्ड की आन्तरिक जांच प्रणाली से पारित करवाए जाने का भी ठोस तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य हेतु इस प्रकार के अनियमित भुगतान पर पूर्णतया अंकुश लगाना सुनिश्चित किया जाए।

30. अध्यक्ष के आवास हेतु फर्नीचर और अन्य सामान क्रय करने बारे ।

अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा बोर्ड के विभागीय आवास हेतु विभिन्न प्रकार का सामान/फर्नीचर निम्नलिखित बिल नं०/बाउचर के द्वारा क्रय किया गया जबकि अध्यक्ष श्री सी.एल.गुप्त की सेवा शर्तें जो पत्र संख्या: शिक्षा-ग-खा (3)-2/92 दिनांक 1.1.2008 अनुसार उन्हें सुसज्जित आवास की पात्रता नहीं थी । उन्हें बोर्ड का आवास दिया जाना या इसके एवज में सरकार के ग्रेड-1 अधिकारी के बराबर मकान किराया भत्ता दिया जाना तय किया गया था । इस विभिन्न फर्नीचर/सामान वस्तुओं जिनमें पिलो कवर से लेकर वेड व रसोई का सामान भी था को क्रय करने की स्वीकृति भण्डार शाखा की सम्बन्धित संचिका में दी गई है । यद्यपि अध्यक्ष, स्कूल शिक्षा बोर्ड

सुसज्जित विभागीय आवास के लिए पात्र नहीं थे परन्तु यदि वे इस सुविधा को अनियमित तौर से ले रहे थे तो दूसरी तरफ उन्होंने आयकर अधिनियम, 1961 अनुसार ली गई सुविधा पर आयकर भी अदा नहीं किया है ।

सैतण छवण	ठपसस छवण - वंजम	उवनदज	चंतजपबनसंत
1.	बिल नं० 066686 दिनांक 4.7.08	7094.00	भण्णभंदकपबतंजि - भंदकसववउ व्यतचण रजकण वीतंतोसंण
2.	बिल नं० 066689 दिनांक 5.7.08	22660000	..कव..
3.	बिल नं० 1983 दिनांक 22.7.08	7390000	डुंठे ण्ण डमीतं - वैवदेए ज्ञण्ठण वीतंतोसंण णैपदह डंभीपदमद्ध वैजवबा त्महपेजमत च.छवण 410 सैतण छवण 01ण
4.	बिल नं० 2697 दिनांक 25.8.08	5525000	ज्मापदही - वैवदे ज्ञण्ठण वीतंतोसंण
5.	बिल नं० 2193 दिनांक 25.8.08	850000	..कवकृ
6.	बिल नं० 3333/3339 दिनांक 6.1.09 ; भवज बैम चतमेनतम बववामतद्ध	2100000 ; पेनमक जव बैपतउंद अपकम वैजवबा त्ठ छवण 351	..कव..
7.	बिल नं० 3101 दिनांक 6.11.08 (रेफरीजिरेटर 325 टी०वी०जी०४.००१८०)	21150000 ; पेनमक जव भवदशइसम बैपतउंद वैजवबा त्महण च.३१०६०२	डुंठे ण्ण डमीतं - वैवदेए ज्ञवजूसण दंतए व्हेंसंण
8.	बिल नं० 3103 दिनांक 6.11.08 (एल० जी० माईक्रोवेव मॉडल.८०८८)	14990000 ; पेजंससमक ज भवदएइसम बैपतउंद अपकम वैजवबा त्महण चण्ण ३१५६०१द्ध	..कव..
9.	बिल नं० 188, 189 दिनांक 8.9.08 (ए०सी० लगवाने हेतु)	57380000	..कव..
10.	बिल नं० 178, 179 दिनांक 8.9.08	81284	भण्ण वैजंजम भंदकपबतंजि व्यतचण वीतंतोसंण
11.	बिल नं० 9/188	28690000	डुंठे ण्ण डमीतं - वैवदे अपकम ठपसस छवण 1601 कंजमक ३०ण७ण२००८ वित चनतबीम व १ण५ ज्वद भवज - व्यसक वित बैपतउंदण

अतः अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड हेतु सुसज्जित आवास की स्वीकृति हि० प्र० सरकार से ली जानी सुनिश्चित की जाए और अनियमित तौर से

सुसज्जित आवास की सुविधा प्राप्त करने की ऐवज में उनसे आयकर अधिनियम, 1961 अनुसार कट्य किए गए फर्नीचर की लागत का 10 प्रतिशत उनकी कुल वेतन की आय में जोड़कर आयकर काटा जाना सुनिश्चित किया जाए। यह भी पाया गया कि अध्यक्ष के आवास के बिजली व पानी के बिलों की अदायगी भी बोर्ड निधि से की जा रही है जोकि अनियमित है इन मदों पर बोर्ड निधि से किए गए भुगतान की भरपाई श्री सी.एल.गुप्त अध्यक्ष से की जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

31. बोर्ड कर्मचारियों को आवासीय/मोबाईल फोन चार्जिज की प्रतिपूर्ति बारे।

बोर्ड के व्यय का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि बोर्ड कर्मचारियों को आवासीय/मोबाईल फोन चार्जिज की प्रतिपूर्ति सुविधा सरकार (वित्त विभाग) द्वारा निर्धारित दरें जो पत्र संख्या: फिन-1-(सी)14-1/92 दिनांक 1.8.2007 द्वारा अधिसूचित की थी, से अधिक दर से दी जा रही है। यद्यपि कुछ कर्मचारी सरकार द्वारा उक्त निर्धारित सुविधा के पात्र नहीं थे परन्तु यदि उन्हें यह सुविधा दी जानी थी तो भी ₹400/-प्रतिमाह धरातल टेलीफोन के लिए व ₹200/-प्रतिमाह मोबाईल फोन के लिए दी जानी चाहिए थी। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था।

यह भी पाया गया कि सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड को उक्त सुविधा हेतु ₹2200/- व ₹800/- दो मास के लिए धरातल टेलीफोन व मोबाईल फोन हेतु दिए जा रहे हैं जो उक्त निर्धारित दरों के विपरीत है क्योंकि जो दरें सचिव ले रहे हैं वे विभागाध्यक्ष को देय हैं। जबकि बोर्ड अधिनियम 1968 की धारा 22(2) अनुसार सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी व धारा 19(1)अनुसार अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड, बोर्ड के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। इसलिए क्योंकि अध्यक्ष ही बोर्ड के प्रशासनिक मुखिया हैं तो सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड के मुखिया न होने के कारण वे ₹1400 व ₹600 द्विमासिक की दर से क्रमशः धरातल टेलीफोन व मोबाईल फोन के चार्जिज की प्रतिपूर्ति हेतु पात्र हैं।

अतः वित्त विभाग के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र अनुसार निर्धारित दरों से अधिक दर से जिन-2 बोर्ड कर्मचारियों व सचिव को धरातल टेलीफोन व मोबाईल फोन चार्जिज सुविधा की प्रतिपूर्ति की गई है, उसकी बसूली की

जानी सुनिश्चित की जाए व अनुमालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

32. श्री अजय कुमार भाटिया केन्द्र अधीक्षक राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजपुर को ₹16941/- का भुगतान उसकी व्यक्तिगत वाहन को उपद्रवियों द्वारा क्षति पहुंचाने बारे।

मार्च, 2008 की परीक्षा संचालन हेतु श्री अजय कुमार भाटिया गांव व डाकघर कन्दबाड़ी तहसील पालमपुर को राजकीय वरिष्ठ उच्च विद्यालय राजपुर में बतौर केन्द्र अधीक्षक तैनात किया गया था। परीक्षा के दौरान उनकी व्यक्तिगत वाहन को अनियंत्रित भीड़ ने क्षति पहुंचाई थी जिसके ऐवज में क्षति पूर्ति राशि ₹16941/- की स्वीकृति बोर्ड कार्यालय आदेश संख्या: हि0शि0बो0 /17/संचालन/ -1/2008 -14589-90 दिनांक 30.4.2008 द्वारा अध्यक्ष स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई थी। इस भुगतान बिल के साथ सम्बन्धित अध्यापक/केन्द्र अधीक्षक द्वारा यह घोषणा की गई थी कि उसने बीमा कम्पनी से किसी तरह का दावा गाड़ी की क्षति होने का प्राप्त नहीं किया है, संलग्न था। जिसके आधार पर ₹16941/- का भुगतान चैक नं0 257171 दिनांक 21.7.2008 द्वारा कर दिया गया था। लेखा परीक्षा ने इस बिल को, बिल के साथ संलग्न सम्बन्धित केन्द्र अधीक्षक की लिखित घोषणा कि उन द्वारा क्षतिग्रस्त गाड़ी की मुरम्मत राशि का बीमा कम्पनी से कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया है के आधार पर पारित किया गया था। लेकिन बाद में सम्बन्धित अध्यापक/अधीक्षक ने उक्त चैक को बोर्ड कार्यालय को लौटा दिया था क्योंकि उन द्वारा बीमा कम्पनी से दावा प्राप्त किया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त कर्मचारी द्वारा झूठा घोषणा पत्र बोर्ड कार्यालय को सौंपा गया था।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि आन्तरिक जांच प्रणाली को और सुदृढ़ करना सुनिश्चित करें तथा सम्बन्धित अध्यापक से इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण लिया जाए।

33. चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों बारे :- चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की वर्ष 2008-09 की जांच के दौरान निम्नलिखित आपत्तियां पाई गई :-

प) श्री सुखराम वरिष्ठ सहायक को अपनी पुत्री कुमारी बनीता के अवधि 14.5.2008 से 29.5.2008 के उपचार के लिए वाउचर संख्या: 6/246 के द्वारा ₹ 7372/- का भुगतान किया गया परन्तु चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल के साथ क्पेबीतहम `सपच संलग्न नहीं थी । अतः यह स्पष्ट किया जाए कि विना क्पेबीतहम `सपच के आन्तरिक लेखा परीक्षा द्वारा बिल कैसे पारित किया गया ।

पप) चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को डायरी न करने बारे ।

विभिन्न चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की जांच में पाया गया कि बिलों को बोर्ड की केन्द्रीय डॉयरी शाखा/रजिस्टर में डायरी नहीं किया जा रहा है जिससे इन बिलों की प्रस्तुतीकरण तिथि का पता नहीं चल रहा है । केवल उन्हीं बिलों का पिछली तिथि से डायरी किया जा रहा है जिनकी प्रस्तुतीकरण तिथि संदेहास्पद है ।

अतः भविष्य हेतु सभी चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को डॉयरी किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि यह पता चल सके कि दावेदार ने बिल उपचार समाप्ति की तिथि उपरान्त 3 मास के भीतर-2 डॉक्टर द्वारा किये गये प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तुत किया गया है ।

पपप) आश्रित प्रमाण पत्र :- यह भी पाया गया कि आश्रित प्रमाण-पत्र बोर्ड कर्मचारियों से नहीं लिया जा रहा है जबकि परिवार सदस्यों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल वेरोक-टोक पारित किए जा रहे हैं । आश्रितों की आय व सूचि की घोषणा प्रत्येक वर्ष के शुरू में सभी कर्मचारियों से नियमानुसार ली जानी सुनिश्चित की जाए ।

पअ) चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का अपूर्ण भरा जाना ।

बिलों की जांच में यह भी पाया गया कि बिल पूर्णतया नहीं भरे जाते हैं जैसे उपचार अवधि का न भरा जाना, आवश्यकता प्रमाण-पत्र का अधूरा भरा जाना, दवाईयां के नाम बड़े व पढ़ने योग्य अक्षरों में न भरा जाना तथा डॉक्टर का नाम न लिखा जाना जबकि नियमानुसार सभी अस्पताल की रसीदें/बिल वाउचर चिकित्सक द्वारा सत्यापित की जानी चाहिए । इस तरह की त्रुटियों के उदाहरण निम्नलिखित हैं :-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम व पद	वा० संख्या:	रोगी का दावेदार से रिश्ता	विवरण
1.	श्री परस राम	4/179	लड़की	सत्यापन पूर्ण नहीं
2.	श्रीमति कलावती	4/179	लड़का	-यथोपरि-

3. श्री सुखदेव 4/194 लड़की/स्वयं -यथोपरि-
अतः सम्बन्धित सहायक, अनुभाग अधिकारी, आन्तरिक ऑडिट स्टॉफ व अहरण एवम् अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में बिल पारित करते समय सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों/आदेशों और नियमों/अधिनियमों अनुसार बोर्ड कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों को पारित किया जाए ।

3.4. बिल वाउचर के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई स्वीकृति संलग्न न करना :-

निम्नलिखित वाउचरों के अन्तर्गत किए गए भुगतान स्पष्ट नहीं थे क्योंकि वाउचरों में स्पष्ट नहीं था कि भुगतान किस उद्देश्यों से किया गया था जिसे अब स्पष्ट करके अंकेक्षण को अवगत किया जाए। इस सन्दर्भ में यह भी सुझाव दिया जाता है कि सम्बन्धित शाखा व आन्तरिक लेखा परीक्षा को भविष्य हेतु निर्देश दिए जाएं कि स्पष्ट लेखा शीर्ष व भुगतान का उद्देश्य वाउचर में लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए तथा सहायक वाउचर व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी वाउचर के साथ संलग्न की जानी सुनिश्चित की जाए ।

क्रमांक	वा0सं0	राशि	विषय
1.	7/357	4224.00	श्री योगेन्द्र शर्मा, उप सचिव (प्रशासन) को 717 कि0 मी0 6/-रु0 प्रति कि0 मी0 की दर से किया गया ।
2.	1/328	28000.00	बोर्ड के विभिन्न कर्मचारियों को किया गया भुगतान परन्तु यह वाउ0 में स्पष्ट नहीं था कि किस उद्देश्य से भुगतान किया गया था यह भी स्पष्ट नहीं था कि भुगतान अग्रिम बतौर किया गया ।
3.	2/271	1104.00	श्री दलवीर सिंह राणा स्थल मूल्यांकन केन्द्र पालमपुर सितम्बर, 2008 के लिए किया गया भुगतान किस उद्देश्य से किया गया स्पष्ट नहीं था ।

3.5. भुगतान बिल/वाउचर के साथ स्वीकृति संलग्न न करने बारे :-

बोर्ड के वर्ष 2008-09 के व्यय की जांच करने पर यह भी पाया गया कि अधिकतर वाउचर के साथ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रति संलग्न नहीं थी जिससे यह जांचना कि भुगतान की स्वीकृति सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा दी गई थी अथवा नहीं, कठिन था । कुछ मामलों में तो भुगतान फैंक्स प्रति के आधार पर कर दिया गया है जोकि नियमानुसार

नहीं है । इस तरह के किए गए कुछ भुगतानों के मामले निम्नलिखित हैं जिन्हें बोर्ड प्रशासन के ध्यान में लाया जाता है तथा अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में सभी भुगतान वाउ0 के साथ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रति या छाया प्रति संलग्न की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि किए गए भुगतान को नियमानुसार होने की पुष्टि संभव हो सके।

क्रमांक	वा0सं0	राशि ₹	विवरण
1.	4/164	183800.00	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रति वाउ0 के साथ संलग्न नहीं थी ।
2.	4/165	195000.00	-यथोपरि-
3.	4/66	1000.00	-यथोपरि-
4.	4/168	33000.00	दैनिक वेतन भोगियों को किए गए भुगतान वाउ0 के साथ सक्षम अधिकारी की स्वीकृति संलग्न नहीं थी ।
5.	4/169	32318.00	होम गार्ड्स को किए गए भुगतान के साथ स्वीकृति पत्र संलग्न नहीं था ।
6.	4/189	19700.00	डिपो में तैनात दैनिक भोगी कर्मचारियों को फैंक्स कापी पर भुगतान किया गया व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति भी वाउ0 के साथ संलग्न नहीं थी ।
7.	5/145	31275.00	विभिन्न दैनिक भोगियों को किए गए भुगतान की स्वीकृति/89 दिनों उपरान्त पुनः बढौतरी की प्रतियां वाउ0 के साथ संलग्न नहीं थी ।
	5/146	00	
	5/160	11400.00	
		3000.00	
8.	5/191	21400.00	-यथोपरि-
	5/192	00	-यथोपरि-
		6000.00	
9.	6/322	1000.00	वाउ0 के साथ किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति संलग्न नहीं थी ।
10.	6/354	6520.00	न ही बिजली बिल वाउ0 के साथ संलग्न न ही स्वीकृति ।

36. बोर्ड कर्मचारियों को चाय-पान पर किए गए व्यय बारे ।

व्यय शीर्ष का पोस्ट ऑडिट करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वर्ष 2008-09 में 79970/- की राशि विभिन्न कक्षाओं के परिणाम तैयार व अन्य कार्य करते समय बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को चाय-पान इत्यादि दिए जाने पर खर्च किए गए हैं। बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को परीक्षा परिणाम व अन्य कार्य निपटाते समय चाय-पान (तमतिमौउमदज) दिए जाने का अनुमोदन यद्यपि बोर्ड ने अपनी 84 वीं बैठक जो दिनांक 4.6.2005 को हुई थी, में लिया था परन्तु वित्त

विभाग के पत्र संख्या: फिन-सी-ए (4)-11/99 दिनांक 9.5.2005 अनुसार जो निर्णय बोर्ड, सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत लेना चाहता है उसकी स्वीकृति शिक्षा विभाग/सरकार से लेनी अनिवार्य थी परन्तु उपरोक्त बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय सरकार के आदेशों के विरुद्ध था क्योंकि सरकार के किसी भी विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकारी कार्य निपटाते समय वेतन के अतिरिक्त कर्मचारियों/अधिकारियों को चाय-पान या वृतापदह सनदबी दिया जाना सुनिश्चित किया गया हो । अतः उपरोक्त व्यवस्था/सुविधा बोर्ड कर्मचारियों को प्रदान करने से पहले बोर्ड प्रशासन को शिक्षा/वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था ।

क्रमांक	वा0सं0	राशि	भुगतान विवरण
1.	5/220	5000/-	श्रीमति सुदर्शन बाली, अ0अ0 को प्लस वन कक्षा का परिणाम तैयार करने हेतु चाय-पान इत्यादि के लिए अग्रिम बतौर दिया गया ।
2.	5/237	1000/-	यह राशि श्री सुरेश शर्मा, अ0अ0 को दिसम्बर, 2007 परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन के लिए कर्मचारियों को चाय-पान हेतु दी गई थी जिसे पत्र संख्या: हि0शि0बो0गो0-02/दिनांक 29.4.08 द्वारा स्वीकृत किया गया था।
3.	5/317	4000/-	इस राशि का भुगतान श्री धर्म सिंह वर्मा, अ0अ0 मिडल-11 को मिडल मार्च, 2008 का परीक्षा परिणाम तैयार करने हेतु चाय-पान के लिए किया गया जिसकी स्वीकृति कार्यालय आदेश संख्या: हि0शि0बो0-31/मिडल/2008-दिनांक 15.5.2008 द्वारा दी गई थी ।
4.	6/227	8074/-	यह व्यय श्री लालमन, अ0अ0 द्वारा चाय-पान हेतु प्रश्न-पत्र भरते समय किया गया ।
5.	6/456 2/417	5000/- 936/-	इस राशि का भुगतान श्रीमति सुधा बर्मा, अ0 अ0 को उत्तर-पुस्तिकाओं के पुर्न-निरीक्षण के दौरान चाय-पान पर किया गया ।
6.	7/409	6840/-	श्री रूप लाल कनिष्ठ सहायक द्वारा प्लस टू कक्षा का परीक्षा परिणाम तैयार करते समय बोर्ड कर्मचारियों को चाय-पान पर किया गया ।
7.	7/668	4000/-	अग्रिम राशि का समायोजन बिल जो श्री देश राज, वरिष्ठ सहायक द्वारा मैट्रिक कक्षा का परिणाम तैयार करते समय चाय-पान इत्यादि पर व्यय किया गया ।

8. 7/677 4000/- अग्रिम राशि का समायोजन बिल जो श्रीमति सुदर्शन कुमारी, अ0अ0 द्वारा प्लस वन परीक्षा का परिणाम तैयार करते समय चाय-पान पर खर्च किया गया ।
9. 12/322 38600/- अग्रिम राशियों का समायोजन बिल जो विभिन्न बोर्ड कर्मचारियों को जे.बी.टी. प्रवेश परीक्षा जो दिनांक 7.9.2008 को संचालित की गई थी के संचालन के दौरान चाय-पान दिए जाने के लिए दी गई थी । इस बिल के साथ चाय व बिस्कुट दिए जाने के समर्थन में कोई बिल संलग्न नहीं थे केवल भीम टी-स्टाल द्वारा प्रति व्यक्ति की दर से चार्ज किया गया खर्चा था ।
10. 10/359 2520/- श्री राज कुमार कश्यप को बिल नं0 177 दिनांक 16.9.2008 के लिए किया गया जो बोर्ड कर्मचारियों को जे.बी.टी. प्रवेश परीक्षा का परीणाम तैयार करने के लिए लंच दिये जाने से सम्बन्धित था यह भुगतान उसके द्वारा शिवा ढावा धर्मशाला को किया गया था ।

कुल योग:- 79970/-

अतः बोर्ड प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि वित्त विभाग के पत्र संख्या: फिन-सी-ए(4)-11/99 दिनांक 9.5.2005 के अनुसरण में उक्त व्यय की स्वीकृति वित्त/शिक्षा विभाग से ली जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा सरकार के आदेशों के विपरीत किए गए भुगतान का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए ।

37. ₹18000/-की राशि के प्रत्यर्पण बारे :-

श्री जी0 एल0 वर्मा, अधीक्षक को ₹18000/-की राशि का प्रत्यर्पण किया गया जो बतौर दण्डस्वरूप ब्याज सहित उसे दी गई अग्रिम राशियों के समायोजन लेखे समय पर प्रस्तुत न करने के कारण उसके वेतन से काटे गए थे । यद्यपि उक्त प्रत्यर्पण की स्वीकृति कार्यालय आदेश हि0शि0बो0 (5) उत्पादन - 7055 दिनांक 26.12.2007 द्वारा दी गई थी परन्तु उक्त ₹18000/-रु0 का प्रत्यर्पण का बिल पहले लेखा परीक्षा में आवश्यक पूर्व परीक्षण जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था जिस पर लेखा परीक्षा ने कुछ आपत्तियां जताई थी लेकिन इस प्रत्यर्पण बिल को बोर्ड की आन्तरिक जांच प्रणाली ने पारित कर कर्मचारी को ₹18000/-प्रत्यर्पित कर दिए गए जबकि

अधिसूचना संख्या: फिन (एलए)एच(2)सी (15)14-106/87-खण्ड-4 दिनांक 31.7.2004 अनुसार उक्त बिल बोर्ड के आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा द्वारा पारित नहीं किया जाना था । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाए कि दण्डस्वरूप काटे गए ब्याज राशि को बोर्ड अधिनियम अनुसार प्रत्यर्पण करने के लिए कौन सक्षम है जब यह राशि सभी माध्यम के उपरान्त अग्रिम राशियों के समायोजन लेखे निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत न किए जाने के कारण वेतन से काट ली गई थी । यदि इसकी स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा बोर्ड अधिनियम, 1968 की धारा 19 (3) के अन्तर्गत दी गई है तो क्या इसकी स्वीकृति नियमानुसार बोर्ड ने प्रदान कर दी है अथवा नहीं यदि बोर्ड ऐसी स्वीकृति देने में सक्षम है, तो उस सन्दर्भ में ठोस तथ्यों सहित लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए। अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी के प्रत्यर्पण की गई राशि को वसूल करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार के गलत उदाहरण की पुनरावृत्ति न हो। इसके अतिरिक्त आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली से स्पष्टीकरण लिया जाए कि जब उपरोक्त भुगतान को स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग की शाखा ने नियमों के दृष्टिगत आपत्तिजनक ठहराया था तो यह भुगतान बोर्ड की आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रणाली द्वारा किस अधिकार क्षेत्र व औचित्यता के साथ पारित किया गया व इस प्रकरण में अनियमितता बारे चूककर्ता के विरुद्ध जिम्मेवारी निर्धारित की जाए।

38. विविध :-

(प) 15000/- का भुगतान बतौर अग्रिम फुटकर व्यय हेतु अध्यक्ष श्री मनोज कुमार को वाउ0 संख्या: 4/215 द्वारा किया गया जबकि भुगतान का उद्देश्य वाउचर में स्पष्ट नहीं था । यह राशि अभी तक असमायोजित नहीं है ।

(पप) वाउ0 संख्या: 6/255 के अन्तर्गत 5000/-रु0 की राशि अग्रिम बतौर श्री दान सिंह चालक को भुगतान की गई जिसे अग्रिम रजिस्टर के क्रमांक 89/931 पर दर्ज किया गया है । यह राशि सचिवालय भेंट फीस के रूप में श्री दान सिंह को अग्रिम बतौर दी गई है । इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की प्रति भी वाउ0 के साथ संलग्न नहीं है ।

अतः बोर्ड प्रशासन नियमों का संदर्भ देते हुए सचिवालय भेंट के लिए दिए गए उक्त शुल्क का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी से इसकी वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए ।

(पपप) श्री के०के०गुप्ता उप अधिष्ठात्री अभियन्ता (सेवा निवृत्त) को बोर्ड कार्यालय आदेश हि० शि० बो० (24) स्टोर/08-875 दिनांक 19.11.08 व बाद में श्री आर० पी० कौशल सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता को बोर्ड कार्यालय आदेश संख्या: हि० शि० बो० (24) स्टोर-1/2008 -1065 दिनांक 22.1.2009 से बोर्ड में त्मेवनतबम चमतेवद नियुक्त किया गया था परन्तु इनका पहला बिल लेखा परीक्षा को आवश्यक जांच हेतु नहीं भेजा गया न ही उनकी ई. सी. आर. ऑडिट से अनुमोदित करवाई गई ताकि इनकी नियुक्ति नियमानुसार थी अथवा नहीं की जांच की जा सके। इस सन्दर्भ में बोर्ड प्रशासन स्पष्ट करें कि त्मेवनतबम चमतेवद की नियुक्ति क्या बोर्ड की सर्विस कमेटी से या सरकार/वित्त/शिक्षा विभाग के अनुमोदन उपरान्त की गई थी अथवा नहीं। यह भी कि क्या बोर्ड त्मेवनतबम चमतेवद को नियुक्त करने में सक्षम है? त्मेवनतबम चमतेवद से क्या-2 काम लिया जा रहा है, इस सन्दर्भ में भी तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट करें जबकि बोर्ड के अधिकतर कार्य डिपॉजिट वर्क्स के अन्तर्गत करवाए जा रहे हैं।

(पअ) वाउ० संख्या: 8/335 द्वारा 170/-रु० की राशि श्री कर्म चन्द राठौर, वरिष्ठ सहायक को बिल नं० 1108 दिनांक 3.6.2008 के लिए भुगतान किए गए परन्तु उक्त बिल सम्बन्धित वाउचर के साथ संलग्न नहीं था । अतः यह स्पष्ट किया जाए कि बिना किसी बिल/व्यय प्रमाणक के भुगतान कैसे कर दिया गया ।

(अ) वाउचर संख्या: 9/233 द्वारा 7333/- की राशि बिभिन्न विजली बिलों के भुगतान हेतु सहायक अभियन्ता बिजली मण्डल नं०-1 को भुगतान किए जाने दर्शाए गए हैं परन्तु वाउचर के साथ न तो बिजली बिल न ही भुगतान करने की रसीदें संलग्न थी । इस सन्दर्भ में निःसंदेह भुगतान कासड चैक द्वारा किया गया होगा परन्तु आन्तरिक ऑडिट द्वारा भुगतान बिना बिलों के किया जाना स्पष्ट किया जाए ।

39. पारिश्रमिक व यात्रा भत्ता बिलों में पाई गई गम्भीर अनियमितताएं ।

निम्न अध्यापकों द्वारा एक ही अवधि में दो कार्य-स्थलों में अपना कार्य किया गया दर्शाया है, जिस की पुष्टि स्थल मूल्यांकन केन्द्रों की हाजरी

पंजिका, यात्रा भत्ता बिलों व स्कूलों के पर्यवेक्षक चार्टों से की गई है ।

जिस का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	नाम व पता	स्थल मूल्यांकन केन्द्र का नाम	जिस स्कूल के पर्यवेक्षक चार्ट में दर्शाई गई उपस्थिति का नाम	टिप्पणी
1.	श्री परस राम चौधरी, रा०व०मा०पा० ताल	हमीरपुर	रा०व०मा०पा० झिरालड़ी, जिला हमीरपुर	दिनांक 26.3.06 से 4.4.06 तक दोनों कार्यस्थलों में कार्य किया व दोनों कार्यस्थलों से पारिश्रमिक व यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किए ।
2.	श्री भूरी सिंह, रा० व० मा० पा० रैल, जिला हमीरपुर	हमीरपुर	-	दोनों यात्रा भत्ता बिल स्थल मूल्यांकन केन्द्र हमीरपुर से प्रस्तुत किए । जिनमें दिनांक 7.4.06 से 11.4.06 तक की अवधि की समानता पाई गई ।
3.	श्री रामपाल, अम्ब रा०क० व०मा०पा० चलेट ।		रा०व०मा०पा० कुटेड़ा जसवां	दिनांक 28.3.06 से 4.4.06 तक दोनों कार्यस्थलों में कार्य किया व दोनों कार्यस्थलों से पारिश्रमिक/यात्रा भत्ता प्रस्तुत किया ।
4.	श्री गौरख सिंह, बी.टी.सी. रा० व० मा० नूरपुर पा० ज्वाली ।		रा०व०मा०पा० खडना देहरी	दिनांक 4.4.06 का यात्रा भत्ता बिल व पारिश्रमिक बिल दोनों कार्यस्थलों से अदायगी हेतु प्रस्तुत किया ।
5.	श्री जरनैल अम्ब सिंह, रा०व०मा०पा० नैहरियां		रा०व०मा०पा० दौलतपुर	दिनांक 27.3.06 से 4.4.06 तक दोनों कार्यस्थलों में कार्य किया व दोनों कार्यस्थलों से पारिश्रमिक व यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत किया ।
6.	श्री सुशील नादौन कुमार, रा०उ०पा० वठरा		रा०व०मा०पा० सेरा	---यथोपरि---
7.	श्री अनिल हमीरपुर	हमीरपुर	रा०व०मा०पा०	दिनांक 3.4.06 व 4.

कुमार,
रा०व०मा०पा०
कश्मीर

सेरा

4.06 को दोनों
कार्यस्थलों में
कार्यकिया व दोनों
कार्यस्थलों से
पारिश्रमिक व यात्रा
भत्ता बिल प्रस्तुत
किया ।

8. श्री जगदीश बी०टी०सी० रा०व०मा०पा०
चन्द, नूरपुर लोदवां
रा०व०मा०पा०
नूरपुर

दिनांक 30.3.06 से
4.4.06 तक दोनों
कार्यस्थलों में कार्य
किया गया । दोनों
कार्यस्थलों से
पारिश्रमिक बिल व
दूसरे कार्य में अपना
ठहराव दर्शाकर यात्रा
भत्ता बिल प्रस्तुत
किया ।

9. श्री प्रदीप ज्वाली
कुमार,
रा०व०मा०पा०
ज्वाली

रा०व०मा०पा०
हरसर

दिनांक 28.3.06 से
4.4.06 तक दोनों
कार्यस्थलों में कार्य
किया । दोनों
कार्यस्थलों से
पारिश्रमिक बिल व
दूसरे कार्यस्थल में
अपना ठहराव दर्शाकर
यात्रा भत्ता बिल प्रस्तुत
किया ।

10. श्री राजेश सुन्दरनगर रा०व०मा०पा०
कुमार, रजवाड़ी
रा०व०मा०पा०
रजवाड़ी

रा०व०मा०पा०
रजवाड़ी
-यथोपरि-

उपरोक्त तथ्यों से सचिव महोदय को अंकेक्षण अधियाचना संख्या
1654, 1803 दिनांक 7.5.08 व 25.11.08 द्वारा पहले ही अवगत
करवाया जा चुका है तथा इस प्रकार के भुगतानों को रोकने हेतु उचित दिशा
निर्देश जारी करने का अनुरोध भी किया था, अतः इस संदर्भ में की गई
कार्यवाही से लेखा परीक्षा को शीघ्र अवगत किया जाए। ताकि इस प्रकार की
अनियमितता की पुनरावृत्ति न हो।

40. अग्रिम राशियों के समायोजन हेतु ।

निम्न स्थल मूल्यांकन केन्द्रों के प्रभारियों द्वारा बोर्ड से ली गई अग्रिम
राशियों को कार्य समाप्त होने पर भी शेष बची बकाया राशि को बोर्ड के

कोष में जमा करवाने की बजाए अनियमित रूप से हस्तगत रखा । इस अनियमितता को लेखा परीक्षा के दौरान निर्दिष्ट करने पर शेष बची बकाया राशियों को दण्ड स्वरूप ब्याज सहित वसूला गया व कुछ मामलों में वसूली की जानी आपेक्षित है । अतः सचिव हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड से पुनः अनुरोध है कि शेष बची राशि को सम्बन्धित कर्मचारियों से वसूला जाए व भविष्य में आन्तरिक जांच को ओर सुदृढ़ किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

41. एक ही अवधि के दोहरे यात्रा भत्ता बिलों को भुगतान हेतु प्रस्तुत करना ।

निम्न अध्यापकों द्वारा एक ही अवधि के दोहरे यात्रा भत्ता बिल दो विभिन्न कार्यस्थलों से भुगतान हेतु प्रस्तुत किए थे । जिन्हें लेखा शाखा द्वारा भी पारित करके पूर्वाकेंक्षण हेतु लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया था । लेखा परीक्षा द्वारा अंकेंक्षण आपत्ति उपरान्त दोहरे भुगतान को रोक कर इन तथ्यों से अंकेंक्षण अध्याचना संख्या: 1710 दिनांक 26.7.08 व 1888 दिनांक 6.3.09 द्वारा सचिव महोदय को अवगत करवाया गया परन्तु इस सम्बन्ध में बोर्ड प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना आपेक्षित है । यद्यपि भुगतान ऑडिट के दौरान पारित नहीं किए गए। परन्तु इस संदर्भ में आन्तरिक जांच सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक पग उठाए जाने की नितान्त आवश्यकता है।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	स्थल मूल्यांकन केन्द्र	स्कूल का नाम	दोहरे भुगतान की अवधि।
1.	श्री रामपाल शर्मा, अम्ब रा० क० व० मा० पा० चलेट		कुठेरा जसवां	28.3.06 से 4.4.06
2.	श्रीमति नीलम कुमारी कांगड़ा रा० व० मा० पा० कण्डी ढोलरां		जसाई	27.3.07 से 6.4.07

42. प्रेक्टीकल परीक्षा से सम्बन्धित पारिश्रमिक बिलों में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं के सन्दर्भ में :-

मार्च, 2006 में बोर्ड द्वारा संचालित की गई प्रायोगिक परीक्षा में निम्नलिखित अध्यापकों द्वारा विभिन्न स्थल मूल्यांकन केन्द्रों के हाजिरी पंजिका व यात्रा भत्ता बिलों में अपना ठहराव सम्बन्धित स्थल मूल्यांकन

केन्द्रों में दर्शाकर वहां से अपना पारिश्रमिक व यात्रा भत्ता प्राप्त कर लिया था परन्तु उसी अवधि के दौरान अपने निजी स्कूलों में जा कर विभिन्न विषयों की प्लस वन कक्षा की वार्षिक आन्तरिक प्रयोगिक परीक्षा भी ली, जिससे सम्बन्धित पारिश्रमिक बिल लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किये । लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण आपत्ति उपरान्त इन पारिश्रमिक बिलों की अदायगी को रोक लिया गया तथा अंकेक्षण अधियाचना सं० 1676 दिनांक 27.5.08 द्वारा इन तथ्यों से सचिव स्कूल शिक्षा बोर्ड को अवगत करवाया गया था । परन्तु इस सन्दर्भ में अनियमितता पर अंकुश लगाने हेतु की गई कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना अभी तक अपेक्षित है। दोहरे पारिश्रमिक बिलों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है। यद्यपि गलत हो रहे भुगतान को अंकेक्षण में रोक लिया गया है परन्तु बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि आन्तरिक जांच प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए ताकि इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति पर अंकुश लग सके।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम व स्कूल	स्थल मूल्यांकन केन्द्र का नाम	प्रेक्टीकल विषय	अनियमित भुगतान
जिला बिलासपुर				
1.	श्री राम सिंह धीमान, रा०व०मा०पा० भराड़ी	भराड़ी	भूगोल	329.00
2.	श्री केशव नन्द शर्मा, रा०व०मा०पा० भराड़ी	भराड़ी	भूगोल	254.00
3.	श्री पवन कुमार रा०क०व०मा०पा० बिलासपुर	बिलासपुर	शारीरिक शिक्षा	
4.	श्री राज कुमार, रा०व०मा०पा० घागस	बिलासपुर	-यथो०-	586.00
5.	श्री बी०आर०वर्मा, रा०व०मा०पा०, जुखाला	बिलासपुर	-यथोपरि-	393.00
6.	श्री धनी राम वर्मा, रा०व०मा०पा० कोलीपुरा	-यथो०-	-यथो०-	158.00
जिला हमीरपुर				
7.	श्री वचित्र सिंह, रा०व०मा०पा० अमरोह	हमीरपुर	भूगोल	284.00
8.	श्री अजीत शर्मा, रा०व०मा०पा० भोटा	हमीरपुर	शारीरिक शिक्षा	308.00
9.	श्री रमेश चन्द, रा०व०मा०पा० भूमपल	हमीरपुर	भूगोल	263.00
10.	श्री इन्द्र देव सिंह, रा०व०मा०पा० चवूतरा	हमीरपुर	शारीरिक शिक्षा	350.00
11.	श्री ध्यान सिंह, रा०व०मा०पा० चोरी	हमीरपुर	शारीरिक शिक्षा	435.00

12.	श्री राजकुमार सिंह, नादौन रा0व0मा0पा0 धनेटा	रसायन विज्ञान	233.00
13.	श्री देस राज वर्मा, हमीरपुर रा0क0व0मा0पा0 हमीरपुर	शारीरिक शिक्षा	682.00
14.	श्री सुरेश कुमार, रा0व0मा0पा0 हमीरपुर	-यथोपरि-	781.00
15.	श्री नानक चन्द, रा0व0मा0पा0 कुठेरा	-यथोपरि-	284.00
16.	श्री किशन चन्द, रा0व0मा0पा0 लम्बलू	-यथोपरि-	275.00
17.	श्री दीनानाथ शर्मा नादौन रा0व0मा0पा0 नादौन	-यथोपरि-	661.00
18.	श्री हेम राज चौहान, हमीरपुर रा0व0मा0पा0 उहल जिला कांगड़ा	-यथोपरि-	284.00
19.	श्री बलदेव सिंह चौहान धर्मशाला रा0व0मा0पा0 वड़ंज	-यथोपरि-	254.00
20.	श्री हुक्म सिंह, रा0व0मा0पा0 वालूगलोआ	जी0ए0बी0 कांगड़ा	332.00
21.	श्री सुरेश चन्द, रा0व0मा0पा0 भराली कलां	देहरा	559.00
22.	श्रीमति विजय कुमारी, धर्मशाला रा0व0मा0पा0 चचैयां	शारीरिक शिक्षा	565.00
23.	श्री देस राज, रा0व0मा0पा0 दाड़ी	जी0ए0बी0 कांगड़ा	447.00
24.	श्री मनोज कुमार धीमान, धर्मशाला रा0व0मा0पा0 धर्मशाला	-यथोपरि-	338.00
25.	श्री अशोक कुमार, धर्मशाला रा0व0मा0पा0 दुगियारी	-यथोपरि-	347.00
26.	श्री वलजीत सिंह, धर्मशाला रा0व0मा0पा0 फरसेटगंज	-यथोपरि-	221.00
27.	श्री कुलभूषण रिहालिया, बीटीसी रा0व0मा0पा0 गगंथ	नूरपुर	748.00
28.	श्री पुरुषोत्तम सिंह गुलेरिया, देहरा रा0व0मा0पा0 हरिपुर	-यथोपरि-	444.00
29.	श्री राजेन्द्र सिंह रा0व0मा0पा0 जलोग	जीएबी कांगड़ा	224.00
30.	श्री बुद्धि सिंह, रा0व0मा0पा0 ज्वालामुखी	देहरा	844.00
31.	श्री मनोज शर्मा, रा0व0मा0पा0 कच्छियारी	जीएबी कांगड़ा	323.00
32.	श्री शालेन्द्र पठानिया, धर्मशाला रा0व0मा0पा0 कलियाड़ा	-यथोपरि-	347.00
33.	श्री प्रेम चन्द रा0व0मा0पा0 लदोड़ी	देहरा	218.00
34.	श्री विक्रम सिंह, रा0व0मा0पा0 मूहल	-यथोपरि-	474.00
35.	श्री सुरेश, रा0व0मा0पा0 जीएवी	-यथोपरि-	480.00

36.	रानीताल श्री पुरुषोत्तम लाल	कांगड़ा -यथोपरि-	-यथोपरि-	811.00
37.	रा0व0मा0पा0 नगरोटा वंगवा श्री अमित कुमार गुप्ता,	-यथोपरि-	भौतिक विज्ञान	107.00
38.	रा0व0मा0पा0 पठियार श्री कैलाश शर्मा रा0व0मा0पा0	धर्मशाला	शारीरिक शिक्षा	559.00
39.	पठियार श्री मुकेश मिन्हास,	-यथोपरि-	-यथोपरि-	1024.00
40.	रा0व0मा0पा0 रैत श्री विजय कुमार, देहरा	-यथोपरि-		335.00
41.	रा0व0मा0पा0 रक्कड़ श्री अनूप कुमार, जीएबी	कांगड़ा	रसायन विज्ञान	161.00
42.	रा0व0मा0पा0 सेराथाना श्री अमीन चन्द, रा0व0मा0पा0	-यथोपरि-	शारीरिक शिक्षा	390.00
43.	सुलह श्री प्रकाश चन्द, रा0व0मा0पा0	कुल्लू	भूगोल	143.00
44.	हरिपुर श्री भीम सिंह, रा0व0मा0पा0	-यथोपरि-	-यथोपरि-	152.00
45.	खरोहल श्री जय चन्द वर्मा, सरकाघाट	शारीरिक शिक्षा		194.00
46.	जिला मण्डी श्री खताज सिंह राणा	-यथोपरि-	-यथोपरि-	266.00
47.	रा0व0मा0पा0 भराड़ी श्री रमेश कुमार, रा0व0मा0पा0	-यथोपरि-	-यथोपरि-	194.00
48.	पैहड़ श्री रतन चन्द, रा0व0मा0पा0	-यथोपरि-	-यथोपरि-	525.00
49.	जमनी श्री जगदीश चन्द,	-यथोपरि-	यथोपरि-	149.00
50.	रा0व0मा0पा0 कुजावल श्री राजेन्द्र कुमार,	-यथोपरि-	-यथोपरि-	338.00
51.	रा0व0मा0पा0 मण्डप श्री सदेश हजारी	मण्डी	-यथोपरि-	248.00
52.	रा0व0मा0पा0 सैगलू श्री सहदेव सिंह, रा0व0मा0पा0	सरकाघाट	-यथोपरि-	329.00
53.	थोना श्री हरनाम सिंह रा0व0मा0पा0	रोहड़ू	-यथोपरि-	257.00
54.	जिला शिमला श्री रामेश्वर सिंह रा0व0मा0पा0	-यथो0-	-यथो0-	323.00
55.	कलाटी श्री दिनेश कुमार	-यथो0-	-यथो0-	164.00
56.	रा0व0मा0पा0 समीरकोट श्री वी0डी0 चौहान	-यथो0-	-यथो0-	173.00
	रा0व0मा0पा0 टिक्करी			

जिला उना

57.	श्री राज कुमार, रा0व0मा0पा0 डीएवी उना अम्बोट	रसायन विज्ञान	278.00
58.	श्रीमति मृदूल रानी -यथोपरि- रा0व0मा0पा0 वढेड़ा राजपुताना	जीव विज्ञान	89.00
59.	श्री अनिल कुमार, -यथोपरि- रा0व0मा0पा0 वसाल	शारीरिक शिक्षा	221.00
60.	श्री जगजीत सिंह, -यथोपरि- रा0व0मा0पा0 बसदेहरा	-यथोपरि-	733.00
61.	श्री विजय कुमार, अम्ब -यथोपरि- रा0व0मा0पा0 भरवाई	-यथोपरि-	453.00
62.	श्री धर्म सिंह, रा0व0मा0पा0 अम्ब चलेट	-यथोपरि-	275.00
63.	श्री जगतार सिंह, डीएवी उना -यथोपरि- रा0व0मा0पा0 दियाड़ा	-यथोपरि-	396.00
64.	श्री जय चन्द चनौरिया अम्ब -यथोपरि- रा0व0मा0पा0 घनोरी	-यथोपरि-	344.00
65.	श्री सुरेन्द्र कुमार, डीएवी उना -यथोपरि- रा0व0मा0पा0 हटली	-यथोपरि-	396.00
66.	श्री सोमनाथ, रा0व0मा0पा0 -यथोपरि- खड	-यथोपरि-	293.00
67.	श्री शिव कुमार पराशर अम्ब -यथोपरि- रा0व0मा0पा0 नंगल जरालां	-यथोपरि-	242.00
68.	श्री राकेश कुमार रा0व0मा0पा0 डीएवी उना -यथोपरि- पुलवाल	-यथोपरि-	293.00
69.	श्री राम सिंह अम्ब -यथोपरि- रा0व0मा0पा0 रपो मिसरां	-यथोपरि-	215.00
70.	श्री प्यार कौर डीएवी उना -यथोपरि- रा0क0व0मा0पा0 सन्तोखगढ़	-यथोपरि-	293.00
71.	श्री वलदेव सिंह रा0व0मा0पा0 -यथोपरि- टकाली	-यथोपरि-	390.00
72.	श्री अनिल कुमार शर्मा -यथोपरि- रा0क0व0मा0पा0 उना	-यथोपरि-	718.00
73.	श्री संजय वशिष्ठ -यथोपरि- रा0ल0व0मा0पा0	-यथोपरि-	565.00

43. दोहरी अदायगी पारित करने के सन्दर्भ में :-

विभिन्न स्कूलों में मार्च, 05, 06 की परीक्षा संचालन हेतु नियुक्त केन्द्र अधीक्षक के यात्रा भत्ता, समन्वयक व सहायक समन्वयक के पारिश्रमिक की अदायगी मु0 ८1774/-रु0 व मु0 ८1000/- रु0 की राशि को केन्द्र अधीक्षक के आकरिमिक व्यय विपत्र व अन्य विपत्रों में दो बार भुगतान हेतु पारित किया गया था । अंकेक्षण आपत्ति उठाए जाने पर दोहरे पारित किये गये भुगतान को रोक लिया गया। इस का विवरण अंकेक्षण अधियाचना सं0 1759 दिनांक 16.9.08 में दिया गया है ।

44. अनियमित यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान के सन्दर्भ में :-

निम्न अध्यापकों को बोर्ड द्वारा विना यात्रा/विराम भत्ता परीक्षा संचालन हेतु मार्च, 05, 06 व 07 में नियुक्त किया गया था या उनके कार्यस्थल की दूरी परीक्षा केन्द्र से 8 कि०मी० थी। लेखा शाखा द्वारा उनके यात्रा भत्ता बिलों को पारित करके लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया था। लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण आपत्ति उपरान्त इन बिलों को पारित होने से रोक लिया गया । इस सन्दर्भ में सचिव महोदय को अंकेक्षण अधियाचना सं० 1749,1808,1848,1895 दिनांक 16.9.08, 25.11.08, 22.1.09 व 6.3.09 द्वारा अवगत करवाया गया । अनियमित यात्रा भत्ता बिलों का उल्लेख इस प्रकार से है।

क्र० सं०	अध्यापक का नाम	जिस केन्द्र में परीक्षा संचालन हेतु तैनात किया गया	सत्र	लेखा शाखा द्वारा पारित किया गया अनियमित भुगतान
1.	श्री सुभाष चन्द ठाकुर	रा०व०मा०पा० टोणीदेवी जिला हमीरपुर	मार्च, 07	3006.00
2.	श्री वलविन्द्र कौर	रा०उ०पा० कुठार कलां	मार्च, 06	1128.00
3.	श्री बलवीर सिंह	रा०उ०पा० लोहारली जिला हमीरपुर	मार्च, 05	1032.00
4.	श्री रविन्द्र कुमार	रा०उ०पा० सदूं वडग्रां जिला कांगड़ा	मार्च, 05	1111.00
5.	श्री बलवीर सिंह	रा०उ०पा० वियूं जिला मण्डी	मार्च, 07	1848.00
6.	श्री विजयपाल सिंह	रा०व०मा०पा० अमरोह जिला हमीरपुर	मार्च, 07	2428.00
7.	श्री राजकुमार	रा०व०मा०पा० खरवार जिला हमीरपुर	मार्च, 07	2856.00
8.	श्री पवन कुमार	रा०व०मा०पा० मंझोली	मार्च, 07	2380.00
9.	श्री खेमा नंद शर्मा	-यथोपरि-	मार्च, 07	1314.00
10.	श्रीमति निर्मला देवी	रा० मा० पा० गोहन लगोर	मार्च, 05	742.00
11.	श्रीमति विनू रैना	रा०व०मा०पा० झाकरी	मार्च, 07	5142.00
12.	श्री जीवन सिंह	रा० उ० पा० सुम्माकोट	मार्च, 06	1206.00
		कुल		24193.00
			अनियमित	

इस प्रकार 24193/-की राशि का गलत भुगतान होने से यद्यपि अंकेक्षण के दौरान रोक लिया गया परन्तु आन्तरिक जांच व्यवस्था को मजबूत करने की नितान्त आवश्यकता है ।

45. चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक की गई अदायगी :-

पत्र संख्या: हि0शि0बो0/117/संचालन-1/2005-22001-22128 दिनांक 28.7.05 के अनुसार सितम्बर, 05 से परीक्षा संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों में अधिकतम तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकती थी । परन्तु लेखा शाखा द्वारा उक्त आदेशों की अवज्ञा करते हुए निम्न स्कूलों में तीन से अधिक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अदायगी बिल पारित करके पूर्वांकेक्षण हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए थे । जिसे लेखा परीक्षा द्वारा अंकेक्षण आपत्ति द्वारा अधिक पारित की गई अदायगी को रोक कर सचिव महोदय के ध्यानार्थ अंकेक्षण अधियाचना सं0 1754, 1890 दिनांक 16.9.08 व 6.3.09 द्वारा लाया जा चुका है। बोर्ड की लेखा शाखा द्वारा अधिक पारित की गई अदायगी का विवरण इस प्रकार से है।

क्र० सं०	स्कूल का नाम एवं सत्र	लेखा शाखा द्वारा पारित की गई राशि	ले० प० द्वारा पारित की गई राशि	अधिक लेखा शाखा द्वारा पारित किया गया भुगतान जिसकी लेखा परीक्षा के स्तर पर कटौती की गई।
1.	रा०व०मा०पा० वरोटीवाला, जिला सोलन , मार्च, 06	8873.00	7748.00	1125.00
2.	रा०व०मा०पा० वरना, जिला सोलन, मार्च, 06	3692.00	2532.00	1160.00
3.	रा० उ० पा० वगेरी जिला सोलन, मार्च, 06	3893.00	3638.00	255.00
4.	रा०व०मा०पा० कुठार जिला सोलन, मार्च, 06	4651.00	3615.00	1000.00
5.	बी०आर०एम०पी० रा०व०मा०पा० ग्रां जिला कांगड़ा, मार्च, 06	4705.00	3930.00	775.00
6.	रा०व०मा०पा० देहण जिला उना मार्च, 06	6224.00	4713.00	1511.00

7.	रा०व०मा०पा० भरेड़ी जिला हमीरपुर मार्च, ०६	4489. 00	3705.00	784.00
8.	रा०व०मा०पा० (लड़के) जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी, मार्च, ०६	10865. 00	9663.00	1202.00
9.	रा०उ०पा० नरैली जिला हमीरपुर मार्च, ०७	3291. 00	2870.00	421.00
10.	रा०क०डीएसडी कालेज सवाथु जिला सोलन मार्च, ०६	2305. 00	1981.00	324.00
11.	रा०उ०पा० वाहा जिल सोलन मार्च, ०६	3539. 00	3309.00	230.00
12.	रा०उ०पा० कंगेर जिला उना मार्च, ०६	3995. 00	3620.00	375.00
13.	रा० उ० पा० गगल मार्च, ०६	4174. 00	3949.00	225.00
14.	रा०व०मा०पा० गोहर जिला मण्डी मार्च, ०६	4057. 00	3482.00	575.00
15.	रा०उ०पा० अप्परली कोठी जिला कांगड़ा मार्च, ०६	2026. 00	1801.00	225.00
16.	रा० उ० पा० टटैहल जिला कांगड़ा मार्च, ०६	4879. 00	4429.00	450.00
17.	शिवा राजकीय व०मा०पा० उपरली कोठी मार्च, ०६	4212. 00	3687.00	525.00
18.	रा०व०मा०पा० इन्दपुर जिला कांगड़ा मार्च, ०६	2522. 00	1897.00	625.00
19.	रा०व०मा०पा० गंगथ जिला कांगड़ा मार्च, ०६	4097. 00	3097.00	1000.00
20.	पीएम रा०व०मा०पा० दियाठी वडूखर मार्च, ०६	4860. 00	4275.00	585.00
21.	रा०व०मा०पा०वददी मार्च ०७	2195. 00	1770.00	425.00
22.	रा०व०मा०पा० डैहर गोरा जिला शिमला मार्च, ०७	4365. 00	3175.00	1190.00
23.	एसएनव०मा०पा० दियाठी जिला कांगड़ा मार्च, ०७	2070. 00	1620.00	450.00
24.	एसवीवी व०मा०पा० ज्वालामुखी जिला कांगड़ा मार्च, ०६	4144. 00	3918.00	226.00
25.	रा०व०मा०पा० जलद	5092.	4946.00	146.00

	जिला कांगड़ा मार्च, 06	00			
26.	रा0व0मा0पा0 जिला कांगड़ा मार्च, 06	जस्सु 5855.00	5742.00	143.00	
27.	रा0व0मा0पा0 जोगिन्द्रनगर मण्डी, मार्च, 07	6739.00	5893.00	846.00	
28.	रा0व0मा0पा0 परवाणु मार्च, 06	3999.00	2814.00	1085.00	
29.	रा0व0मा0पा0 लड़के) सोलन मार्च, 06	3862.00	2647.00	1215.00	
30.	रा0व0मा0पा0 टिहरा जिला हमीरपुर मार्च, 06	रसीद सं0 601801 दिनांक 4.8.08 द्वारा जमा करवाए गए	-	850.00	
31.	रा0व0मा0पा0 कलौल जिला बिलासपुर मार्च, 06	6487.00	6136.00	351.00	
32.	रा0व0मा0पा0 नैना देवी मार्च, 06	3046.00	2746.00	300.00	
		कुल अधिक पारित किया गया भुगतान		20599.00	

इस प्रकार लेखा परीक्षा द्वारा लेखा शाखा द्वारा प्रस्तुत अनियमित भुगतान अदायगी बिलों को यथावत न पारित करके यद्यपि ₹20599/-की कटौती करके बोर्ड निधि को लाभ पहुँचाया गया है परन्तु बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि अध्यापन बिलों में अनेक अनियमित भुगतान व दोहरे भुगतान के मामले प्रकाश में आने के कारण आन्तरिक जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने की नितान्त आवश्यकता है ।

भाग-3

हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण से सम्बन्धित मुख्य अनियमितताएँ :-

1. प्रारम्भिक:- हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित निम्नलिखित पुस्तक विक्रय केन्द्रों का, प्रत्येक के विरुद्ध दर्शाई गई अवधि का अंकेक्षण वर्ष 2008-09 के दौरान किया गया । सम्बन्धित पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रतिलिपियां सचिव, हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करवा दी

गई है । इन पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण के दौरान पाई गई मुख्य अनियमितताओं का विवरण अनुवर्ती पैरों में दिया गया है ।

क्रमांक	नाम विक्रय केन्द्र	अंकेक्षण की अवधि
1.	शिमला	4/2006 से 3/2008
2.	नाहन	4/2004 से 3/2007
3.	सोलन	4/2007 से 3/2009

2. प्रत्यक्ष सत्यापन न करवाने बारे :-

पुस्तक विक्रय केन्द्र सोलन व शिमला से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्ट्रों की जांच करने पर पाया गया कि सोलन में माह 9/2006 व शिमला में माह 2/07 के पश्चात् पुस्तक विक्रय केन्द्र में पड़ी पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जबकि नियमानुसार स्टॉक व स्टोर में पड़े सामान का प्रत्येक वर्ष के अन्त में कमेटी गठित करवाकर प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है ताकि स्टोर में पड़े शेष सामान से मिलान किया जा सके । यद्यपि यह मामला सचिव, हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड के ध्यान में पुस्तक विक्रय केन्द्र सोलन के अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2007 से 3/2009 के पैरा-8 व पुस्तक विक्रय केन्द्र शिमला के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008 के पैरा-7 के माध्यम से आवश्यक अनुपालना हेतु लाया गया था परन्तु इस सन्दर्भ में पुनः अनुरोध है कि प्रत्येक वर्ष के अन्त में पुस्तक विक्रय केन्द्रों में रखी गई पुस्तकों का प्रत्यक्ष सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा जांच के परिणामों से समय-समय पर लेखा परीक्षा को भी अवगत करवाया जाये ।

3. अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे :-

निम्नलिखित पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विरुद्ध दर्शाया गया अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण इन अभिलेखों के अभाव में आवश्यक जांच नहीं की जा सकी।

क्रमांक	अभिलेख का विवरण	डिपो नाम	अंकेक्षण अवधि एव पैरा सं०
1.	पुस्तक विक्रय केन्द्र नाहन से दूसरे पुस्तक विक्रय केन्द्रों को हस्तांतरित व अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से प्राप्त पुस्तकों के आदेश प्रस्तुत न करना ।	नाहन	4/04 से 3/07 पैरा सं० 5
2.	पुस्तक विक्रय केन्द्र शिमला से दूसरे पुस्तक विक्रय केन्द्रों को हस्तांतरित व अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से प्राप्त पुस्तकों के आदेश प्रस्तुत न करना ।	शिमला	4/06 से 3/08 पैरा सं० 5

3.	पुस्तक विक्रय केन्द्र नाहन का उत्तरपुस्तिकाओं का रिकार्ड प्रस्तुत न करने बारे ।	नाहन	4/04 से 3/07 पैरा सं0 7
4.	क्षतिग्रस्त पुस्तकों की निलामी से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना ।	नाहन	4/04 से 3/07 पैरा सं0 6
5.	शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को उधार वेची गई पुस्तकों के सम्बन्ध में रजिस्टर/अभिलेख प्रस्तुत न किया जाना ।	नाहन	4/04 से 3/07 पैरा संख्या: 10
6.	पुस्तकों को स्थानान्तरण करने से सम्बन्धित स्थानान्तरण विपत्र प्रस्तुत न करने बारे ।	नाहन	4/04 से 3/07 पैरा सं0 12
7.	कैश मैमों/बिल पुस्तकों के सम्बन्ध में स्टॉक रजिस्टर तैयार न किया जाना ।	शिमला	4/06 से 3/08 पैरा सं0 11
	अप्रचलित पुस्तकों के डैड स्टॉक को विक्रय करने बारे ।	शिमला	-यथो- पैरा सं0 13

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि उक्त अभिलेख निकट भविष्य में अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

4. अभिलेखों में अत्याधिक कांट-छांट व सत्यापित न करने बारे :-

सन्दर्भित पुस्तक विक्रय केन्द्रों के विभिन्न अभिलेखों में अत्याधिक कांट-छांट पाई गई व अभिलेख सत्यापित नहीं किए गए थे जिनका विवरण निम्नलिखित है, जिसे अब सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं०	विवरण त्रुटि	डिपो नाम	अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं पैरा संख्या०
1.	पुस्तकों के स्टॉक रजिस्ट्रों व अन्य रजिस्ट्रों को अधिकारी/प्रभारी द्वारा सत्यापित न करने बारे ।	शिमला	4/06 से 3/08 पैरा सं0 6
2.	कैशमैमों में कई स्थानों पर कांट-छांट करके राशियों तथा पुस्तकों की मात्रा को लिखा गया है जिसका विवरण पैरा में दिया गया है ।	शिमला	4/06 से 3/08 पैरा सं0 9
3.	स्टॉक रजिस्ट्रों में अत्याधिक अभिलेखन व कांट-छांट करके आंकड़ों का दर्शाया जाना ।	नाहन	4/04 से 3/07 पैरा सं0 9
4.	पुस्तकों में स्टॉक रजिस्ट्रों व अन्य रजिस्ट्रों को सत्यापित न करने बारे ।	सोलन	4/07 से 3/09 पैरा सं0 5
5.	स्टॉक रजिस्टर में अत्याधिक इन्द्राज करने बारे ।	सोलन	4/07 से 3/09 पैरा

5. अप्रचलित पुस्तकों के अन्तिम शेष को अग्रेणीत न करने बारे :-

पुस्तक विक्रय केन्द्र सोलन से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि स्टॉक रजिस्टर की समाप्ति पर नये स्टॉक रजिस्टर में अन्य पुस्तकों के अन्तिम शेष को तो अग्रेणीत किया गया है परन्तु अप्रचलित पुस्तकों के अन्तिम शेष को नये स्टॉक रजिस्टर में अग्रेणीत नहीं किया गया था जिस कारण अंकेक्षण कार्य के निष्पादन में अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा तथा इस अनियमितता के कारण लेखाओं में अनेक त्रुटियां पाई गई जिनका निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर दिया गया। अतः भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि अप्रचलित पुस्तकों के लिये एक अलग स्टॉक रजिस्टर लगाया जाये जिसमें प्रत्येक अप्रचलित पुस्तकों की प्रविष्टि कोड वार की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि अप्रचलित पुस्तकों की नीलामी के समय अनावश्यक कार्यवाही से बचा जा सके।

6. मुवलिग 21637/-की पुस्तकें अन्य रजिस्टर में अग्रेणीत न करने के सन्दर्भ में :-

पुस्तक विक्रय केन्द्र नाहन की अवधि 4/2004 से 3/2007 तक के विभिन्न स्टॉक रजिस्ट्रों की जांच करने पर यह पाया गया कि पुस्तकों के शेष इत्यादि निकाले गए हैं लेकिन इन शेषों को आगामी स्टॉक रजिस्ट्रों में अग्रेणीत नहीं किया गया है जिनका विवरण उपरोक्त डिपो के अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/2004 से 3/2007 के पैरा-11 के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' में दिया गया है जिसकी कुल कीमत 21637/-बनती है। अतः स्टॉक रजिस्ट्रों में अग्रेणीत न की गई पुस्तकों के सम्बन्ध में चूक-कर्ताओं से बसूली शीघ्र करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में आन्तरिक जांच को सुदृढ़ बनाया जाए तथा इन रजिस्ट्रों का समय-2 पर सम्बन्धित पुस्तक विक्रय केन्द्र के प्रभारी द्वारा नियमानुसार सत्यापित करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

7. उप निदेशक (वरिष्ठ) शिमला को बिल संख्या: 5091 दिनांक 25.4.2006 द्वारा आई.आर.डी.पी. वर्ग हेतु जो निम्नलिखित पुस्तकें स्टॉक रजिस्टर से कम की गई हैं, वास्तव में उपरोक्त बिल में वर्णित ही नहीं है।

कोड नं0	नाम पुस्तक	मात्रा
---------	------------	--------

623	हिन्दी व्याकरण	598
624	अंग्रेजी ग्रामर	598
621	कला अध्ययन	598

जबकि यह सभी पुस्तकें बिना बिल जारी किए स्टॉक से कम कर दी गई है। जो एक गम्भीर अनियमितता है।

अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इस प्रकरण में विभागीय जांच की जाए तथा बिना बिल जारी स्टॉक से कम की गई पुस्तकों की कीमत की बसूली सुनिश्चित की जाए यदि ये पुस्तकें शिक्षा विभाग को बेची गई हैं तो इन पुस्तकों की भरपाई शिक्षा विभाग से की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से यथासमय लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

भाग-4

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं वर्ष 2008-09 का वार्षिक लेखा।

1. **प्रारम्भिक :-** हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत प्रारूप में आवश्यक जांच पड़ताल करने के उपरान्त निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रमाणित किया जाता है। लेखों में पाई गई त्रुटियों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है। लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है। विशेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ बही अनुसार शेष में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान हेतु उठाये गए पग पर्याप्त नहीं थे। इस सम्बन्ध में शीघ्र उचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

2. **प्राप्तियां :-**

(क) वित्तीय स्थिति :- वित्तीय वर्ष 2008-09 के अन्त में रोकड़ वही अनुसार अन्त शेष मुवलिग ₹28,96,07,035.69 है और विभिन्न बैंकों में बोर्ड धन का अन्तिम शेष मुवलिग ₹32,78,60,135.14 है। इस प्रकार रोकड़ वही शेष एवं बैंक शेष में मुवलिग ₹3,82,53,099.45 का अन्तर परिलक्षित हुआ है। जिसमें से मुवलिग ₹2,65,30,882/- का अन्तर निम्नलिखित कारणों से है:-

1. बैंक खाता संख्या: 10551097432 एस.बी. 2,20,51,007/- आई. धर्मशाला से जारी चैकों की राशि जो दिनांक 31.03.09 तक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.03.09 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं

2. बैंक खाता संख्या: 10551097330 एस.बी. 44,79,875/-
आई. धर्मशाला से जारी चैकों की राशि जो 31.
3.09 तक भुगतान हेतु जारी किए गए लेकिन
दिनांक 31.3.09 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं
गए हैं

योग:- 2,65,30,882/-

इस प्रकार ₹2,65,30,882/- की राशि का समायोजन करने के उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष तथा कैशबुक के अन्तिम शेष में मुवलिग ₹1,17,22,217.45 का अन्तर शेष रहता है । इस अन्तर के मिलान हेतु न तो कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है तथा न ही कोई ठोस कार्यवाही की गई है। इस सन्दर्भ में बैंक समाधान विवरणी शीघ्र तैयार करवाने हेतु बोर्ड प्रशासन से उचित रूप से ठोस पग उठाने का परामर्श दिया जाता है।

(ख) प्रवेश शुल्क/बिलम्ब शुल्क (परीक्षा) के रूप में प्रत्येक वर्ष के अन्त में विभिन्न वर्षों से भारी मात्रा में राशियां बसूली हेतु लम्बित रह जाती हैं । परन्तु इन लम्बित राशियों की दोषी छात्रों से बसूली हेतु ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और न ही ऐसी राशियों के वर्ष बार ब्यौरे के सम्बन्ध में कोई उल्लेख वार्षिक लेखों में दर्शाया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप स्कूल शिक्षा बोर्ड को प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ती है। शुल्क शाखा से प्राप्त विवरणानुसार वर्ष 2008-09 तक कुल ₹34,41,981 की राशि बसूली हेतु लम्बित थी । अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इस राशि की बसूली हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

(ग) उपरोक्त पैरा 2(क)(1) तथा (2)में वर्णित चैकों में से ऐसे चैक जो बोर्ड द्वारा दिनांक 1.10.2008 से पहले निर्गमित किए गए हैं व चैक दिनांक 31.3.2009 को कालातीत बन चुके हैं, क्योंकि भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा इन्हें सम्बन्धित बैंकों में चैक निर्गमित होने की तिथि से 6 मास के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है । परिणामस्वरूप इन कालातीत चैकों का 31 मार्च, 2009 के पश्चात भुगतान नहीं हो सकता है । अतः लेखा नियमों के अन्तर्गत इन चैकों की राशि को पुनः रोकड़-वही में दर्ज किया जाना बनता था जो कि बोर्ड प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है । अतः यह वार्षिक लेखे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करते हैं ।

(घ) आय शीर्ष 101(7) के अन्तर्गत ₹25,709/- की राशि को अवर्गीकृत आय शीर्ष के रूप में दर्शाया गया है । इस अवर्गीकृत आय को वर्गीकृत करने हेतु ठोस कदम उठाये जाएँ अन्यथा इस राशि को विविध प्राप्तियों के रूप में दिखाया जाए ।

(ङ.) शीर्ष संख्या: 108 के अन्तर्गत मुवलिंग ₹1,20,500/- की राशि आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त धरोहर/प्रतिभूति राशि को आय के रूप में दर्शाया गया है, जबकि यह एक वापिसी योग्य राशि है । अतः अनुरोध है कि भविष्य में धरोहर/प्रतिभूति राशि को एफ0डी0आर0 के रूप में लिया जाए जो सचिव हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से रहे ।

(च) बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को मकान निर्माण, वाहन क्रय (कार व स्कूटर,) मकान मरम्मत व गर्म कपड़ों हेतु प्रत्येक वर्ष लाखों रु0 बतौर ऋण दिए जाते हैं । परन्तु इन ऋणों पर अर्जित ब्याज को वार्षिक लेखा में लेखांकित नहीं किया जा रहा है । अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि उपरोक्त ऋणों से प्राप्त ब्याज को वार्षिक लेखा में अलग शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाए । ताकि बोर्ड की सही वार्षिक आय परिलक्षित हो सके ।

3. भुगतान :-

(क) शीर्ष- 406(1) के अन्तर्गत मु0 ₹21,730/- की राशि व्यय के रूप में दर्शाई है, जबकि बास्तव में यह राशि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को धरोहर/प्रतिभूति के रूप में वापिस लौटाई गई है । बोर्ड द्वारा धरोहर/प्रतिभूति राशि को पहले आय में जोड़ लिया जाता है फिर उसी राशि को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को वापिस लौटा दिया जाता है । इससे बोर्ड की आय व व्यय में अनावश्यक रूप से वृद्धि परिलक्षित होती है ।

(ख) गोपनीय निधि :- उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार गोपनीय निधि में दिनांक 31.3.09 को मु0 ₹66,213.60/- अनुपयुक्त शेष थे जिन्हें वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए था ।

(ग) शीर्ष संख्या 309(2) के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कुल ₹44,50,268 की राशि विभिन्न एजेसियों को डिपोजिट वर्क के रूप में भवन निर्माण/भवनों के रख-रखाव हेतु अदा की गई । परन्तु इस व्यय की वैधता की जांच आडिट द्वारा नहीं की जा सकी, क्योंकि खर्च

की गई राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

(ड.) शीर्ष सं० 408(4) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कुल मु० ₹1,45,000/- की राशि स्वैच्छिक अनुदान के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को, खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों के उत्थान हेतु प्रदान की गई । परन्तु विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा क्या इस राशि का खर्च अनुदान की शर्तों/दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया गया के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिसके अभाव में व्यय की वैद्यता की पुष्टि आडिट द्वारा नहीं की जा सकी है ।

सहायक
नियंत्रक(ले०प०)
निवासी अंकेक्षण
योजना,
हि०प्र०स्कूल शिक्षा
बोर्ड,
धर्मशाला ।

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा
विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

(अनूप कुमार धारू)

13. बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों के माह फरवरी व मार्च

तथा अप्रैल, 2006 की आय की जांच

बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न पुस्तक विक्रय केन्द्रों की माह 2/06 से 4/06 के दौरान प्राप्त आय की जांच उपरान्त निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई हैं जिनके शीघ्र निपटारे हेतु सम्बन्धित पुस्तक विक्रय केन्द्रों के प्रभारियों को उचित दिशा निर्देश जारी किए जाएं :-

1. पुस्तक विक्रय केन्द्र चम्बा :-

(1) दिनांक 14.2.06 को कुल प्राप्त आय मु0 14707/-रु0 के विरुद्ध केवल मु0 13707/-रु0 ही बैंक में जमा करवाए गये । इस तरह कुल मु0 1000/-रु0 कम जमा करवाए गए हैं । यह राशि शीघ्र जमा करवाई जाए ।

(2) दिनांक 23.2.06 को कुल प्राप्त आय मु0 25,782/-रु0 के विरुद्ध केवल मु0 25557/- रु0 ही बैंक में जमा करवाए गए । इस प्रकार कुल मु0 225/-रु0 बैंक में कम जमा करवाए गए । यह राशि शीघ्र जमा करवाई जाए ।

(3) बिल संख्या: 1765 दिनांक 17.3.06 पर दी गई टिप्पणी अनुसार राशि रुपये 4,42,630/-की पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत वापिस प्राप्त की गई जिन्हें रसीद संख्या: 12890-12896 पर दर्ज दिखाया गया था परन्तु सम्बन्धित रसीद एवं पुस्तकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किए गये । इस तथ्य की पुष्टि हेतु उपरोक्त अभिलेख शीघ्र लेखा परीक्षा में दिखाया जाए ।

(4) निम्नलिखित कैश मैमों द्वारा कम राशियां बसूली गई है। इन राशियों की शीघ्र वसूली की जानी अपेक्षित है :-

कैश सं०	मैमों दिनांक	प्राप्त राशि(रु०)	वास्तविक राशि	कम प्राप्त राशि
17185	23.3.06	2754.00	2772.00	18.00
17192	-यथो०-	9333.00	9459.00	126.00
17199	-यथो०-	5607.00	6336.00	729.00
17125	-यथो०-	12195.00	12240.00	45.00
17387	12.4.06	90.00	135.00	45.00
		29979.00	30942.00	963.00

(5) जांच के दौरान यह देखा गया कि पुस्तक विक्रय केन्द्र बिलासपुर, रोहडू तथा चम्बा के प्रभारियों द्वारा पुस्तक विक्रेताओं को विक्रय की गई पुस्तकों की कीमत को विक्रेताओं के द्वारा सीधा बैंक में जमा करवाये जाने की वजाए प्रभारियों द्वारा कैश में प्राप्त करके स्वयं बैंक में जमा करवाया जा रहा था । यह बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की उल्लंघना है । अतः भविष्य में उक्त दिशा निर्देशों की कड़ाई से अनुपालना की जाए ।

(2) पुस्तक विक्रय केन्द्र रिकांगपिओ:-

(1) दिनांक 21.2.06 को बैंक में 22,91,391/-रु० जमा करवाए गए परन्तु इस सम्बन्ध में कोई विवरण लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । यह विवरण शीघ्र लेखा परीक्षा में दिखाया जाए ।

(3) पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर:-

(1) माह 2/06 की कुल आय 1,13,985/-रु० के विरुद्ध केवल 1,11,735/-रु० ही बैंक में जमा करवाये गये । इस तरह कुल 2250/-रु० बैंक में कम जमा करवाए गये । शेष राशि शीघ्र बैंक में जमा करवाई जाए ।

(2) दिनांक 5.6.03 को प्रस्तुत विक्रय केन्द्र भोरजं से नवम् कक्षा की स्वाति भाग-1(कोड 901) 500 पुस्तकें पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर को स्थानान्तरित की गई परन्तु हमीरपुर पुस्तक विक्रय केन्द्र के स्टॉक रजिस्टर की छानवीन में यह पाया गया कि दिनांक 6.6.03 को केवल 300 पुस्तकें ही प्राप्त की गई । इस तरह कुल 200 पुस्तकें जिनकी कीमत 200 ग 9 त्र 1800/-रु० हमीरपुर पुस्तक विक्रय केन्द्र द्वारा अपने स्टॉक रजिस्टर में कम दिखाई गई । इन पुस्तकों की कीमत की बसूली शीघ्र ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(4) पुस्तक विक्रय केन्द्र मण्डी:-

(1) माह फरवरी से मार्च, 2006 तक की पुस्तकों की विक्री से सम्बन्धित विवरणी एवम स्थानान्तरण/प्राप्ति रसीदें लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई । यह अभिलेख अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

(5) पुस्तक विक्रय केन्द्र शिमला:-

(1) दिनांक 7.2.06 को बैंक में मु0 23,32,346/-रु0 की राशि जमा करवाई गई । परन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । सम्बन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए ।

(6) **पुस्तक विक्रय केन्द्र नाहन:-**

पुस्तक विक्रय केन्द्र नाहन के कैश मैमों सं0 8915 दिनांक 20.3.06 द्वारा 5242/-रु0 की राशि टैक्स सहित कुल 1440 कि0ग्रा0 पुस्तकों की रददी की विक्री से 3.25रु0 प्रति कि0 ग्रा0 की दर से प्राप्त की गई । परन्तु रददी की विक्री से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि विक्री की गई पुस्तकों का विवरण सक्षम अधिकारी की स्वीकृति, निविदाएं इत्यादि अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं किया गया । यह अभिलेख जांच हेतु शीघ्र लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए ।

(7) **पुस्तक विक्रय केन्द्र रामपुर:-**

(1) दिनांक 10.2.06 को 9,66,288/-रु0 तथा दिनांक 3.3.06 को 6,88,631/-रु0 बैंक में जमा करवाए गए परन्तु इस सम्बन्ध में कोई भी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया । सम्बन्धित कैश मैमों/रसीद इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए जाएं ।

(2) पुस्तक विक्रय केन्द्र रामपुर के कैश मैमों के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए ।

(8) **पुस्तक विक्रय केन्द्र भोरज:-**

(1) दिनांक 4.3.06 को पुस्तक विक्रय केन्द्र हमीरपुर से स्वतन्त्रता संग्राम (कोड 506) की 500 किताबें स्टॉक रजिस्टर से पुस्तक विक्रय केन्द्र भोरज को स्थानान्तरित करने हेतु खारिज की गई । परन्तु स्थानान्तरण विपत्र पर उक्त किताब की केवल 300 प्रतियों की ही प्रविष्टि की गई । इस अनियमितता हेतु दोषी के विरुद्ध आवश्यक कार्यावाही की जानी अपेक्षित है ।

(2) कैश मैमों में अत्याधिक मात्रा में कांट-छांट की गई है । कई वार पुस्तकों की मात्रा/राशियां ही बदल दी गई हैं ऐसे कुछ कैश मैमो उदाहरण के तौर पर नीचे दिए जा रहे हैं । अतः पुस्तक विक्रय केन्द्र प्रभारियों को इस अनियमितता बारे आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएं ।

कैश मैमो सं0 दिनांक

13062	से 10.3.06
13067	
13073	13.3.06
13077	13.3.06
13095	14.3.06
25255	16.3.06

(9) **पुस्तक विक्रय केन्द्र कुल्लू :-**

मास फरवरी तथा मार्च, 2006 के दौरान अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों से प्राप्त तथा अन्य पुस्तक विक्रय केन्द्रों को स्थानान्तरित पुस्तकों के सम्बन्ध में स्थानान्तरण एवं प्राप्ति रसीदें जांच हेतु अंकेक्षण पर प्रस्तुत नहीं की गई । यह अभिलेख शीघ्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए ।

10. निष्कर्ष:- लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है । विशेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ वही अनुसार शेषों में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान एवं अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

उप नियंत्रक(ले०प०)

निवासी अंकेक्षण योजना,

हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला

।

निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

भाग-3

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं वर्ष 2006-07 का वार्षिक लेखा ।

1. प्रारम्भिक:- हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत प्रारूप में आवश्यक जांच पड़ताल करने के उपरान्त निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रमाणित किया जाता है । लेखों में पाई गई त्रुटियों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है । लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है । विशेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ वही अनुसार शेष में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान हेतु उठाये गए पग पर्याप्त नहीं थे । इस सम्बन्ध में शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।

2. प्राप्तियां :-

(क) वित्तीय स्थिति :- वित्तीय वर्ष 2006-07 के अन्त में रोकड़ वही अनुसार अन्त शेष मुवलिग 21,34,37,243.63रुपये है और विभिन्न बैंकों में बोर्ड धन का अन्तिम शेष मुवलिग 26,38,93,269.29रुपये है । इस प्रकार रोकड़ वही शेष एवं बैंक शेष में मुवलिग 5,04,56,025.66रुपये का अन्तर परिलक्षित हुआ है । जिसमें से मुवलिग 3,55,39,661/-रुपये का अन्तर निम्नलिखित कारणों से है:-

- बैंक खाता संख्या: 10551097432 एस. 1,80,50,783/-
1. बी.आई. धर्मशाला से जारी चैकों की राशि जो दिनांक 23.04.99 से दिनांक 31.03.07 तक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.03.07 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं
 2. बैंक खाता संख्या: 10551097330 एस. 39,53,878/-
बी.आई. धर्मशाला से जारी चैकों की राशि जो दिनांक 1.4.2004 से 31.3.07 तक भुगतान हेतु जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.3.07 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं
 3. एस.बी.आई. धर्मशाला द्वारा अग्रिम जमा 1,35,35,000/- कर दिया गया लेकिन डिपू खाता में अप्रैल, 2007 को डेबिट दिया गया है

योग:- 3,55,39,661/-

इस प्रकार 3,55,39,661/-रुपये की राशि का समायोजन करने के उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष तथा कैशबुक के अन्तिम शेष में मुवलिग 1,49,16,364.66रुपये का अन्तर शेष रहता है । इस अन्तर के मिलान हेतु न तो कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है तथा न ही कोई ठोस कार्यवाही की गई है । बैंक समाधान विवरणी शीघ्र तैयार करवाने हेतु बोर्ड प्रशासन से अनुरोध किया जाता है ।

(ख) प्रवेश शुल्क/बिलम्ब शुल्क (परीक्षा) के रूप में प्रत्येक वर्ष के अन्त में विभिन्न वर्षों से भारी मात्रा में राशियां बसूली हेतु लम्बित रह जाती हैं । परन्तु इन लम्बित राशियों की दोषी छात्रों से बसूली हेतु ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और न ही ऐसी राशियों के वर्ष बार ब्यौरे के सम्बन्ध में कोई उल्लेख वार्षिक लेखों में दर्शाया जाता है । जिस वजह से स्कूल शिक्षा बोर्ड को प्रत्येक वर्ष लाखों रुपये की हानि उठानी पड़ती है । शुल्क शाखा से प्राप्त विवरणानुसार वर्ष 2006-07 तक कुल 12,38,966.00रुपये की राशि बसूली हेतु लम्बित थी । अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इस राशि की बसूली हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

(ग) उपरोक्त पैरा 2(क)(1) तथा (2)में वर्णित चैकों में से ऐसे चैक जो बोर्ड द्वारा दिनांक 1.10.2006 से पहले निर्गमित किए गए हैं व चैक दिनांक 31.3.2007 को कालातीत चैक बन चुके हैं, क्योंकि भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा इन्हें सम्बन्धित बैंकों में चैक निर्गमित होने की तिथि से 6 मास के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है । परिणामस्वरूप इन कालातीत चैकों का 31 मार्च, 2007 के पश्चात भुगतान नहीं हो सकता है । अतः लेखा

नियमों के अर्न्तगत इन चैकों की राशि को पुनः रोकड़-वही में दर्ज किया जाना बनता था जो कि बोर्ड प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है । अतः यह वार्षिक लेखे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करते हैं ।

(घ) आय शीर्ष 101(7) के अर्न्तगत 1,74,231/-रुपये की राशि को अवर्गीकृत आय शीर्ष के रूप में दर्शाया गया है जबकि बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रकार की प्राप्ति/आय हेतु अलग-2 शीर्ष बनाए गए हैं । अवर्गीकृत आय को जब तक उचित आय शीर्ष में दर्शाया नहीं जाता तब तक इसे आय के रूप में दर्शाया जाना उचित नहीं है । इस प्रकार वार्षिक लेखे स्कूल शिक्षा बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं ।

(ङ.) शीर्ष संख्या 105(1)(2) एवं (5) के अर्न्तगत मुवलिग 64,58,859/-रुपये की आय बोर्ड कर्मचारियों द्वारा विभिन्न अग्रिमों की अव्ययित राशि को जमा करवाए जाने पर तथा शीर्ष संख्या 114(1) और (2) के अर्न्तगत मुवलिग 3,01,335/-रुपये की राशि विभिन्न अध्यापकों द्वारा विना खर्च अव्ययित राशि को जमा करवाए जाने पर आय शीर्ष में दर्शायी गई है । परन्तु यह बोर्ड की वास्तविक आय नहीं है ।

(च) शीर्ष संख्या 111 के अर्न्तगत विभिन्न निवेशों से प्राप्त ब्याज स्वरूप आय को दर्शाया गया है । जिसमें पुस्तक शीर्ष के अर्न्तगत बैंकों में जमा/निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि पुस्तक शीर्ष के अर्न्तगत किए गए निवेशों से अर्जित ब्याज राशि को उसी शीर्ष में दिखाया जाना चाहिए था । इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है ।

(छ) शीर्ष संख्या: 111 के अर्न्तगत मुवलिग 1,50,31,738.19रुपये की राशि विभिन्न निवेशों से प्राप्त आय के रूप में दर्शायी गई है । इस राशि में सावधि जमा योजना के अर्न्तगत निवेशित केवल उन राशियों पर प्राप्त ब्याज सम्मिलित है जिन्हें अंकेक्षण अवधि के दौरान भुना लिया गया है । परन्तु ऐसी निवेशित राशियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को आय में सम्मिलित नहीं किया गया है । जिनकी परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर पुनः निवेशित कर दिया गया है । ऐसी अनेक राशियां हैं जिन्हें गत कई वर्षों में बार-2 पुनः निवेशित किया जा चुका है तथा पुनः निवेशित करते

समय प्राप्त ब्याज का लेखाकरण किया जाना अपेक्षित था । इस प्रकार बोर्ड के लेखों की सही वार्षिक स्थिति परिलक्षित नहीं होती है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित आय को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान गणना में लिए जाने बारे उचित पग उठाए जाएँ ।

(ज) शीर्ष संख्या: 108 के अन्तर्गत मुवलिग 36,074/- रुपये की राशि आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त धरोहर/प्रतिभूति राशि एवं शीर्ष संख्या: 205 के अन्तर्गत मुवलिग 85,800/-रुपये की राशि को आय के रूप में दर्शाया गया है, जबकि यह एक वापिसी योग्य राशि है । अतः इन राशियों को आय नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार बोर्ड के वार्षिक लेखे अपनी वित्तीय स्थिति की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

(झ) शीर्ष संख्या 112(2) के अन्तर्गत मु0 52,224/-रुपये की राशि स्कूल शिक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आये विभिन्न अधिकारियों से सी0पी0एफ0 एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में दर्शाई गई है । परन्तु उक्त राशि वास्तव में बोर्ड की आय नहीं है ।

3. व्यय:-

(क) शीर्ष- 303(1)(3)(4) के अन्तर्गत मु0 10,62,800/-रु0 की राशि व्यय के रूप में दर्शाई है, जबकि वास्तव में यह राशि बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण/त्यौहार/गर्म कपड़े बनवाने हेतु अग्रिम के रूप में दी गई है, जोकि कर्मचारियों/अधिकारियों से वापिसी योग्य है । अतः इस राशि को व्यय नहीं माना जा सकता है ।

(ख) शीर्ष संख्या: 306(1) के अन्तर्गत मु0 78,211/- रु0 की राशि व्यय के रूप में दर्शाई गई है, जबकि यह राशि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को धरोहर/प्रतिभूति के रूप में वापिस लौटाई गई है । बोर्ड द्वारा धरोहर/प्रतिभूति राशि को पहले आय में जोड़ लिया जाता है फिर उसी राशि को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को वापिस लौटा दिया जाता है । इससे बोर्ड की आय व व्यय में अनावश्यक रूप से वृद्धि परिलक्षित होती है ।

(ग) गोपनीय निधि:- शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 99,00,000/-रु0 की राशि हस्तांतरित की गई है । परन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार यह राशि 88,71,440/-रु0 दर्शाई गई है । गोपनीय निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान कुल खर्च की

गई राशि रु0 88,71,440/- में मु0 6,22,690/-रु0 की वह राशि भी सम्मिलित है, जो कि बोर्ड द्वारा पांचवी कक्षा के प्रश्न पत्रों के मुद्रण/आपूर्ति हेतु खर्च की गई है । अतः उक्त राशि रु0 6,22,690/- की प्रतिपूर्ति शिक्षा विभाग से की जानी सुनिश्चित की जाये ।

सचिव/अध्यक्ष द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.07 को गोपनीय निधि में 17,77,918.60रु0 अनुपयुक्त शेष थे, जिन्हें वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए था ।

(घ) शीर्ष संख्या 310(2)से (5) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 35,43,535.00की राशि विभिन्न एजेसियों को डिपोजिट वर्क के रूप में भवन निर्माण/भवनों के रख-रखाव हेतु अदा की गई । परन्तु इस व्यय की वैद्यता की जांच आडिट द्वारा नहीं की जा सकी, क्योंकि खर्च की गई राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

(ङ.) शीर्ष सं0 408(4) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान कुल मु0 1,93,000/-रु0 की राशि स्वैच्छिक अनुदान के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को, खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों के उत्थान हेतु प्रदान की गई । परन्तु विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस राशि का खर्च, अनुदान की शर्तों/दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया गया के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये जिस के कारण व्यय की वैद्यता की पुष्टि आडिट द्वारा नहीं की जा सकी है ।

**हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला, जिला कांगड़ा
के लेखों अवधि 2006-07 के अंकेक्षण प्रतिवेदन का
ओवर व्यू ।**

कं० संख्या	विवरण	पैरा सं० एवं भाग	पृ० सं०
1.	रोकड़ वही शेषों का मिलान बैंक शेषों से बोर्ड के गठन से लेकर आज तक न किया जाना ।	2(ग) भाग-1	4
2.	परीक्षा शुल्क से सम्बन्धित बसूली हेतु लम्बित राशि का पूर्ण अभिलेख न रखा जाना ।	6 (क) भाग-1	6
3.	अंशदायी एवं गैर अंशदायी भविष्य निधि की रोकड़ वही का वर्ष 1.4.2000 से पूर्व रख-रखाव न किया जाना ।	7(क) भाग-1	7-8
4.	पूर्व अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत बिलों की जांच के दौरान अधिक, अनियमित एवं गलत भुगतान प्रस्तुत होने के कारण मु० 3,89,523/-रु० की कटौतियां विभिन्न बिलों में से वर्ष 2006-07 के दौरान की गई ।	4 भाग-2	10

5.	विभिन्न अग्रिमों की दिनांक 31.3.06 को कुल 14,88,39,704.30 रु० की राशि समायोजन हेतु लम्बित ।	5 भाग-2	11
6.	बिना बजट प्रावधान के मु० 2,40,000/-रु० कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु व्यय करने बारे ।	6 भाग-2	12-13
7.	बोर्ड सदस्यों के पक्ष में किए गए अनियमित भुगतान की राशि 6568/-रु० की बसूली हेतु ।	7 भाग-2	13
8.	बोर्ड कर्मचारियों के पक्ष में 57098/-रु० की राशि के मानदेय के भुगतान की स्वीकृति वित्त विभाग हि० प्र. से लेने बारे ।	10 भाग-2	14
9.	सिटी चैनल शिमला के विज्ञापन से सम्बन्धित मु० 15000/-रु० के भुगतान के समर्थन में अनुमोदित दरों का न दिखाया जाना ।	10 भाग-2	15
10.	परीक्षा केन्द्र शुल्क (सृजन, पदोन्नत एवम् कन्टीन्यूएशन) से सम्बन्धित रिकार्ड का उपलब्ध न करवाना ।	12 भाग-2	16
11.	हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सम्पर्क कार्यालय में अध्यापकों के भुगतानों के लेखा परीक्षण पर पाई गई अनियमिताएं:-		
1.	एक ही अवधि के दोहरे यात्रा भत्ता बिलों व पारिश्रमिक के भुगतान बारे ।	4(1)(2)(3) भाग-2	17
2.	अनियमित यात्रा भत्ता बिलों के भुगतान बारे ।	13(4) भाग-2	18
3.	अध्यापकों द्वारा एक ही अवधि में दो अलग-2 स्थानों पर डियूटी देने पर 14979/-रु० के अधिक भुगतान बारे ।	13(6) भाग-2	19

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के लेखाओं अवधि 2005-06 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

विषय सूची

भाग सं०	विषय	पैरा संख्या:	पृष्ठ संख्या'
भाग-1	हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2005-06 की	1 से 8	2 से 9

	वित्तीय स्थिति आय एवं व्यय के साधन निवेश एवं अंकेक्षण शुल्क ।		
भाग-2	वर्ष 2005-06 के लेखाओं के अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण ।	1 से 12	9 से 21
भाग-3	पुस्तक विक्रय केन्द्रों के अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण ।	1 से 9	21 सं 38
भाग-4	हि0प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड के वार्षिक लेखा वर्ष 2005-06 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं का विवरण ।	1 से 3	39 से 43
भाग-5	गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अभी तक अनिर्णीत चले आ रहे पैरों का विवरण ।	ए-बी-सी	43 से 74
भाग-6	परिशिष्टों की सूची	क से च	75 से 129

क्रमांक संख्या:.....दिनांक.....

प्रेषित:

निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,

हिमाचल प्रदेश, शिमला-9.

विषय:- वर्ष 2006-07 का हि० प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के लेखों का वार्षिक लेखा ।

महोदय,

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला का वर्ष 2006-07 का वार्षिक लेखा आवश्यक जांच उपरान्त आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाता है ।

भवदीय,

संयुक्त नियंत्रक(ले०प्र०)
निवासी अंकेक्षण योजना,
हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला ।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला के लेखाओं वर्ष 2006-07 का वार्षिक लेखा ।

3. प्रारम्भिक:- हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत प्रारूप में आवश्यक जांच पड़ताल करने के उपरान्त निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ प्रमाणित किया जाता है । लेखों में पाई गई त्रुटियों का विवरण आगामी अनुच्छेदों में दिया गया है । लेखाओं के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है । विशेषतः बैंक शेष तथा रोकड़ बही अनुसार शेष में गत कई वर्षों से चले आ रहे अन्तर के मिलान हेतु उठाये गए पग प्रर्याप्त नहीं थे । इस सम्बन्ध में शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है ।

4. प्राप्तियां :-

(क) वित्तीय स्थिति :- वित्तीय वर्ष 2006-07 के अन्त में रोकड़ वही अनुसार अन्त शेष मुवलिग 21,34,37,243.63रुपये है और विभिन्न बैंकों में बोर्ड धन का अन्तिम शेष मुवलिग 26,38,93,269.29रुपये है । इस प्रकार रोकड़ वही शेष एवं बैंक शेष में मुवलिग 5,04,56,025.66रुपये का अन्तर परिलक्षित हुआ है । जिसमें से मुवलिग 3,55,39,661/-रुपये का अन्तर निम्नलिखित कारणों से है:-

1. बैंक खाता संख्या: 10551097432 एस. 1,80,50,783/-
बी.आई. धर्मशाला से जारी चैकों की राशि जो दिनांक 23.04.99 से दिनांक 31.03.07 तक जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.03.07 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं
2. बैंक खाता संख्या: 10551097330 एस. 39,53,878/-
बी.आई. धर्मशाला से जारी चैकों की राशि जो दिनांक 1.4.2004 से 31.3.07 तक भुगतान हेतु जारी किए गए लेकिन दिनांक 31.3.07 तक बैंक खातों से भुनाए नहीं गए हैं
3. एस.बी.आई. धर्मशाला द्वारा अग्रिम जमा 1,35,35,000/- कर दिया गया लेकिन डिपू खाता में अप्रैल, _____

इस प्रकार 3,55,39,661/-रूपये की राशि का समायोजन करने के उपरान्त भी बैंक के अन्तिम शेष तथा कैशबुक के अन्तिम शेष में मुवलिग 1,49,16,364.66रूपये का अन्तर शेष रहता है । इस अन्तर के मिलान हेतु न तो कोई बैंक समाधान विवरण तैयार किया गया है तथा न ही कोई ठोस कार्यवाही की गई है । बैंक समाधान विवरणी शीघ्र तैयार करवाने हेतु बोर्ड प्रशासन से अनुरोध किया जाता है ।

(ख) प्रवेश शुल्क/बिलम्ब शुल्क (परीक्षा) के रूप में प्रत्येक वर्ष के अन्त में विभिन्न वर्षों से भारी मात्रा में राशियां बसूली हेतु लम्बित रह जाती हैं । परन्तु इन लम्बित राशियों की दोषी छात्रों से बसूली हेतु ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और न ही ऐसी राशियों के वर्ष बार ब्यौरे के सम्बन्ध में कोई उल्लेख वार्षिक लेखों में दर्शाया जाता है । जिस वजह से स्कूल शिक्षा बोर्ड को प्रत्येक वर्ष लाखों रूपये की हानि उठानी पड़ती है । शुल्क शाखा से प्राप्त विवरणानुसार वर्ष 2006-07 तक कुल 12,38,966.00रूपये की राशि बसूली हेतु लम्बित थी । अतः बोर्ड प्रशासन से अनुरोध है कि इस राशि की बसूली हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए ।

(ग) उपरोक्त पैरा 2(क)(1) तथा (2)में वर्णित चैकों में से ऐसे चैक जो बोर्ड द्वारा दिनांक 1.10.2006 से पहले निर्गमित किए गए हैं व चैक दिनांक 31.3.2007 को कालातीत चैक बन चुके हैं, क्योंकि भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा इन्हें सम्बन्धित बैंकों में चैक निर्गमित होने की तिथि से 6 मास के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है । परिणामस्वरूप इन कालातीत चैकों का 31 मार्च, 2007 के पश्चात भुगतान नहीं हो सकता है । अतः लेखा नियमों के अर्न्तगत इन चैकों की राशि को पुनः रोकड़-वही में दर्ज किया जाना बनता था जो कि बोर्ड प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है । अतः यह वार्षिक लेखे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति को परिलक्षित नहीं करते हैं ।

(घ) आय शीर्ष 101(7) के अर्न्तगत 1,74,231/-रूपये की राशि को अवर्गीकृत आय शीर्ष के रूप में दर्शाया गया है जबकि बोर्ड द्वारा प्रत्येक प्रकार की प्राप्ति/आय हेतु अलग-2 शीर्ष बनाए गए हैं । अवर्गीकृत आय को जब तक उचित आय शीर्ष में दर्शाया नहीं जाता तब तक इसे आय के

रूप में दर्शाया जाना उचित नहीं है । इस प्रकार वार्षिक लेखे स्कूल शिक्षा बोर्ड की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं ।

(ड.) शीर्ष संख्या 105(1)(2) एवं (5) के अर्न्तगत मुवलिग 64,58,859/-रूपये की आय बोर्ड कर्मचारियों द्वारा विभिन्न अग्रिमों की अव्ययित राशि को जमा करवाए जाने पर तथा शीर्ष संख्या 114(1) और (2) के अर्न्तगत मुवलिग 3,01,335/-रूपये की राशि विभिन्न अध्यापकों द्वारा विना खर्च अव्ययित राशि को जमा करवाए जाने पर आय शीर्ष में दर्शायी गई है । परन्तु यह बोर्ड की वास्तविक आय नहीं है ।

(च) शीर्ष संख्या 111 के अर्न्तगत विभिन्न निवेशों से प्राप्त ब्याज स्वरूप आय को दर्शाया गया है । जिसमें पुस्तक शीर्ष के अर्न्तगत बैंकों में जमा/निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज को भी सम्मिलित किया गया है, जबकि पुस्तक शीर्ष के अर्न्तगत किए गए निवेशों से अर्जित ब्याज राशि को उसी शीर्ष में दिखाया जाना चाहिए था । इस दिशा में सुधार की आवश्यकता है ।

(छ) शीर्ष संख्या: 111 के अर्न्तगत मुवलिग 1,50,31,738.19रूपये की राशि विभिन्न निवेशों से प्राप्त आय के रूप में दर्शायी गई है । इस राशि में सावधि जमा योजना के अर्न्तगत निवेशित केवल उन राशियों पर प्राप्त ब्याज सम्मिलित है जिन्हें अंकेक्षण अवधि के दौरान भुना लिया गया है । परन्तु ऐसी निवेशित राशियों पर प्राप्त होने वाले ब्याज को आय में सम्मिलित नहीं किया गया है । जिनकी परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर पुनः निवेशित कर दिया गया है । ऐसी अनेक राशियां हैं जिन्हें गत कई वर्षों में बार-2 पुनः निवेशित किया जा चुका है तथा पुनः निवेशित करते समय प्राप्त ब्याज का लेखाकरण किया जाना अपेक्षित था । इस प्रकार बोर्ड के लेखों की सही वार्षिक स्थिति परिलक्षित नहीं होती है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष से सम्बन्धित आय को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान गणना में लिए जाने बारे उचित पग उठाए जाएं ।

(ज) शीर्ष संख्या: 108 के अर्न्तगत मुवलिग 36,074/- रूपये की राशि आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त धरोहर/प्रतिभूति राशि एवं शीर्ष संख्या: 205 के अर्न्तगत मुवलिग 85,800/-रूपये की राशि को आय के रूप में दर्शाया गया है, जबकि यह एक वापिसी योग्य राशि है । अतः इन राशियों को

आय नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार बोर्ड के वार्षिक लेखे अपनी वित्तीय स्थिति की वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करते हैं ।

(झ) शीर्ष संख्या 112(2) के अन्तर्गत मु0 52,224/-रुपये की राशि स्कूल शिक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर आये विभिन्न अधिकारियों से सी0पी0एफ0 एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में दर्शाई गई है । परन्तु उक्त राशि वास्तव में बोर्ड की आय नहीं है ।

3. व्यय:-

(क) शीर्ष- 303(1)(3)(4) के अन्तर्गत मु0 10,62,800/-रु0 की राशि व्यय के रूप में दर्शाई है, जबकि वास्तव में यह राशि बोर्ड कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण/त्यौहार/गर्म कपड़े बनवाने हेतु अग्रिम के रूप में दी गई है, जोकि कर्मचारियों/अधिकारियों से वापिसी योग्य है । अतः इस राशि को व्यय नहीं माना जा सकता है ।

(ख) शीर्ष संख्या: 306(1) के अन्तर्गत मु0 78,211/- रु0 की राशि व्यय के रूप में दर्शाई गई है, जबकि यह राशि विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को धरोहर/प्रतिभूति के रूप में वापिस लौटाई गई है । बोर्ड द्वारा धरोहर/प्रतिभूति राशि को पहले आय में जोड़ लिया जाता है फिर उसी राशि को विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को वापिस लौटा दिया जाता है । इससे बोर्ड की आय व व्यय में अनावश्यक रूप से वृद्धि परिलक्षित होती है ।

(ग) गोपनीय निधि:- शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 99,00,000/-रु0 की राशि हस्तांतरित की गई है । परन्तु उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार यह राशि 88,71,440/-रु0 दर्शाई गई है । गोपनीय निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान कुल खर्च की गई राशि रु0 88,71,440/- में मु0 6,22,690/-रु0 की वह राशि भी सम्मिलित है, जो कि बोर्ड द्वारा पांचवी कक्षा के प्रश्न पत्रों के मुद्रण/आपूर्ति हेतु खर्च की गई है । अतः उक्त राशि रु0 6,22,690/- की प्रतिपूर्ति शिक्षा विभाग से की जानी सुनिश्चित की जाये ।

सचिव/अध्यक्ष द्वारा दिये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 31.3.07 को गोपनीय निधि में 17,77,918.60रु0 अनुपयुक्त शेष थे, जिन्हें वार्षिक लेखा में अन्तिम शेष के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए था ।

(घ) शीर्ष संख्या 310(2)से (5) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान कुल 35,43,535.00की राशि विभिन्न एजेसियों को डिपोजिट वर्क के रूप में भवन निर्माण/भवनों के रख-रखाव हेतु अदा की गई । परन्तु इस व्यय की वैद्यता की जांच आडिट द्वारा नहीं की जा सकी, क्योंकि खर्च की गई राशि से सम्बन्धित उपयोगिता प्रमाण-पत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये ।

(ङ.) शीर्ष सं० 408(4) के अर्न्तगत बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान कुल मु० 1,93,000/-रु० की राशि स्वैच्छिक अनुदान के रूप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को, खेलकूद एवं शैक्षणिक गतिविधियों के उत्थान हेतु प्रदान की गई । परन्तु विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा इस राशि का खर्च, अनुदान की शर्तों/दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया गया के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये जिस के कारण व्यय की वैद्यता की पुष्टि आडिट द्वारा नहीं की जा सकी है ।

उप नियंत्रक(लेखा-परीक्षा),
निवासी अंकेक्षण योजना,
हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला ।